ISSN 0972-5636

भारतीय आधुनिक शिक्षा

वर्ष 42 अंक 2 अक्तूबर 2021

© NCERT not to be republished

पत्रिका के बारे में

भारतीय आधुनिक शिक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की त्रैमासिक पत्रिका है, जो यू.जी.सी. की केयर (कंसोर्टियम फ़ॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स— के.ए.आर.ई.) पत्रिकाओं की सूची में सूचीबद्ध है। यह पत्रिका शिक्षाविदों, शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थी-शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा पर अपने मौलिक शैक्षिक विचार रखने का एक मंच प्रदान करती है। लेखकों द्वारा भेजे गए सभी लेखों, शोध पत्रों, पुस्तक समीक्षाओं आदि का प्रकाशन से पूर्व समकक्ष विद्वानों द्वारा पूर्ण निष्पक्षतापूर्वक पुनरीक्षण किया जाता है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा के विभिन्न आयामों में, विशेषकर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के संदर्भ में, विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। इस पत्रिका का एक अन्य उद्देश्य मौलिक एवं समीक्षात्मक चिंतन को भी प्रोत्साहित करना है।

लेखकों द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं। अतः ये किसी भी प्रकार से परिषद् की नीतियों या संपादकीय समिति के विचारों को प्रस्तुत नहीं करते हैं।

*** © 2023. पत्रिका में प्रकाशित लेखों का रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित है, परिषद् की पूर्व अनुमति के बिना, लेखों का पुनर्मुद्रण किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा।**

सलाहकार समिति

निदेशक (प्रभारी), रा.शै.अ.प्र.प. : श्रीधर श्रीवास्तव
अध्यक्ष, अ.शि.वि. : राजरानी
अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : अनूप कुमार राजपूत

संपादकीय समिति

अकादमिक संपादक : जितेन्द्र कुमार पाटीदार

अन्य सदस्य

राजरानी, रंजना अरोड़ा
उषा शर्मा, मधूलिका एस. पटेल
बी.पी. भारद्वाज

प्रकाशन मंडल

मुख्य उत्पादन अधिकारी : अरुण चितकारा
मुख्य व्यापार प्रबंधक : विपिन दीवान
मुख्य संपादक (प्रभारी) : बिज्ञान सुतार
सहायक उत्पादन अधिकारी : ओम प्रकाश

आवरण

अमित श्रीवास्तव

हमारे कार्यालय

प्रकाशन प्रभाग
एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फ़ोन : 011-26562708

108, 100 फ़ीट रोड
होस्केरे हल्ली एक्सटेंशन
बनाशंकरी III स्टेज
बेंगलुरु 560 085 फ़ोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फ़ोन : 079-27541446

सी. डब्ल्यू. सी. कैंपस
धनकल बस स्टॉप के सामने
पनिहटी
कोलकाता 700 114 फ़ोन : 033-25530454

सी. डब्ल्यू. सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगाँव
गुवाहाटी 781 021 फ़ोन : 0361-2674869

मूल्य

एक प्रति : ₹ 50 वार्षिक : ₹ 200

* यह अंक मार्च 2023 में छापा गया है।

© NCERT not to be republished

ISSN 0972-5636

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

भारतीय आधुनिक शिक्षा

वर्ष 42 | अंक 2 | अक्तूबर 2021

इस अंक में

संपादकीय		3
ई-लर्निंग औपचारिक शिक्षा का एक विकल्प	माधव पटेल	5
कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सहित वैश्विक स्तर पर विद्यालयी शिक्षा में हुए प्रयासों एवं बदलावों का विश्लेषण	संध्या संगई	13
डर है कि हम डर न जाएँ (कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में भावी शिक्षा पर विमर्श)	मोईनुद्दीन ख़ान	20
शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षण नगरीय अध्यापकों के विश्वास	रवनीत कौर	31
उच्च शिक्षा स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार का उनके आवासीय वातावरण, स्थानीयता तथा जेंडर के संदर्भ में अध्ययन	तनुज कुमार श्याम सुन्दर कुशवाहा	47
विद्यालय नेतृत्व और नेतृत्व विकास	रमेश तिवारी	64
'पब्लिश इन इंडिया' की संभावित रूपरेखा एवं शिकारी पत्रिकाओं पर नियंत्रण एक समीक्षा	अखिलेश कुमार प्रवीण कुमार तिवारी रजनी रंजन सिंह	72
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण से भारत में उच्चतर शिक्षा का विकास	चन्दन श्रीवास्तव	80
प्रौढ़ शिक्षा कल, आज और कल	नीलू दुबे राजीव पंड्या	87

© NCERT not to be republished

© not to be republished

संपादकीय

हम 5 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को 'शिक्षक दिवस' के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में पूरे देश में शिक्षक दिवस को 5 सितंबर से 17 सितंबर, 2021 तक 'शिक्षक पर्व' के रूप में मनाया गया। यह पर्व *'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के केंद्र में अध्यापक' पर केंद्रित था। यह पर्व राष्ट्र के विकास में अध्यापकों के योगदान की सराहना करने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मनाया गया, ताकि शिक्षा के समान एवं समावेशी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस पर्व का उद्देश्य अध्यापकों को अपने पेशे एवं विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशील होने तथा शिक्षण-अधिगम के नवाचारी तरीकों को अपनाते हुए अपेक्षित सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना था।

वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान डिजिटल शिक्षा एक विकल्प के रूप में उभरी है। जिसने ई-लर्निंग के नवीन प्रयासों को बढ़ावा दिया है। इसी सरोकार पर आधारित लेख 'ई-लर्निंग— औपचारिक शिक्षा का एक विकल्प' में बताया गया है कि ई-लर्निंग शिक्षा का एक साधन है, जिसमें संचार, दक्षता और प्रौद्योगिकी आदि को शामिल किया गया है जो विद्यार्थियों के सीखने में सहायता प्रदान करती है। वहीं, 'कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सहित वैश्विक स्तर पर विद्यालयी शिक्षा में हुए प्रयासों एवं बदलावों का विश्लेषण' लेख में विद्यालयी शिक्षा में आवश्यकता आधारित अनेक यथासंभव प्रयासों एवं प्रयोगों पर चर्चा की गई है। इस लेख में भारत सहित विश्व के कई देशों में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई को यथासंभव निरंतर जारी रखने वाले विविध प्रयासों एवं पहलों को प्रस्तुत किया गया है।

ऊपर दिए गए दो लेखों की कड़ी में अगला लेख भी उसी परिप्रेक्ष्य से जुड़ा है। जिसका शीर्षक 'डर है कि हम डर न जाएँ (कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में भावी शिक्षा पर विमर्श)' में बालमन पर डर के सकारात्मक पहलुओं को उजागर किया गया है, वहीं बालमन पर डर का नकारात्मक प्रभाव न पड़े उसके लिए माता-पिता परिवार एवं अध्यापकों को सतर्क रहना चाहिए। साथ ही, लेख में बच्चों में डर के प्रभाव को खत्म करने वाले उपायों एवं उपक्रमों की चर्चा भी की गई है।

अध्यापकों के विश्वास उनकी व्यक्तिगत धारणाओं और मतों को व्यक्त करते हैं। जिसका प्रभाव उनके अभ्यासों पर भी पड़ता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शोध पत्र 'शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षण— नगरीय अध्यापकों के विश्वास' प्रस्तुत किया गया है। इस शोध अध्ययन का उद्देश्य यह ज्ञात करना था कि कैसे विद्यालय और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि अध्यापकों के विश्वासों को निर्धारित करती इस शोध अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि अध्यापकों के शिक्षणशास्त्रीय विश्वास, व्यावहारवादी अनुशासन एवं प्रबंधन तथा निर्माणवादी शिक्षण के मिश्रित रूप को प्रकट करते हैं।

विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं उनका सामाजिक विकास उनके आवासीय परिवेश पर भी

© NCERT not to be republished

निर्भर करता है। जिसे शोध पत्र 'उच्च शिक्षा स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार का उनके आवासीय वातावरण, स्थानीयता तथा जेंडर के संदर्भ में अध्ययन' में प्रस्तुत किया गया है। इस शोध अध्ययन में यह पाया गया कि विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों, शैक्षिक निष्पादन एवं तकनीक प्रयोग व्यवहार को आवासीय वातावरण, स्थानीयता तथा जेंडर प्रभावित करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में 'विद्यालय नेतृत्व और नेतृत्व विकास' नामक लेख दिया गया है, जो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, अनुशासन और सहभागी प्रबंधन, अभिभावकों और समुदाय के लिए स्थान, अध्यापक की स्वायत्तता और पेशेवर स्वतंत्रता, अकादमिक नियोजन एवं गुणवत्ता प्रबंधन, स्कूल प्रबंधन के लिए स्कूलों में अकादमिक नेतृत्व, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा और प्रशिक्षण, नवीन साझेदारियाँ आदि बिंदुओं को प्रस्तुत करता है।

शोध में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, इसी कड़ी में गुणवत्ताविहीन 'शिकारी पत्रिकाओं' पर नियंत्रण इसी का एक भाग है। भारत में शिकारी पत्रिकाओं एवं गुणवत्ता रहित शोध प्रकाशनों पर नियंत्रण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गुणवत्तापूर्ण पत्रिकाओं की सूची 'केयर लिस्ट' के नाम से जारी की गई है। लेख 'पब्लिश-इन-इंडिया की संभावित रूपरेखा एवं शिकारी पत्रिकाओं पर नियंत्रण—एक समीक्षा' में भारत में गुणवत्तापूर्ण पत्रिकाओं के प्रकाशन को बढ़ावा देने हेतु एक संभावित रूपरेखा सुझाई गई है।

भारत में उच्चतर शिक्षा के विकास एवं चुनौतियों पर आधारित लेख '*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के दृष्टिकोण से भारत में उच्चतर शिक्षा का विकास' दिया गया है। वहीं लेख 'प्रौढ़ शिक्षा कल, आज और कल' में प्रौढ़ शिक्षा में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर एवं स्थानीय स्तर पर किए गए प्रयासों को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन हेतु विभिन्न सुझाव भी दिए गए हैं। यह लेख *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के बिंदु 21 में दिए गए प्रौढ़ शिक्षा और जीवनपर्यंत सीखने के विशेष प्रावधानों की भी चर्चा करता है।

आप सभी की प्रतिक्रियाओं की हमें सदैव प्रतीक्षा रहती है। आप हमें लिखें कि यह अंक आपको कैसा लगा। साथ ही, आशा करते हैं कि आप हमें अपने अनुभव आधारित मौलिक तथा प्रभावी लेख, शोध पत्र, आलोचनात्मक समीक्षाएँ, श्रेष्ठ अभ्यास, पुस्तक समीक्षाएँ, नवाचारी प्रयोग, क्षेत्र (फील्ड) अनुभव आदि प्रकाशन हेतु आगे दिए गए पते पर प्रेषित करेंगे।

अकादमिक संपादकीय समिति

© NCERT not to be republished

ई-लर्निंग
औपचारिक शिक्षा का एक विकल्प

माधव पटेल*

वर्तमान शताब्दी को डिजिटल युग भी कहा जा सकता है। इंटरनेट के साथ लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आए हैं और हर कार्य में इसकी उपयोगिता सिद्ध हुई है। ई-लर्निंग शिक्षा का एक साधन है, जिसमें संचार, दक्षता और प्रौद्योगिकी आदि को शामिल किया गया है जो विद्यार्थियों को सीखने में सहायता प्रदान करती है। विशेष रूप में ई-लर्निंग विद्यार्थियों की तकनीकी जानकारी, विषयवस्तु, शिक्षण और समझ का एकीकरण है। यह विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं अन्य हितधारकों के लिए एक नया अनुभव है जो सीखने में उन्नत उपकरणों के माध्यम से सीखने एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देने को प्रेरित करता है। परंपरागत शिक्षण का स्थान अब ई-लर्निंग लेती जा रही है। इसे वेब आधारित शिक्षा के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। वास्तव में, ई-लर्निंग को दुनिया भर ने शिक्षा के एक विकल्प के रूप में स्वीकारा है। इस प्रकार, यह लेख ई-लर्निंग के विविध सरोकारों को प्रस्तुत करता है।

समयानुकूल परिवर्तन स्वीकार करने से मानव की उन्नति के द्वार खुल जाते हैं, जैसे— एक समय लोग पैदल यात्रा करते थे, परंतु उन्होंने बदलावों को स्वीकार किया और आज हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं। इसी प्रकार एक समय बातचीत या संवाद का माध्यम पत्र हुआ करते थे, अब ई-संसाधनों ने इसे सुगम एवं सहज बना दिया है। इसका एक और प्रत्यक्ष उदाहरण शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन को अपनाकर हमारी शिक्षा में ई-लर्निंग की अवधारणा का विकसित होना और सकारात्मक परिणाम मिलने के कारण इसका फलीभूत होना है। 1999 में लॉस एंजेल्स के सीबीटी (कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण) प्रणाली पर सिस्टम सेमिनार में सबसे पहले ई-लर्निंग शब्द पर चर्चा हुई थी। हालाँकि, उस समय यह तकनीक इतनी विकसित नहीं हुई थी और अधिकतर लोगों के पास इंटरनेट एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधन उपलब्ध नहीं थे। हालाँकि जैसे-जैसे इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का विकास हुआ और इंटरनेट की उपलब्धता सरल एवं सुगम हुई तथा इसके उपभोक्ता बढ़ने लगे, इसकी उपयोगिता और लोकप्रियता में विस्तार हुआ और यह विद्यार्थियों के लिए वरदान सिद्ध हुई।

ई-लर्निंग का आशय 'इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग' है अर्थात् किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक यंत्र या उपकरण, डिजिटल मीडिया के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना ही ई-लर्निंग कहलाता है। ई-शिक्षा का अर्थ केवल यहीं तक सीमित नहीं है, इसमें इंटरनेट

* *माध्यमिक अध्यापक*, शासकीय नवीन माध्यमिक शाला, लिधौरा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश 470 772

© NCERT not to be republished

के माध्यम से सूचनाएँ एवं ज्ञान साझा किया जाता है। ई-लर्निंग या शिक्षा के माध्यम से किसी भी समय और कहीं पर भी इंटरैक्टिव अधिगम को बढ़ावा दिया जा सकता है। उससे सीखने के साधनों के माध्यम से शिक्षार्थी तक पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है अर्थात् ई-शिक्षा ही वह माध्यम है, जिसके द्वारा अध्यापक और विद्यार्थी भौगोलिक रूप से दूर होने पर भी सूचना तथा विचारों का आदान-प्रदान करते हुए एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। यदि अवसरों की दृष्टि से देखें तो इसमें आपस में जुड़ने के समय और अवसर दोनों ही अधिक होते हैं।

इस प्रकार, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा को ई-शिक्षा या ई-लर्निंग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इन सभी क्रियात्मक ई-उपकरणों का प्रमुख लक्ष्य, ज्ञान और कौशल को बढ़ावा देना है। यह निश्चित रूप से कौशल और ज्ञान का कंप्यूटर एवं नेटवर्क समर्थित स्थानांतरण है। ई-शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों, उपकरणों और अधिगम प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करता है। इनमें सीबीटी (कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण), डब्ल्यूबीटी (वेब आधारित प्रशिक्षण), आईबीटी (इंटरनेट आधारित प्रशिक्षण) सम्मिलित हैं। ई-शिक्षा वर्तमान युग की बहुत बड़ी आवश्यकता ही नहीं अपितु अनिवार्यता बन गई है। ई-शिक्षा का दायरा अब सीमित नहीं रहा है, इसके विविध रूप हैं, हम पहले से टीवी, रेडियो, कंप्यूटर आधारित शिक्षण को ही इसका स्वरूप मानते आए हैं, परंतु यदि इसके वृहद स्वरूप को देखें तो पाते हैं कि इसमें मोबाइल आधारित लर्निंग अर्थात् एम लर्निंग, आभासी (वर्चुअल) कक्षा शिक्षण, जूम या अन्य ऐप से आयोजित होने वाली अंतर्क्रियाएँ भी शामिल हैं। इस तकनीक की सहजता एवं सुगमता से इसकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता भी बढ़ने लगी है। इसके माध्यम से शिक्षार्थी सहजता से सीखते हुए अपने ज्ञान और कौशलों में वृद्धि कर रहे हैं।

कोविड-19 महामारी के संकट के कारण विद्यालयों में नियमित कक्षाओं का संचालन संभव नहीं होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान न हो इसलिए केंद्र व राज्य सरकारों ने विद्यालयों में ई-लर्निंग के अनेक प्लेटफॉर्म और ऐप्स के माध्यम से शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को जारी रखते हुए विद्यार्थियों तक पहुँच सुनिश्चित की। मध्य प्रदेश राज्य ने ई-लर्निंग के माध्यम से डिजिटल लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम (डिजिलेप) के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से जोड़े रखने का प्रयास किया, जो सफल भी रहा और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को इसके द्वारा घर पर ही रहकर अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागी बनने में सफलता मिली। यह एक एकीकृत ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को लघु वीडियो, ऑडियो नोट्स, वीडियो पाठ, पोस्टर, लेख, ई-बुक्स आदि ई-लर्निंग सामग्री उनके या अभिभावकों के एंड्राइड मोबाइल पर उपलब्ध कराई जाती है। इसमें विद्यार्थियों के आकलन हेतु कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, जिन्हें विद्यार्थी वीडियो देखने के बाद हल करते हैं और उनके उत्तर अपने अध्यापकों को भेजते हैं, अध्यापक उन्हें जाँच कर प्रतिपुष्टि सहित विद्यार्थियों या अभिभावकों को पुनः भेजते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, कोविड-19 ने इस बात को एक बार

© NCERT not to be republished

पुनः प्रामाणित किया है, कोविड-19 महामारी के कारण, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे (लेखक के) विद्यालय के विद्यार्थी और अभिभावक हैं। जब विद्यालय नियमित संचालित होते थे, तब 20–30 प्रतिशत अभिभावक ही ऐसे थे, जो एंड्रॉयड मोबाइल उपयोग करते थे, परंतु विद्यालय के लंबी अवधि तक बंद होने और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया ऑनलाइन होने से विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने स्वयं को इन परिस्थितियों में ढाला और एंड्रॉयड मोबाइल चलाना सीखा। साथ ही, अपने बच्चों का सहयोग भी किया। आज की स्थिति में 90 प्रतिशत से अधिक अभिभावक ऐसे हैं, जो न केवल एंड्रॉयड मोबाइल चला रहे हैं, बल्कि अपने बच्चों को सिखाने के लिए खुद भी सीख रहे हैं।

शिक्षा वास्तव में समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। समाज की परिस्थितियों पर शिक्षा का सीधा प्रभाव पड़ता है। आज कोरोना संकट के दौर में ई-लर्निंग के माध्यम से शिक्षा के स्वरूप में बदलाव, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ-साथ अध्यापकों की सीखने की प्रक्रिया में भी बदलाव आए हैं अर्थात् अब अध्यापक प्रशिक्षण भी ई-लर्निंग के माध्यम से हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम राइज योजना के अंतर्गत सभी अध्यापकों को एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से प्रशिक्षण की एक शृंखला चलाकर प्रशिक्षित किया है। वहीं रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा अध्यापकों एवं विद्यालय प्रमुखों की दक्षता संवर्धन हेतु आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं कल्याण शिक्षा प्रशिक्षण-कार्यक्रम और निष्ठा कार्यक्रम का सफल संचालन किया जा रहा है।

ई-लर्निंग को अनेक विद्यालय, विश्वविद्यालय, विशेष रूप से दूरस्थ शिक्षा के संस्थान ई-क्लासरूम को बढ़ावा दे रहे हैं। अनेक सर्वे और शोधों में यह पाया गया कि पारंपरिक कक्षा शिक्षण की तुलना में ऑनलाइन सीखना एवं सिखाना अधिक प्रभावी और लचीला है। ई-लर्निंग को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—

सिन्क्रोनस लर्निंग

इस प्रकार की लर्निंग में एक ही समय में सीखने और सिखाने वाले अर्थात् अधिगमकर्ता और अध्यापक अलग-अलग स्थानों पर रहकर एक-दूसरे से बातचीत करते हैं। दोनों ही एक ही समय में संलग्न रहते हैं। इसमें सीखने वाले को कुछ भी तथ्य स्पष्ट न होने पर सिखाने वाले से पूछने का अवसर होता है। इस प्रकार की लर्निंग में शिक्षार्थी को सभी प्रश्नों का समाधान प्राप्त करने की सुविधा होती है। वे तत्काल ही अध्यापक से सवाल कर सकते हैं, इसी कारण, इस प्रकार की लर्निंग को 'रियल टाइम' लर्निंग भी कहा जाता है। इस प्रकार की ई-लर्निंग पद्धति में कई ऑनलाइन उपकरणों की सहायता से विद्यार्थियों को सीखने के संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण, जैसे— वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबिनार, ऑडियो कॉन्फ्रेंस, आभासी (वर्चुअल) कक्षा, लाइव चैट, फेसबुक का लाइव टेलीकास्ट आदि हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और लोकप्रिय भी हैं।

एसिन्क्रोनस लर्निंग

इसका अर्थ है— एक समय पर नहीं अर्थात् सीखने और सिखाने वाले दोनों ही एक समय पर एक साथ संपर्क में नहीं रहते हैं, उनका एक साथ वार्तालाप नहीं

© NCERT not to be republished

होता है। सीखने की प्रक्रिया के लिए यह लर्निंग पद्धति बहुत ही लाभदायक है। इसमें पर्याप्त मात्रा में अध्ययन सामग्री उपलब्ध रहती है, जिसका लाभ विद्यार्थी उठा सकते हैं। अवधारणा स्पष्ट न होने की स्थिति में इस सामग्री को एक से अधिक बार भी देखा और पढ़ा जा सकता है। इसमें सामग्री पूर्व से ही तैयार रहती है, विद्यार्थी जब भी चाहे उसका उपयोग कर सकते हैं, यह दूरस्थ शिक्षा और स्व-अध्ययन के लिए एक वरदान है। यह रचनात्मक सिद्धांत पर आधारित है, जो विद्यार्थी-केंद्रित है। इस प्रक्रिया में जानकारी पहले से ही उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिए, वेब आधारित प्रशिक्षण जिसमें हम किसी ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ब्लॉग, वीडियो, वेबसाइट, ई-बुक आदि की सहायता से अध्ययन सामग्री और शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसका सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने पर हम इसका लाभ कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण यह विद्यार्थियों को अत्यधिक पसंद है। कहीं-कहीं पर इन दोनों प्रकारों के संयुक्त स्वरूप का भी प्रयोग किया जाता है।

ई-लर्निंग के लाभ

- **पर्यावरण के लिए लाभदायक**— ई-लर्निंग वास्तव में पर्यावरण की संरक्षक विधि है, क्योंकि यह शिक्षा पद्धति पूर्णतः पेपर रहित है और इसे अपनाने से बहुत बड़ी मात्रा में पेपर की बचत होगी। इस प्रकार अनेक पेड़ कटने से बच जाएँगे।
- **सुविधानुसार समय**— इस प्रकार की लर्निंग में समय की बचत होती है। कई बार ऐसे अवसर आते हैं, जब विद्यार्थियों को किन्हीं कारणोंवश कक्षाएँ छोड़नी पड़ती हैं और उनकी पढ़ाई छूट जाती है, परंतु इसमें विद्यार्थी अपने समयानुसर अध्ययन कर सकता है।
- **डर और संकोच की कमी**— कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, जिन्हें नियमित कक्षाओं में कुछ विषय-वस्तु समझ में नहीं आती है और वे संकोच के कारण प्रश्न नहीं पूछ पाते, इसका निराकरण ई-लर्निंग में स्वतः ही होता है। इसमें विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार अध्ययन सामग्री का अध्ययन कर सकता है।
- **कम खर्चीली**— ई-लर्निंग, पारंपरिक शिक्षा की तुलना में कम खर्चीली है, क्योंकि प्राय: कम पुस्तकों को क्रय करना पड़ता है और ई-बुक के माध्यम से अपने कार्य का निष्पादन किया जा सकता है।
- **अधिक सामग्री**— ई-लर्निंग एक बहुत बड़ा मंच उपलब्ध कराती है, जिसमें सीखने के लिए विविध सामग्री में से उपयोगी सामग्री का चयन करना होता है, क्योंकि हर प्रकार की शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध होती है।
- **विद्यालयों की उपलब्धता**— कई ऐसे स्थान हैं, जहाँ कम विद्यार्थियों के कारण विद्यालय की स्थापना संभव नहीं है या फिर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विद्यालय नहीं खोला जा सकता, ऐसी स्थिति में ई-शिक्षा एक सुगम उपाय है।
- **अध्यापकों की समस्या**— यदि ई-लर्निंग को विस्तारित किया जाता है तो न केवल सरकार के लिए अध्यापकों की समस्या कम होगी, बल्कि अध्यापकों पर होने वाले व्यय को भी बचाया जा सकेगा।
- **गतिनुसार सीखना**— ई-लर्निंग की यही विशेषता सबसे अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की गति

© NCERT not to be republished

अलग-अलग होती है और नियमित कक्षाओं में धीमी गति वाले विद्यार्थी पिछड़ जाते हैं। इसलिए ई-लर्निंग इनके लिए बहुत उपयोगी है।

- **रुचिकर शिक्षण**— पारंपरिक शिक्षण में विद्यार्थी एक ही अध्यापक से और एक ही पद्धति से पढ़ना बोझिल महसूस करते हैं। जबकि ई-लर्निंग उनके लिए बहुत ही रुचिकर प्रक्रिया है।
- **पुनरावृत्ति**— परंपरागत शिक्षण में पाठ्यक्रम के अनुसार पूरे वर्ष में एक प्रकरण को अध्यापक केवल एक बार ही पढ़ा पाता है, समयाभाव एवं अन्य कारणों से उन प्रकरणों की पुनरावृत्ति संभव नहीं होती। जबकि ई-लर्निंग में विद्यार्थी कई बार पाठ्यांश का अध्ययन कर सकते हैं।

ई-लर्निंग की कमियाँ

- **शैक्षिक परिवेश की कमी**—ई-लर्निंग में स्थान निर्धारित नहीं होता है, इसमें कहीं से भी लर्निंग की जा सकती है। ऐसे में सीखने के वातावरण की कमी बनी रहती है, जिसका प्रभाव सम्प्राप्ति पर पड़ता है।
- **संपर्क की कमी**— परंपरागत शिक्षण में अध्यापक का विद्यार्थियों से सीधा संवाद होता है, जिससे शैक्षिक अनुशासन बना रहता है और अधिगम स्तर भी बना रहता है। विद्यार्थी किसी समस्या पर वाद-प्रतिवाद भी कर सकता है, यह सुविधा ई-लर्निंग में नहीं है।
- **प्रयोगशाला की सुविधा नहीं**— ई-लर्निंग में विद्यार्थियों के लिए प्रयोग की कोई सुविधा नहीं होती है, जबकि परंपरागत शिक्षा में प्रयोगशाला में अध्यापकों का निर्देशन भी प्राप्त होता है।
- **व्यावहारिकता का अभाव**— ई-लर्निंग में शिक्षा पूर्णतः यांत्रिक होती है, इसमें व्यावहारिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं होता है, जिससे विद्यार्थियों को भविष्य में समाजीकरण की समस्या आ सकती है।
- **निरंतरता की कमी**— ई-लर्निंग में नियमितता की कोई बाध्यता नहीं होती है, जबकि परंपरागत शिक्षा में कक्षाओं का नियमित आयोजन होता है। इससे कुछ विद्यार्थियों में स्व-अनुशासन की कमी उत्पन्न हो सकती है।
- **लर्निंग एप्रोच**— नियमित कक्षा में विद्यार्थी नियमित रूप से एक-दूसरे के संपर्क में रहते हैं तथा एक-दूसरे से सीखने के अवसर भी अधिक उपलब्ध होते हैं, जो उन्हें नया दृष्टिकोण और समझ विकसित करने में सहयोग करते हैं, साथ ही, शिक्षण को आनंदित बनाते हैं। ई-लर्निंग में कई बार विद्यार्थियों में सुप्तता आने लगती है और विद्यार्थियों का मन शिक्षण से दूर भी होने लगता है। इसकी एक बड़ी कमजोरी यह है कि यह विद्यार्थियों के बीच एक नियमित बातचीत प्रदान नहीं करता है, जिससे विद्यार्थियों की सोच एकमार्गी हो जाती है और वे अपने विचारों की तुलना नहीं कर पाते हैं।
- **उपकरणों पर निर्भर**— ई-लर्निंग पूरी तरह से तकनीक पर निर्भर है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इसके आधार हैं। इन उपकरणों की उपलब्धता और तकनीकी ज्ञान होना, इसमें सहभागी होने की अनिवार्य शर्त है।

ई-लर्निंग की समस्याएँ

- **डिजिटल शिक्षा की कमी**— भारत देश में अधिकांश आबादी गाँवों में निवास करती है, जहाँ पर अभी डिजिटल शिक्षा की पहुँच कम है। ई-शिक्षा को सफल बनाने के लिए पहले अभिभावकों को जागरूक करना आवश्यक है।

© NCERT not to be republished

- **आर्थिक कारण—** हमारे यहाँ आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं ऐसे में ई-लर्निंग को पूरी तरह लोकप्रिय बनाने में कठिनाई आएगी।
- **नेटवर्क की समस्या—** ई-लर्निंग नेटवर्क (इंटरनेट) आधारित प्रक्रिया है, इसलिए जब तक सभी जगह नेटवर्क की उपलब्धता नही होती, तब तक ई-लर्निंग के लिए अवरोध उत्पन्न होते रहेंगे।
- **अध्यापकों की ई-उपकरणों में निपुणता न होना—** अध्यापकों को ई-लर्निंग उपकरणों के साथ निकटता या उनके उपयोग के ज्ञान और तरीकों को बढ़ाया जाना आवश्यक है। अध्यापक की जिम्मेदारी विद्यार्थियों के अध्यापन से पूर्व विभिन्न ई-लर्निंग उपकरणों का संचालन एवं उपयोग करने की है। इसलिए, न केवल विद्यार्थियों को बल्कि अध्यापकों को भी ई-लर्निंग संसाधनों के उपयोग में सक्षम बनाने की आवश्यकता है, तभी ई-लर्निंग की अवधारणा मूर्तरूप ले सकेगी।

कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर अनेक प्रयास किए, ताकि विद्यार्थियों तक शिक्षा को पहुँचाया जा सके। इसमें शिक्षा मंत्रालय का दीक्षा प्लेटफॉर्म— एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, टीवी कार्यक्रम— एक कक्षा एक चैनल, स्वयंप्रभा, रेडियो कार्यक्रम, प्रशिक्षण शृंखला, मूक्स, शिक्षा पॉडकास्ट आदि सम्मिलित हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने ई-लर्निंग को मजबूत करने के लिए शगुन पोर्टल का सृजन किया। ई-पाठशाला जैसे पोर्टल एवं ऐप के माध्यम से डिजिटल पुस्तकों तक सबकी पहुँच संभव हो सकी। एक ओर केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखने का प्रयास किया तो दूसरी ओर प्रदेश सरकारें भी विभिन्न स्तर पर प्रयास कर रही हैं। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट (SMILE) के माध्यम से कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखकर बंद किए गए स्कूलों में प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों में अध्ययन की निरंतरता बनाए रखने का प्रयास किया जो सफल रहा। साथ ही, स्माइल प्रोग्राम के माध्यम से (डिजिटल माध्यम से) वंचित विद्यार्थियों को भी अध्ययन सामग्री और गृहकार्य बिना रुकावट के पहुँचाने में सफलता मिली। इसके अलावा, शिक्षादर्शन चैनल— टीवी के माध्यम से शैक्षिक सामग्री, शिक्षावाणी— उन विद्यार्थियों के लिए रेडियो प्रसारण जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, हवामहल— हर्षित शनिवार, यू-ट्यूब के माध्यम से करियर मार्गदर्शन पर विद्यार्थियों के लिए लाइव सत्र आयोजित करना, कला उत्सव— समर कैंप, दीक्षा की अध्ययन सामग्री शाला दर्पण के माध्यम से प्रेषण में सफलता मिली।

महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को लॉकडाउन के दौरान ई-शिक्षा के उपकरणों, जैसे— मोबाइल ऐप, टीवी और रेडियो के द्वारा शिक्षा से जोड़े रखा। इसके फलस्वरूप, विद्यार्थियों में अधिगम अंतराल उत्पन्न नहीं हुआ। कोरोना महामारी के दौरान विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा एक पोर्टल विकसित करते हुए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ई-लोट्स (ई-लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स)

© NCERT not to be republished

पोर्टल का उपयोग किया, जिसमें विषयों से संबंधित स्कूल की सभी किताबें और पूरक वीडियो उपलब्ध कराए गए। इसका उपयोग न केवल विद्यार्थियों बल्कि अध्यापकों के लिए भी लाभदायक रहा। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने का एकमात्र विकल्प ऑनलाइन शिक्षा रहा। व्हाट्सएप, वर्चुअल क्लासेज आदि के माध्यम से शिक्षा की पहुँच को बच्चों तक बनाए रखा, ऑनलाइन शिक्षा भी विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होती रही। हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की शिक्षा में मदद के लिए ई-लर्निंग हेतु एक वेबसाइट www.haryanaedusat.com बनाई है। इस एडूसेट नेटवर्क पर टेलीकास्ट की जाने वाली ऑडियो, वीडियो सामग्री उपलब्ध की गई है, जिससे विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। मध्य प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों में लर्निंग अंतराल उत्पन्न न हो, इसके लिए DigiLEP (डिजिटल लर्निंग एनहान्समेंट प्रोग्राम) कार्यक्रम शुरू किया।

स्कूल के सभी बच्चों की मोबाइल ऐप के माध्यम से पढ़ाई जारी रखने का काम किया गया। इसमें व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से विद्यार्थियों को जोड़कर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग मिला। इसमें स्कूल के सभी अध्यापकों ने अपने-अपने विद्यालय के नाम से व्हाट्सएप समूह बनाए और उसमें सभी बच्चों को जोड़कर शिक्षण सामग्री और गृहकार्य दिया गया। इस तरह के शिक्षण में अभिभावकों ने भी बराबर सहयोग किया। इसका लाभ यह हुआ कि विद्यार्थी विद्यालय बंद होने के पश्चात् भी शिक्षा से दूर नहीं हुए।

अचानक देश भर में लॉकडाउन लगने से विद्यार्थियों और अभिभावकों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विद्यालय अनिश्चित समय के लिए बंद हो जाएँगे। इस अवधि में अध्यापकों ने लगातार विद्यार्थियों से मोबाइल के माध्यम से संपर्क किया और उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप और यू-ट्यूब लिंक के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया। पहले तो विद्यार्थी असहज थे कि मोबाइल के माध्यम से कैसे पढ़ेंगे? अभिभावकों को भी लगा कि मोबाइल पर पढ़ाई कैसे संभव है? लेकिन लगातार प्रयास करने से पहले तो कुछ मात्रा में विद्यार्थी जुड़े, फिर धीरे-धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। ऑनलाइन कक्षा संचालन में भी बहुत परेशानी हुई। प्रारंभ में विद्यार्थी और अभिभावक ऑनलाइन कक्षा में जुड़ ही नहीं पाते थे, परंतु समय बीतने के साथ वे भी अभ्यस्त हो गए। अचानक से ऑनलाइन शिक्षण शुरू होने से अध्यापक भी तय ही नहीं कर पा रहे थे कि सभी विद्यार्थियों तक पहुँच कैसे बनाएँ? इसमें CMrise प्रशिक्षण शृंखला ने सबसे महती भूमिका निभाई। इस प्रशिक्षण के माध्यम से अध्यापक विद्यार्थियों के संसाधनों को चिह्नित कर पाएँ और देख पाएँ कि किन विद्यार्थियों तक कैसे सहायता पहुँचाएँ? इसी आधार पर अध्यापकों ने अपनी रणनीति तैयार की, जिसमें कुछ विद्यार्थियों को पड़ोसी के मोबाइल के माध्यम से शैक्षणिक सहयोग पहुँचाया गया। इस प्रशिक्षण शृंखला में अध्यापकों और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया। यह प्रशिक्षण सभी के लिए बहुत उपयोगी रहा, यदि संक्षेप में कहा जाए तो यह सेवाकालीन प्रशिक्षण ऑनलाइन शिक्षण में मील का पत्थर साबित हुआ।

अब ऑनलाइन शिक्षा हमारे शिक्षातंत्र का अभिन्न हिस्सा बन गई है। ब्लैकबोर्ड से लेकर स्मार्टबोर्ड तक बदलती तकनीक का उपयोग

© NCERT not to be republished

क्लासरूम टीचिंग को मजबूत और रुचिकर बनाने के लिए किया जाता है। डिजिटल लाइब्रेरी भी इसी का भाग है। मध्य प्रदेश के विद्यालयों में सुचारु रूप से कक्षाएँ शुरू होने के बाद भी विद्यालय द्वारा व्हाट्सएप समूह के माध्यम से शिक्षण दिया जा रहा है। आज भी विद्यालय के यू-ट्यूब चैनल पर विषयवार वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जिससे जो विद्यार्थी कक्षा में आए थे, उन्हें पुनरावृत्ति करने में सहायता मिलेगी और जो विद्यार्थी विद्यालय नहीं आए थे, वे भी अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख सकेंगे। विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएँ भी निरंतर जारी हैं, जिससे उनके अभिभावकों से भी संपर्क बना रहता है। कोविड-19 महामारी की विषम परिस्थितियों में चाहे प्रशिक्षण हो या फिर शिक्षण हो सभी स्थानों पर ई-लर्निंग ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है और भविष्य में भी ई-लर्निंग का महत्व व उपयोग यथावत रहेगा।

संदर्भ

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *प्रज्ञाता — डिजिटल शिक्षा के लिए दिशानिर्देश.* भारत सरकार, नयी दिल्ली.

———. 2019. *शगुन पोर्टल.* स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

———. 2020. *सार्थक.* स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished

कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सहित वैश्विक स्तर पर विद्यालयी शिक्षा में हुए प्रयासों एवं बदलावों का विश्लेषण

संध्या संगई*

कोविड-19 महामारी वर्तमान पीढ़ी के लिए एक विचित्र अनुभव लेकर आई है। कोई भी कार्यक्षेत्र इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों तथा चुनौतियों के लिए कोई भी हितधारक मानसिक रूप से तैयार नहीं था। अचानक मार्च, 2020 में देश के प्रधानमंत्री द्वारा तालाबंदी (लॉकडाउन) की घोषणा कर दी गई और यह बताया गया कि महामारी के फैलाव को रोकने के लिए आवश्यक है कि लोगों के बीच मेल-मिलाप को बंद किया जाए तथा अन्य सावधानियाँ भी बरती जाएँ। जैसे-जैसे महामारी की पहली लहर का प्रभाव कम हुआ, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा कार्यालय आदि खुलने लगे, लेकिन विद्यालयों पर रोक नहीं हटाई गई। कुछ ही समय बीता कि दूसरी लहर आ गई जो पहली लहर की अपेक्षा अधिक भयावह तथा घातक थी। फिर से लॉकडाउन लगा और समस्त शैक्षिक व्यवस्था ऑनलाइन एवं 'दूरस्थ माध्यमों' पर निर्भर हो गई अर्थात् प्रौद्योगिकी का प्रयोग ही एकमात्र विकल्प था। इस महामारी में विद्यालयी शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय रूप से सर्वाधिक प्रभावित रही। इन परिस्थितियों में विद्यालयी शिक्षा पर आवश्यकता आधारित अनेक यथासंभव प्रयास एवं प्रयोग किए गए ताकि सीखने-सिखाने में नुकसान को कम किया जा सके। इस हेतु भारत सहित विश्व के कई देशों में किए गए प्रयोग बच्चों की पढ़ाई-लिखाई को यथासंभव निरंतर जारी रखने के लिए उपयोगी रहे। अत: यह लेख ऐसे ही विविध प्रयासों एवं पहलों को प्रस्तुत करता है।

कोविड-19 महामारी का यह वैश्विक संकट हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए एक असाधारण समय रहा है। इस दौरान हुए अनुभवों के आधार पर हम यह सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली, नीतिगत प्रक्रियाएँ, प्रबंधक, प्रशासक, अध्यापक, विद्यार्थी और परिवार इन अप्रत्याशित परिस्थितियों में कैसे अनुकूलनीय हो सकते हैं। यह लेख दूरस्थ अधिगम समाधानों (रिमोट लर्निंग सोल्यूशन) की प्रभावशीलता को समझने के लिए विभिन्न देशों में किए गए प्रयोगों के अध्ययन से प्राप्त प्रमुख निष्कर्षों को उजागर करता है। विभिन्न देशों में किए गए प्रयोगों में अध्यापकों द्वारा उठाए गए त्वरित कदमों की अहम भूमिका रही है, जिसका आधार उनके द्वारा बदली हुई परिस्थितियों में सोचे गए मानवीय संबंध तथा संवाद रहे। महामारी के दौर में अध्यापकों की भूमिका तथा उनके द्वारा किए जा रहे शिक्षण में

* *प्रोफेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली 110 016

© NCERT not to be republished

निरंतर परिवर्तन आ रहा है, जो पूर्ववत स्थितियों से बहुत विविध एवं लचीले हैं। इस लेख में विद्यालयी शिक्षा पर भारत सहित अन्य देशों में किए गए कुछ प्रयोगों की जानकारी साझा की गई है, जो विभिन्न शैक्षिक परिस्थितियों में दूरस्थ शिक्षण को सुगम बनाने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

महामारी में अध्यापकों की भूमिका में बदलाव

कोविड-19 महामारी के कारण दो महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। पहला बदलाव, शिक्षणशास्त्रीय अनुकूलन (पैडागॉजिकल अडेब्टेशंस) संबंधी महत्वपूर्ण प्रयोग हुए हैं, क्योंकि पारंपरिक व्याख्यान (व्यक्तिगत) मॉडल दूरस्थ सीखने के परिवेश में उचित रूप से समायोजित नहीं होते हैं। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण के विविध माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जैसे— रेडियो, टीवी, मोबाइल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आदि। अध्यापकों को अपनी शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने और विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया से जोड़े रखने के लिए रचनात्मक होने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में प्रत्येक विद्यार्थी का घर एक कक्षा बन गया है, जो विद्यार्थियों को सीखने में सहयोग करता है, तथा सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करता है। कुछ देश इस प्रक्रिया में अध्यापकों का सहयोग कर रहे हैं तथा उन्हें यथोचित सुविधाएँ भी उपलब्ध करा रहे हैं। उदाहरण के लिए, सिएरा लियोन, जहाँ पर रिमोट लर्निंग (सुदूर अधिगम) का मुख्य माध्यम रेडियो है। विद्यार्थियों के लिए एक 'लाइव' चैनल और टोल-फ्री फोन सुविधा उपलब्ध है, जिसका प्रयोग वे रेडियो पाठों के प्रश्न करने और समय-सारणी के अनुसार अध्यापकों को फोन करने के लिए करते हैं। इस प्रकार के नियोजन से बच्चों को अपने परिवार की दैनिक कार्यों में सहायता करने का समय मिलता है तथा उनके पढ़ने व सीखने का प्रयास भी निरंतर जारी रहता है (बैरोन व अन्य, 2021)।

दूसरा बदलाव, कोविड-19 महामारी के दौरान अध्यापक किस प्रकार अपने समय को विद्यार्थियों के साथ जुड़ने, शिक्षण और प्रशासनिक कार्यों के बीच विभाजित करते हैं। इस पर ब्राजील में इंस्टिट्यूट ऑफ पेनिनसुला द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि 83 प्रतिशत अध्यापकों ने ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने के लिए विचार नहीं किया, 67 प्रतिशत अध्यापक चिंतित थे, 38 प्रतिशत अध्यापक अपने आप को थका हुआ महसूस करते थे, और केवल 10 प्रतिशत या उससे कम अध्यापक संतुष्ट थे। इस महामारी के दौरान विद्यार्थी-अध्यापक संवाद के लिए लचीलापन और अधिक समय की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। हमारे देश में शुरुआत में जब लॉकडाउन लगा था तो शायद किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि इतनी लंबी अवधि तक (लगभग दो अकादमिक सत्र) विद्यालय बंद रहेंगे। परंतु हमारे अध्यापकों ने विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए अपनी ओर से पूर्ण प्रयास किए (बैरोन व अन्य, 2021)।

अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक व्यवस्थाएँ एवं अध्यापकों की भूमिका

यूनेस्को, यूनिसेफ और विश्व बैंक (2020) द्वारा आयोजित कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों पर विभिन्न देशों की शिक्षा व्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 90 प्रतिशत देशों ने शिक्षा व्यवस्था संबंधी दिशा निर्देशों को साझा करते हुए अध्यापकों की सहायता की। इन दिशा निर्देशों में

© NCERT not to be republished

कुछ बिंदुओं पर विशेष बल दिया गया, जैसे— विद्यार्थियों को फीडबैक प्रदान करना, बच्चों की देखभाल करने वालों के साथ निरंतर संप्रेषण व संवाद बनाए रखना तथा सीखने की प्रगति पर नजर रखने के लिए स्थानीय शिक्षा इकाई को रिपोर्ट करना। इस हेतु कुछ राष्ट्रों ने अलग-अलग तरीके अपनाए; उदाहरण के लिए, कोस्टा रिका ने स्वायत्त कार्य के लिए एक गाइड का निर्माण किया, जो वस्तुत: विभिन्न शैक्षिक संसाधनों के साथ बनाया गया एक टूलबॉक्स था। ब्राज़ील में साओ पाऊलो राज्य ने, अपने द्वारा बनाए गए एक मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से नियमित रूप से सचिव तथा अध्यापकों के बीच दो घंटे की अंतर्क्रिया की। इन उपकरणों और अंतर्क्रिया ने राष्ट्रों को अध्यापकों की चिंताओं को बेहतर ढंग से समझने तथा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को समायोजित करने के लिए अध्यापकों के साथ संवाद की एक खुली व्यवस्था स्थापित की। अध्यापकों ने इन दिशानिर्देशों और अनुशंसाओं को लागू करना शुरू किया। साथ ही, उन्होंने दूरस्थ रूप से विद्यार्थियों को शिक्षित करने और फीडबैक प्रदान करने, प्रशासनिक रिपोर्ट भरने तथा अपने परिवारों की देखभाल करने में संतुलन स्थापित किया।

कुछ राष्ट्रों ने शुरू में ही यह मान लिया था कि उनकी सुविचारित अध्यापक सहायता प्रणालियाँ अध्यापकों में उत्साह उत्पन्न कर रही हैं। पेरू के शिक्षा मंत्रालय ने अध्यापकों का फीडबैक प्राप्त किया तथा अध्यापकों के प्रशासनिक कार्यभार को कम करने के लिए दिशानिर्देशों में बदलाव किया। ब्राजील में मिनस गैरस राज्य ने प्रत्येक कक्षा के बाद निर्धारित समय के दौरान अध्यापक तथा विद्यार्थी के बीच अंतर्क्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन 'कोनेक्सो एस्कोला' विकसित किया, ताकि ऐसी स्थिति से बचा जा सके जिसमें विद्यार्थियों ने दिन भर व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज द्वारा अध्यापकों से संपर्क किया हो। उरुग्वे में, अध्यापकों से प्रशासनिक जानकारी भरने के लिए 'GURI', एक डिजिटल प्लेटफॉर्म निर्मित किया गया, जिसका उपयोग अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति और ग्रेड जैसी जानकारी को रिपोर्ट करने के लिए किया गया (बैरोन व अन्य, 2021)।

इन दिशा निर्देशों और उपकरणों को प्रदान करने के अतिरिक्त, कुछ राष्ट्रों ने मौजूदा पेशेवर विकास कार्यक्रमों (प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स), जो इस महामारी से पहले ही प्रयोग में लाए जा रहे थे, का लाभ उठाया। नाइजीरिया में ईदो राज्य ने कक्षा में डिजिटल तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए, पिछले दो वर्षों में ईदोबेस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत सभी 11 हजार प्राथमिक स्कूल अध्यापकों को प्रशिक्षित किया। कोविड-19 महामारी के दौरान, यह सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम फेस-टू-फेस से दूरस्थ प्रशिक्षण में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार, उरुग्वे में, सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों ने दूरस्थ शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए एक मौजूदा अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को ऑनलाइन प्रारंभ किया और सेइबल ने अपने अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम और मुक्त शैक्षिक संसाधन भंडार को मजबूत किया। उरुग्वे के 90 प्रतिशत से अधिक अध्यापक कोविड-19 महामारी के दौरान प्राप्त दूरस्थ प्रशिक्षण से संतुष्ट थे, कुछ अध्यापकों ने आगे भी प्रशिक्षण की आवश्यकता की माँग की। भारत में भी मौजूदा अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम 'निष्ठा' को ऑनलाइन प्रारंभ किया गया।

© NCERT not to be republished

बदलती परिस्थितियों में प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा प्रभाव

कोविड-19 महामारी का सामना करते हुए, विभिन्न देशों ने विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया में अध्यापकों को बेहतर सहायता देने के लिए उच्च-तकनीकी और निम्न-तकनीकी वाले दृष्टिकोणों को जोड़ा। उदाहरण के लिए, कंबोडिया में, शिक्षा के नेतृत्वकर्ताओं ने देश में मोबाइल फोन की उच्च पहुँच का लाभ उठाते हुए एक रणनीति तैयार की, जिसमें एसएमएस, मुद्रित हैंडआउट्स और अध्यापकों की निरंतर प्रतिक्रियाएँ शामिल हैं। सीखने के कार्यक्रमों तक किस प्रकार पहुँचा जाए, यह इसके बारे में जानकारी देता है। यह विद्यार्थियों तक प्रिंट शिक्षण सामग्री की पहुँच सुनिश्चित करता है तथा दूरस्थ शिक्षा गतिविधियों की निगरानी और विद्यार्थियों को परामर्श देने के लिए अध्यापकों द्वारा घर का दौरा कार्यक्रम भी शामिल करता है। अध्यापकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों को प्रत्येक सप्ताह प्रिंट अध्ययन सामग्री प्रदान करें तथा जाँचे गए कार्यपत्रक प्रदान करें तथा अगले सप्ताह के लिए नए कार्यपत्रक दें।

विश्व बैंक के सफल अध्यापकों के मंच ने 'प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग' पर कुछ प्रमुख सिद्धांत निर्धारित किए हैं, जिनका प्रयोग अध्यापकों की प्रभावी भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही, उनके अनुभव तथा कौशल का उपयोग विद्यार्थियों को अधिक सहायता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमारे देश में भी उपयोग किए जा सकते हैं। हमारे देश के अधिकतर राज्यों में भी कोविड-19 महामारी के दौरान बनाई गई रणनीतियों में प्रौद्योगिकी के उचित उपयोग पर विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। (बैरोन व अन्य 2021)।

महामारी के दौरान भारत में किए गए प्रयास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एन.ई.पी.) शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की अनुशंसा करती है। इसमें समय के साथ-साथ विषय-वस्तु तथा सीखने-सिखाने के तरीकों को बदलने का सुझाव दिया गया है। आज के समय में प्रौद्योगिकी मानव जीवनशैली का अभिन्न अंग है। अत: *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रौद्योगिक हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य शिक्षण-अधिगम और आकलन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना, अध्यापकों की तैयारी एवं पेशेवर विकास में सहयोग करना, शैक्षिक पहुँच को बढ़ाना, शैक्षिक नियोजन, प्रबंधन एवं प्रशासन को सरल एवं व्यवस्थित करना, जिसमें प्रवेश, उपस्थिति, मूल्यांकन संबंधी प्रक्रियाएँ आदि सम्मिलित हैं। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को अनिवार्य रूप से रूपांतरित करने में तेजी से उभरती परिवर्तनशील प्रौद्योगिकी पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है (*एन.ई.पी. 2020, 23.5*)।

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थिति में हमारे देश ने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। राष्ट्र तथा राज्य स्तर पर कार्य करने वाले मुख्य संस्थानों एवं संगठनों ने विद्यार्थियों के सीखने-सिखाने की प्रक्रिया तथा अध्यापकों की पेशेवर क्षमता के विकास के लिए कई बदलाव किए। उनमें से कुछ बदलाव इस प्रकार हैं—

© NCERT not to be republished

निष्ठा

निष्ठा (निष्ठा– स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) कार्यक्रम को 'दीक्षा' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया गया। *निष्ठा* पूर्व-प्राथमिक, प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए तैयार किया गया एक अनूठा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2019–20 में की गई थी। प्रत्येक राज्य ने अपने संपूर्ण अध्यापकों एवं विद्यालय प्रमुखों को प्रशिक्षित करने के लिए 'राज्य संसाधन समूह' बनाए तथा 'मुख्य संसाधक व्यक्तियों' की पहचान की गई। इन मुख्य संसाधक व्यक्तियों का व्यापक प्रशिक्षण रा.शै.अ.प्र.प. तथा नीपा के विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है, जिसका आधार न केवल विशेष रूप से तैयार किए गए विभिन्न विषयों पर मॉड्यूल हैं, वरन् विभिन्न कार्यकलापों के आधार पर लाइव सत्र भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे— किस प्रकार 'कला समावेशी शिक्षा' तथा 'स्वास्थ्य एवं कल्याण शिक्षा संबंधी' पहलुओं तथा अन्य शैक्षिक सरोकारों को विद्यालयी विषयों की शिक्षा में समावेशित किया जाए। लॉकडाउन (मार्च 2020) लगने से पहले यह प्रशिक्षण प्रत्यक्ष रूप से (फेस-टू-फेस) चल रहा था। लेकिन कोविड-19 महामारी की विषम परिस्थितियों के कारण रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा इसे 'दीक्षा' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रारंभ किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्यों की माँग के आधार पर संचालित किया जा रहा है।

पीएम ई-विद्या कार्यक्रम

पीएम ई-विद्या कार्यक्रम 24×7 चलने वाला चैनल है, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षित करना है, ताकि विद्यालय बंद होने के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो। इस कार्यक्रम से अपेक्षित अनेक लाभ हैं, जैसे— विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षा मिलना, सीखने की जरूरतों का एक ही स्थान पर समाधान होना, ई-सामग्री के माध्यम से अध्ययन को सुविधाजनक बनाना तथा टीवी पर शिक्षा के लिए समर्पित कक्षावार विशेष चैनल द्वारा उन विद्यार्थियों की मदद करना, जिनकी पहुँच इंटरनेट तक नहीं है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा संचालित किया जा रहा है। कक्षावार पाठ्यपुस्तकों पर आधारित विभिन्न ऑडियो-वीडियो कार्यक्रम विकसित किए गए हैं, ताकि निर्बाध रूप से प्रसारण किया जा सके। इसके अतिरिक्त कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाओं के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित लाइव सत्र भी प्रसारित किए जा रहे हैं। ताकि विद्यार्थी, अध्यापक, अभिभावक तथा अन्य हितधारक को शिक्षण-अधिगम से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सहायता प्रदान की जा सके।

वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर

जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्तमान में आनंदपूर्ण एवं रोचक तरीके से शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न तकनीकी उपकरण और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग विद्यार्थी घर पर रहकर सीखने के लिए कर सकते हैं। विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अकादमिक वर्ष 2020–21 तथा 2021–22 के लिए सभी विद्यार्थियों के सीखने के लिए साप्ताहिक योजना पर आधारित वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर विकसित

© NCERT not to be republished

किए गए हैं। देश के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश इन वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडरों को क्रियान्वित कर रहे हैं तथा उन्होंने इसे अपनी आवश्यकतानुसार अनुकूलित भी किया है।

यह 'वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर' अध्यापकों एवं अभिभावकों का मार्गदर्शन करता है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के संकट में सभी अध्यापक बदली हुई परिस्थितियों में पाठ्यक्रम को किस प्रकार संचालित करें? इस पर मार्गदर्शन चाहते हैं। ऐसे में यह कैलेंडर उन्हें सप्ताह-वार शिक्षण के लिए सुझाव देता है। इसे प्रत्येक कक्षा के लिए तथा प्रत्येक विषय के लिए तैयार किया गया है। 'सीखने के प्रतिफलों' के आधार पर विद्यार्थियों को शिक्षण-अधिगम में किस प्रकार सहायता की जाए? इस संबंध में विभिन्न क्रियाकलाप सुझाए गए हैं, जिनकी सहायता से वह घर पर रहकर अभिभावकों एवं अध्यापकों के मार्गदर्शन में सुचारु रूप से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं।

हमारे देश में एक बड़ा वर्ग उन लोगों का है, जिनके पास घर पर सीखने के लिए डिजिटल संसाधनों की सीमित सुविधाएँ उपलब्ध हैं। ऐसे विद्यार्थी भी हैं, जिनके घर में कोई भी तकनीकी साधन उपलब्ध नहीं है, जिससे लॉकडाउन की अवधि में उन तक पहुँचना और भी कठिन हो गया था। इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद ऐसे विद्यार्थियों तक 'पहुँच' सुनिश्चित करने के लिए अकादमिक सत्र 2021–22 के लिए वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर में विभिन्न वैकल्पिक उपाय सुझाए गए हैं।

सुदूर एवं दुर्गम स्थानों में विद्यार्थियों तक पहुँचने के लिए अध्यापकों द्वारा की गई पहल

- जिन विद्यार्थियों के पास कोई भी तकनीकी साधन नहीं है, उन्हें स्थानीय पुस्तकालयों, आँगनबाड़ियों, अक्षय केंद्रों आदि सहित अपने पड़ोस में सार्वजनिक अध्ययन केंद्रों तक पहुँचने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जहाँ ऑनलाइन कक्षाओं के लिए कंप्यूटर एवं आवश्यक उपकरणों या साधनों की व्यवस्था की गई थी। विद्यार्थी, कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए समय-सारणी के अनुसार सार्वजनिक अध्ययन केंद्रों पर पहुँचे।
- कई राज्यों में पाया गया कि अध्यापक शिक्षार्थियों की पढ़ाई को सुविधाजनक बनाने के लिए उन तक पहुँचे। अध्यापकों ने सुदूर एवं दुर्गम स्थानों की यात्रा की तथा स्थानीय समुदाय के सदस्यों द्वारा उपलब्ध किए गए लाउडस्पीकर का उपयोग शिक्षण-अधिगम गतिविधियों को संचालित करने एवं गृहकार्य सौंपने के लिए किया। शिक्षार्थियों को प्रासंगिक एवं उपयोगी सामग्री दिखाने के लिए अध्यापकों ने अपने मोबाइल फोन का भी उपयोग किया।
- कुछ स्थानों पर लाउडस्पीकर लगी वैन चलाई गई, जहाँ विज्ञान के अध्यापकों ने माइक्रोफोन पर पाठ पढ़ाया। अध्यापकों ने विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों का प्रदर्शन किया। सामुदायिक विद्यालयों की इस अवधारणा ने वास्तव में कई विद्यार्थियों को उनकी सीखने की प्रक्रिया को जारी रखने में मदद की।

© NCERT not to be republished

- कई राज्य सरकारों ने विद्यार्थियों की शिक्षण अधिगम से जुड़ी शंकाओं को दूर करने हेतु (जब भी उन्हें आवश्यकता हो, के लिए) टोल फ्री कॉल सेंटर (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस यानी आई.वी.आर.एस.) की सुविधा का प्रावधान किया है। इस सुविधा ने शिक्षार्थियों को अपने अध्यापकों के साथ अंतर्क्रिया करने एवं सीखने में अंतराल को दूर करने के लिए प्रेरित किया।
- कुछ राज्यों में विद्यार्थियों को गृहकार्य दिए गए, जिन्हें वे सप्ताह में पूरा करके विद्यालय प्रशासन में प्रबंधन समिति के पास जमा करेंगे। अध्यापक समिति से एकत्र करके इन सभी की जाँच करेंगे और प्रबंधन समिति को फीडबैक देंगे, जो आगे विद्यार्थियों को सूचित करेगी। यदि संभव हो तो विद्यार्थी व अध्यापक आपसी वार्तालाप से या मिलकर संदेह का निवारण कर सकते हैं।

(संदर्भ— वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर, 2021–22)

निष्कर्ष

मजबूत शिक्षा प्रणाली का निर्माण करने के लिए विभिन्न देशों को उन शिक्षण-अधिगम पहलों को लागू करने की आवश्यकता होगी, जो ऑनलाइन शिक्षा के दौरान प्रभावी सिद्ध हुई हैं तथा उन्हें नियमित शिक्षा प्रणाली में समावेशित किया सकता है। दूरस्थ (रिमोट) और मिश्रित (ब्लेंडिड) शिक्षा की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए अध्यापकों को सशक्त बनाना, उनमें आवश्यक कौशल विकसित करना और उनकी क्षमता निर्माण में निवेश करना महत्वपूर्ण है। अध्यापकों के समय को प्रशासनिक कार्यों से मुक्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अकादमिक रूप से प्रभावी क्या है? इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि कोविड-19 महामारी और औपचारिक रूप से विद्यालय बंद होने से अध्यापकों की भूमिका बदल गई है। अत: अध्यापकों के लिए यथासंभव समुचित सहयोग सुनिश्चित करने और उन्हें मानसिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सामाजिक-भावनात्मक निगरानी और मनो-सामाजिक सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता है।

संदर्भ

मारिया बैरोन, क्रिस्टोबल कोबो, अल्बर्टो मुनोज-नजर और इनाकी सांचेज सियारुस्ता. 2021. *द चेंजिंग रोल ऑफ टीचर्स एंड टैक्नालोजीस एमिडिस्ट द कोविड-19 पैनडैमिक — की फाइनडिंग्स फ्रॉम ए क्रॉस कन्ट्री स्टडी*. एजुकेशन फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट. 3 अगस्त, 2021 को https://blogs.worldbank.org/education/changing-role-teachers-and-technologies-amidst-covid-19-pandemic-key-findings-cross से प्राप्त किया गया है.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2021. *वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर— प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए.* रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* भारत सरकार, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished

डर है कि हम डर न जाएँ
(कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में भावी शिक्षा पर विमर्श)

मोईनुद्दीन ख़ान*

डर एक ऐसी भावना है जो कहीं न कहीं मानव को निष्क्रिय करती है और वह उसे किसी कार्य को करने से पीछे धकेल देती है, जिसे वह बिना डर के स्वतंत्र रूप से कर सकता था। क्योंकि डर कई कारणों या अकारणों से भी हो सकते हैं। वहीं कमजोर आत्मविश्वासी लोग अनायास ही डरते रहते हैं। परंतु बच्चों में एक सीमा तक इसकी उपस्थिति अनुशासन के लिए ठीक समझी जाती है। बल्कि अच्छा कार्य करने के लिए डर का होना भी जरूरी है। क्योंकि डर मनुष्य को सृजनात्मक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। डर का किसी व्यक्ति या बालक पर जितना सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है उतना ही उसकी अधिकता बालमन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। लेकिन डर की अधिकता किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। किसी भी बालमन पर डर का नकारात्मक प्रभाव न पड़े इसके लिए माता-पिता, परिवार एवं अध्यापक को सतर्क रहना चाहिए। आज समाज में कुछ बिगड़ी हुई परिस्थितियाँ भी डर की वजह बन गई हैं। कोविड-19 (कोरोना वायरस) के काल में आमजन से लेकर अध्यापक, विद्यार्थी, अभिभावक हर कोई डरा और परेशान नजर आया। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या इस डर ने हमें सबल भी किया है? क्या इस परेशानी के समय में कुछ सकारात्मक पहलू भी छिपा है? सामान्य तौर पर यह चिंता का विषय है कि क्या परेशानियाँ और डर हमारे कुछ फायदे के भी हो सकते हैं? शायद इसका जवाब "हाँ" हो सकता है। इस लेख में लेखक ने डर के इसी सकारात्मक पहलू को उजागर करने का प्रयास किया है। साथ ही, बच्चों में डर के प्रभाव को खत्म करने वाले उपक्रमों या उपायों की भी चर्चा की गई है। जो भारत सरकार द्वारा बच्चों के अच्छे व सुनहरे भविष्य के लिए चलाए जा रहे हैं। इस संबंध में इस लेख में अध्यापक-दायित्व पर ध्यान देते हुए जनसाधारण के साथ-साथ विद्यार्थियों के शैक्षिक दृष्टिकोण का भी वर्णन किया गया है।

डर एक नकारात्मक भावना है। यह कई रूपों में प्रकट होता है। इसका सबसे आम स्वरूप गुस्सा और हताशा प्राय: सभी मनुष्य में दिखाई देता है। अधिकतर लोगों को डर एक अप्रिय भावना लगती है। लेकिन इसका बेहतर पक्ष भी सामने आ सकता है। सामान्यत: खतरे की उपस्थिति से उत्पन्न एक बहुत ही अप्रिय भाव को डर कहते हैं या प्रिय स्थिति के दूर हो जाने की संभावना का भाव भी डर कहा जा सकता है। यह पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक पहलू है, क्योंकि मानव विचार इसी से जुड़ा हुआ है। अनिश्चितता भी डर की स्थिति उत्पन्न करती है। वहीं संदेह भी मानव मन को बुरी तरह प्रभावित करता है। डर मनुष्य में तब

*_व्याख्याता_, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नूरसराय- नालन्दा, बिहार, 803113

© NCERT not to be republished

उत्पन्न होता है, जब उन्हें किसी वस्तु, घटना, प्रकृति आदि से किसी भी प्रकार का खतरा महसूस होता हो। अत: यह खतरा किसी भी प्रकार का हो सकता है। हालाँकि, सकारात्मक बात यह है कि डर पर नियंत्रण पाकर उसे सही ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे— डराने वाली चीज का रोज सामना करना, ध्यान, एकाग्रता के साथ चिंता का सामना, कल्पना पर नियंत्रण, समर्पण आदि।

कोविड-19 की भयावहता— हताशा, डर और अकेलापन

कोविड-19 से बचाव के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। लोग घरों में कई महीनों तक बंद रहे और सब कुछ जैसे रुक-सा गया। भागती-दौड़ती जिंदगी में अचानक लगे इस ब्रेक और बीमारी के डर ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालना शुरू कर दिया। इसी के साथ लोगों में चिंता, डर, अकेलापन और अनिश्चितता का माहौल बन गया। सभी लोग इससे जूझे। इस अवधि में कई लोग तो अपने घरों और दोस्तों से भी दूर रहे। वे अकेले ही अप्रिय हालात से निपट रहे थे। एक कमरे में कैद रहकर अनिश्चित भविष्य के बारे में सोचकर वे परेशान होते रहे। लोगों को परेशान करने वाली तीन बड़ी वजहें थीं। पहला, कोरोना वायरस से संक्रमित होने का डर, दूसरा, नौकरी और कारोबार को लेकर अनिश्चितता तथा तीसरा, लॉकडाउन के कारण आया अकेलापन। विशिष्ट तौर पर विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं, आगे की कक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य को लेकर बेहद चिंता में रहे। घरों में रहकर वे परेशान हो चुके थे। परंतु सरकार का ध्यान इस ओर तुरंत आकृष्ट हो गया और इस दिशा में बेहतर कदम उठाए जाने लगे।

डर का सकारात्मक पहलू

यदि आप को थोड़ा भय है तो यह एक सहज बात है। जिस प्रकार भोजन में थोड़े नमक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आदर्शपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए जीवन में थोड़ा भय होना आवश्यक है। आप थोड़ा सोचें कि यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी बात का भय न हो, तो क्या होगा? हर तरफ शायद लापरवाही या अराजकता फैल जाएगी। यदि असफलता का भय न हो तो विद्यार्थी पढ़ना छोड़ देंगे। यदि किसी को बीमार होने का डर न हो, तो अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करेगा। नियम-कानून का डर न हो तो अपराध अनियंत्रित हो जाएगा। इसलिए, जीवन में थोड़े डर के होने की उपयोगिता को पहचानना होगा।

डर के लाभ

हालाँकि, डर को एक नकारात्मक भावना के रूप में लिया जाता है, लेकिन हर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। डर भी इसका अपवाद नहीं। डर के कुछ लाभ हो सकते हैं, जैसे—

- डर से अनुशासन बना रहता है।
- डर से नयी राह और सृजनात्मकता उत्पन्न होती है।
- डर से ही कुछ कर गुजरने का जुनून भी जागता है।
- डर हमें सर्वश्रेष्ठ तक पहुँचा सकता है।
- सबसे मुश्किल परिस्थिति में लड़ने में डर ही सहायक होता है।
- डर स्वयं के प्रति सजग भी करता है एवं स्वयं की क्षमताओं को पहचानने का अवसर भी देता है।
- डर की स्थिति गुजर जाने पर हम और मजबूत महसूस करते हैं।
- डर के विरुद्ध संघर्षों के बाद जीत के भी खूब उदाहरण मिलते हैं।

© NCERT not to be republished

कोविड-19 सिर्फ परेशानी नहीं लाया

इस महामारी (कोविड-19) की वजह से दुनिया भर के लोग मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। लगभग सारी दुनिया पूरी तरह लॉकडाउन की स्थिति में पहुँची। हजारों लोग विलगन में रहे, अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई और बहुत से लोगों के रोजगार छिन गए। यह स्थिति कब तक रहेगी; इस बारे में भी कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन परेशान करने वाली इन सब बातों के बीच कुछ ऐसी चीजें भी सामने आई हैं, जिन्हें सकारात्मक बदलाव के तौर पर देखा जा सकता है, जो इस प्रकार हैं—

- प्रदूषण में बहुत कमी आयी है।
- पानी स्वच्छ हुआ है (गुणवत्ता में सुधार हुआ है)।
- सड़क दुर्घटनाओं में भारी गिरावट आई है, क्योंकि लोग घरों में रहे।
- लोगों में दान, उदारता, सहानुभूति आदि के गुण बढ़े (देखने को मिले)।
- लोगों में एकता बढ़ी।
- लोग नियमों के प्रति जागरुक हुए।
- लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हुए।
- लोगों में सृजनात्मकता बढ़ी।
- लोगों ने समय का सदुपयोग सीखा।
- लोगों ने परिवार के साथ समय बिताया।
- लोगों में "अध्ययन आदत" बढ़ी।
- पुस्तकों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा।
- कार्यालय-कार्य का वैकल्पिक रूप वर्क फ्रामहोम सामने आया।
- लोगों को विपरीत परिस्थिति से निपटने का हुनर मालूम हुआ।
- लोगों में सीमित संसाधनों में जीवन निर्वाह का कौशल विकसित हुआ।
- भविष्य के लिए लोग तैयार हो गए।
- जीव-जन्तुओं के प्राकृतिक वास में मानव के दखल में कमी आए। इत्यादि

बाउन्स बैंक बैच— मुसीबत से उबरकर मजबूत हुआ खेप

आमतौर पर कहा जाने लगा है कि कोरोना महामारी की मार झेला हुआ यह युवा समूह कुछ डरा-सा होगा, उसकी पढ़ाई बाधित हुई, उसने कम पढ़ाई की, कुछ नहीं सीखा, ऐसे ही सफल घोषित किया गया और आगे चलकर हारा हुआ साबित हो सकता है। जबकि वास्तव में यह एक ऐसी खेप या पीढ़ी है, जिसने बड़ी परेशानी को झेलकर अपनी जीत दर्ज की है। उस पर भी एक बात तो तय है कि अब कोरोना से छोटी या उसके बराबर की परेशानी इस पीढ़ी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसका हौसला बुलन्द है। ये समझने की बात है। इस संदर्भ में एच.डी.एफ़.सी. का जीवन बीमा का विज्ञापन बहुत सार्थक और रोचक जान पड़ता है। उन्होंने शैक्षिक संदर्भ में ही उदाहरण पेश किया है। उनके अनुसार, यदि आपके पास पारिवारिक सहयोग है तो किसी भी मुसीबत से उछलकर बाहर आना संभव है।

इस विज्ञापन को लेखक ने अपने शब्दों में बताने की चेष्टा की है। स्कूल के आखिरी दिन का दृश्य है। सभी शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक विद्यालय में उपस्थित हैं। एक बैच पास होकर स्कूल से जा रहा है। ये वो बैच है जो बिना परीक्षा के ही पास हुआ है (कोरोना के कारण)। एक बच्ची मंच पर चढ़ती है और बोलना शुरू करती है। लेकिन वो सिर्फ इशारों

© NCERT not to be republished

से बात करती है। लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर बच्ची कहना क्या चाहती है। उसके अभिभावक उसे मूक इशारे करते देख अचरज में पड़ जाते हैं। तभी वो कहती है कि माफ कीजिएगा, मैं अनम्यूट करना भूल गयी (कोरोना काल में ऑनलाइन कक्षाओं की ओर उसका इशारा होता है)। उसके इन्हीं शब्दों के साथ लोग हँसना शुरू कर देते हैं। वह क्या कहती है? और उसके कहने में क्या संदेश और विश्वास छिपा हुआ है? वह इस प्रकार है—

"नमस्कार! 2022 के साथियों। वैसे ये तो हमारा कागज़ी नाम है; आमतौर पर तो लोग हमें कोविड बैच भी बुलाते हैं। आज हम सब पास हो रहे हैं और सभी शिक्षकों व लोगों को हमें झेलने के लिए धन्यवाद; वो भी ऑनलाइन। दुनिया तो यही कह रही कि ये लोग भी पास हो रहे हैं! कभी स्कूल तो गये ही नहीं। व्यावहारिक अनुभव भी शून्य। रिपोर्ट कार्ड पर क्या लिखोगे? और हासिल? बस पड़े रहे दो साल घर पर। दुनिया ने तो हमारा रिपोर्ट कार्ड लिख दिया, पर दुनिया ये नहीं जानती कि हम क्या लिखेंगे। मैं लिखूँगी कि बेबस हुए फिर भी मेरी फीस पूरी भरी गयी (विशेषकर कुछ निजी विद्यालयों के संदर्भ में), माँ को एक सेकण्ड भी बैठते नहीं देखा ताकि मुझे ऑनलाइन क्लास के बीच उठना न पड़े, पापा को ऑक्सीजन सिलेंडर से साँस लेते देखा फिर भी पापा को यही चिंता थी कि मेरी केमेस्ट्री की पढ़ाई ठीक से हो रही है कि नहीं। शिक्षकों ने भी निरंतर हमारी पढ़ाई के सुगम साधन उपलब्ध कराए व समय-समय पर मार्गदर्शन देते हुए अभिप्रेरित किया। जब पूरी दुनिया को पता नहीं था कि कल क्या होगा; हमारा भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारे अभिभावकों एवं शिक्षकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये जो हमने इनसे सीखा; कोई भी किताब नहीं सिखा पाती। बड़ी से बड़ी मुश्किल से उबरने का ये कठिन हुनर था। आज हम गर्व से आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ डटकर खड़े रहे। इसीलिए आपको हमारे जैसा बैच कभी नहीं मिलेगा। धन्यवाद।"

मनोदर्पण— मनोवैज्ञानिक सहयोग और मानसिक स्वास्थ्य की पहल

डर और मानसिक परेशानियों से बाहर आने के लिए सरकार भी सार्थक कदम उठा रही है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 'मनोदर्पण' योजना 21 जुलाई, 2020 को शुरू की गई है।

खबरों में क्यों?

- इसका उद्देश्य कोविड-19 के समय एवं उसके बाद विद्यार्थियों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है।
- इसमें स्कूलों, विश्वविद्यालयों और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन (8448440632) शामिल है, जिसे अनुभवी परामर्शदाताओं, मनोवैज्ञानिकों और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के एक पूल (संयुक्त समूह) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- इसमें एक वेबसाइट https://manodarpan.education.gov.in/ पर परामर्शदाताओं का एक राष्ट्रीय समूह भी सक्रिय है (या डेटाबेस उपलब्ध है) जो वेबिनार और अन्य संसाधनों के माध्यम से एक ऑनलाइन चैट प्लेटफॉर्म,

© NCERT not to be republished

सलाह और सुझावों आदि की लगातार मेजबानी कर रहा है।

- यह कोविड-19 के मद्देनजर मानव पूँजी (human capital) को मजबूत करने और शिक्षा क्षेत्र के लिए उत्पादकता बढ़ाने के एक तत्व के रूप में कार्य कर रहा है।
- कोविड-19 के कारण लॉकडाउन ने स्कूलों और कॉलेजों को बन्द करने के लिए मजबूर किया था। इसलिए, यह बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता को भी तनावपूर्ण परिस्थितियों से उबरने में सहायता कर रहा है।

एग्जाम वॉरियर्स (परीक्षा योद्धा)

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित 'परीक्षा योद्धा' युवाओं के लिए एक प्रेरक पुस्तक है। मनोरंजक और संवादात्मक शैली में लिखी गई, चित्रों, गतिविधियों और योग अभ्यासों के साथ, यह पुस्तक न केवल परीक्षा में बल्कि जीवन कौशल सीखने में भी मित्र होगी। गैर-उपदेशात्मक, व्यावहारिक और विचारोत्तेजक, 'परीक्षा योद्धा' भारत और दुनिया भर के विद्यार्थियों के लिए एक आसान मार्गदर्शक है। यह पुस्तक उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो परीक्षा दे रहे हैं। वे 'परीक्षा योद्धा' हैं— परीक्षा के उत्सव में भाग लेने वाले बहादुर युवा। पुस्तक इस महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ले जाती है कि जब परीक्षाओं की बात आती है, तो अत्यधिक चिंता करने या इसे जीवन-मृत्यु की स्थिति के रूप में देखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

पुस्तक तनाव मुक्त परीक्षाओं के महत्व और अंकों पर ज्ञान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता के आसपास बहस और प्रवचन को जोड़ने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य एक उत्प्रेरक बनना है जो चर्चाओं को गति प्रदान करेगा जिसके अंतिम लाभार्थी हमारे परीक्षा योद्धा होंगे। जितना अधिक हम इन मुद्दों के बारे में बात करते हैं, अपने विचारों और अनुभवों को साझा करते हैं और दूसरों से सीखते हैं, उतना ही अधिक यह सुनिश्चित करने की संभावना होगी कि हमारे बच्चों का बचपन मजेदार हो, जिसके वे हकदार हैं। यह सुनिश्चित करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है कि उनका बचपन परीक्षाओं के बोझ और 'मैं आगे क्या करूँ?' की निरंतर चिंता से प्रभावित न हो।

'परीक्षा योद्धा मॉड्यूल' ऐप पर भी उपलब्ध है। यह प्रत्येक उस मूल संदेश को संप्रेषित करता है जो प्रधानमंत्री ने 'एग्जाम वॉरियर्स' पुस्तक में लिखा है। यह मॉड्यूल न केवल युवाओं के लिए बल्कि माता-पिता और शिक्षकों के लिए भी है। प्रत्येक व्यक्ति उन मंत्रों और अवधारणाओं को आत्मसात कर सकता है, जो प्रधानमंत्री ने परीक्षा योद्धाओं में लिखे और उन्हें चित्रमय रूप से दर्शाया गया है। मॉड्यूल में विचारोत्तेजक लेकिन आनंददायक गतिविधियाँ भी हैं, जो व्यावहारिक माध्यमों से अवधारणाओं को आत्मसात करने में मदद करती हैं।

परीक्षा पे चर्चा

विद्यार्थियों को सबसे अधिक परेशानी परीक्षा से होती है। परीक्षा नजदीक आते ही वे सदमे में आ जाते हैं। मालूम पड़ता है कि डर से वे किसी पहाड़ के बोझ तले दबे जा रहे हों। खाना-पीना भी छूट जाता है। ऐसा सिर्फ घबराहट और डर के कारण होता है। हालाँकि, शोध बताते हैं कि अगर डर और चिन्ता को ठीक से समझकर उसको सही मार्ग दिखा दिया जाए तो इसे सकारात्मक ऊर्जा में बदला जा सकता है।

© NCERT not to be republished

भारत में परीक्षा पर बहस या चर्चा, वर्ष 2018 से हर साल यह वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस आयोजन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री देश भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करते हैं और अपने मूल्यवान सुझाव साझा करते हैं। परीक्षा को आराम से और तनावमुक्त तरीके से लेने के लिए प्रेरित करते हैं। परीक्षा पर चर्चा हेतु शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों से परीक्षा के तनाव से जुड़े प्रश्नों को आमंत्रित किया जाता है। परीक्षा पे चर्चा युवाओं के लिए तनावमुक्त माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े आन्दोलन 'एग्जाम वॉरियर्स' (किताब) का हिस्सा है। यह प्रधानमंत्री के विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और समाज को एक ऐसे माहौल को बढ़ावा देने के प्रयासों से प्रेरित है जहाँ प्रत्येक बच्चे के अद्वितीय व्यक्तित्व का जश्न मनाया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है और खुद को पूरी तरह व्यक्त करने की अनुमति दी जाती है।

आर.टी.ई. एक्ट, 2009 क्या कहता है?

आर.टी.ई. एक्ट, 2009 विद्यार्थियों में परीक्षा के भय एवं अन्य शैक्षिक कारणों से उत्पन्न भय को दूर करने हेतु निर्देशित है। चाहे जो भी हो, इस अधिनियम के प्रावधान हमारे बच्चों की शिक्षा के स्तर पर बड़ा बदलाव ला रहे हैं (इसमें उनका मानसिक आयाम भी शामिल है)। अपनी दूरगामी सोच में आर.टी.ई. के आर्किटेक्ट्स का मानना था कि दसवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा में पदोन्नति स्वचालित होनी चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा परीक्षा या मूल्यांकन प्रणाली में असफल न हो और उसी ग्रेड में वापस न हो। इस विश्वास का तर्क यह प्रतीत होता है कि बच्चे असफलता से डरते हैं, परीक्षाओं में विफलता हो सकती है; इसलिए परीक्षाओं से बच्चों को मानसिक आघात पहुँचता है। साथ ही कम उम्र में असफलता आत्म सम्मान की हानि की ओर ले जाती है। यह माना जाता है कि परीक्षाएँ स्कूलों से बच्चों के उच्च अनुपात में गायब रहने का कारण हैं। इसलिए अगर हमें स्कूलों में उपस्थिति में सुधार करना है, तो हमें परीक्षाओं से दूर रहना चाहिए।

इस बात से शायद ही कोई असहमत हो कि अधिकतर बच्चे परीक्षाओं से घृणा करते हैं। कहीं न कहीं हम जाने-अनजाने हम उन्हें मौका दे रहे हैं (मजबूर कर रहे हैं) कि वे स्कूल छोड़ें। अब सवाल ये है कि क्या असफलता के डर से पूरी तरह बचना चाहिए (या डटकर उसका सामना करना) या परीक्षा ही समाप्त करनी चाहिए? दूसरा रास्ता आसान है, परीक्षा से दूर रहें और आप असफलता के डर से दूर हो जाएँ। लेकिन पहला वाला रास्ता अधिक कठिन जान पड़ता है। असफलता का सामना करना सीखना स्कूलों, शिक्षकों और अभिभावकों को भी यह सुनिश्चित कराता है कि वे अधिक जिम्मेदारी लें कि बच्चे असफल न हों। अगर किसी खास मामले में जहाँ कोई विद्यार्थी असफल हो और उसे एक कक्षा दोहराने की आवश्यकता हो तो उसे सिखाना चाहिए कि असफलता जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इस संबंध में यह अधिनियम कुछ सहजता प्रदान करता है, जैसे—

- एक गैर-प्रवेशित बच्चे का आयु उपयुक्त कक्षा में प्रवेश।

© NCERT not to be republished

- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सरकारों, स्थानीय अधिकारियों और माता-पिता के कर्तव्य और उत्तरदायित्व निर्धारित करना।
- शिक्षा के लिए मानदण्ड और मानक।
- जिला समुच्चय के आधार पर प्रत्येक स्कूल में इष्टतम विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात।
- उचित रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति।
- सभी रूपों में शारीरिक दण्ड का निषेध।
- संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यचर्या का विकास जो बच्चे के समग्र विकास, बच्चे के ज्ञान, संभाव्यता और प्रतिभा निखारने तथा बच्चे की मित्रवत प्रणाली और बाल-केन्द्रित ज्ञान की प्रणाली के माध्यम से बच्चे को डर, चोट और चिंता से मुक्त बनाने को सुनिश्चित करेगा।

परीक्षा का तनाव और भय कम करने के प्रयास में— सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (बाल हितैषी परिवेश)

इस सम्बन्ध में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) के सिद्धांतों का दर्शन इस प्रकार है—

- सभी बच्चे सीखने में सक्षम होते हैं। यह वयस्कों, विशेष रूप से शिक्षकों का उत्तरदायित्व है कि वे सुनिश्चित करें कि बच्चे प्रत्येक स्तर और कक्षा के सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने की अपनी क्षमताओं का पूरा-पूरा उपयोग करें।
- शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे प्रत्येक बच्चे के साथ स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित करें, जिससे उनकी विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। बच्चों, माता-पिता, संरक्षकों के साथ नियमित संवाद करने से और अन्य शिक्षकों से उनकी रुचियों, पसंद-नापसंद और व्यवहार के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से इस प्रक्रिया में सहायता मिल सकती है।
- इस प्रकार का भयमुक्त परिवेश बनाना आवश्यक है, जहाँ बच्चे स्वतंत्र रूप से स्वयं को अभिव्यक्त कर सकें, अपने शिक्षक पर भरोसा कर सकें और अपनी पसंद, नापसंद या समस्याओं को निःसंकोच रूप से शिक्षक के साथ साझा कर सकें। यदि कोई मुद्दा हो तो शिक्षक को जल्दबाजी में किसी निर्णय पर नहीं पहुँचना चाहिए, बल्कि माता-पिता, अभिभावकों व अन्य शिक्षकों के साथ उस पर बातचीत करनी चाहिए।
- सकारात्मक अनुशासन बनाए रखने के लिए वैकल्पिक कार्यनीतियाँ कक्षा में लागू होनी चाहिए। इसके लिए अभिभावकों को भी विश्वास में लेने की आवश्यकता है।
- यदि किसी बच्चे को शारीरिक या भावात्मक परेशानी है तो उसे माता-पिता की भागीदारी से परामर्शदाताओं या चिकित्सकों से मिलने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- बच्चों की विशिष्ट योग्यताओं और उनके सीखने की गति की पहचान करके, विभिन्न गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को धैर्य रखने की आवश्यकता होती है ताकि बच्चों को सीखने, प्रगति करने और समयबद्ध तरीके से कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने में सहायता मिल सके।
- शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त स्थान, विविध अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाएँ।
- समय-सारणी में लचीलापन रखें।

© NCERT not to be republished

- शिक्षक को छूट हो कि वह कक्षा में की जाने वाली गतिविधि के अनुरूप बच्चों के बैठने की व्यवस्था को बदल सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के सिद्धांत— गौरवशाली इतिहास की मिट्टी का पौधा

यह पूरी तरह से बाल-हितैषी दस्तावेज है, जो बहुत हद तक शिक्षा प्रणाली की कमियों को पूरा करने, तनावरहित माहौल बनाने और विकास के मार्ग पर ले जाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य तर्कसंगत विचार, कार्य करने में सक्षम बनाना, करुणा, सहानुभूति, साहस, लचीलापन, वैज्ञानिक स्वभाव और नैतिक मूल्यों वाले व्यक्तियों का विकास करना है। इसका उद्देश्य हमारे संविधान द्वारा परिकल्पित एकसमान, समावेशी और बहुल समाज के निर्माण के लिए लगे हुए, उत्पादक और योगदान करने वाले नागरिकों का निर्माण करना है। एक अच्छा शिक्षण संस्थान वह होता है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी का स्वागत और देखभाल की जाती है, जहाँ एक सुरक्षित और आनंददायक सीखने का माहौल मौजूद होता है। जहाँ सीखने के अनुभवों की एक विस्तृत शृंखला पेश की जाती है, और जहाँ सभी के लिए सीखने के लिए अनुकूल भौतिक बुनियादी ढाँचा और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध होते हैं। इन गुणों को विद्यार्थियों को प्राप्त करवाना प्रत्येक शिक्षण संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए। इस नीति के बुनियादी सिद्धांत जो बड़े पैमाने के साथ-साथ संस्थान के स्तर पर भी शिक्षा प्रणाली का मर्गदर्शन करेंगे; वे इस प्रकार हैं—

- शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक, दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यार्थी के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के साथ-साथ माता-पिता को भी संवेदनशील बनाकर प्रत्येक विद्यार्थी की अद्वितीय क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना।
- ग्रेड 3 तक के सभी विद्यार्थियों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता।
- लचीलापन, ताकि शिक्षार्थियों के पास अपने सीखने के मार्ग और कार्यक्रमों का चयन करने की क्षमता हो और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचि के अनुसार जीवन में अपना रास्ता खुद चयन कर सकें।
- कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यचर्या और पाठ्येत्तर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच कोई कठिन अलगाव न हो ताकि सीखने के विभिन्न क्षेत्रों के बीच दूरी को समाप्त किया जा सके।
- सभी ज्ञान की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने के लिए (एक बहु-विषयक दुनिया के लिए) विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल में बहु-विषयकता और समग्र शिक्षा का समावेश।
- रटकर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने के बजाय वैचारिक समझ पर जोर।
- तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा।
- नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य, जैसे— सहानुभूति, दूसरों के प्रति सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान,

© NCERT not to be republished

वैज्ञानिक स्वभाव, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलवाद, समानता और न्याय आदि को बढ़ावा।

- बहुभाषावाद, शिक्षण और सीखने में भाषा की शक्ति को बढ़ावा देना।
- जीवन-कौशल, जैसे— संचार, सहयोग, समूह कार्य और लचीलापन को बढ़ावा।
- योगात्मक आकलन के बजाय सीखने के लिए नियमित रचनात्मक आकलन पर जोर।
- शिक्षण और सीखने में प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग।
- भाषा की बाधाओं को दूर करना।
- शिक्षा के सभी क्षेत्रों तक दिव्यांग विद्यार्थियों की पहुँच।
- अच्छी शैक्षिक-योजना और प्रबंधन।
- विविधता के लिए सम्मान।
- सभी पाठ्यक्रम, शिक्षणशास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ को स्थान एवं सम्मान।
- बचपन की देखभाल से लेकर शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में तालमेल।
- सकारात्मक कार्य वातावरण।
- स्वायत्तता, सुशासन और अधिकारिता के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना।
- ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से शैक्षिक प्रणाली की अखण्डता, पारदर्शिता और संसाधन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक हल्का लेकिन सख्त नियामक ढाँचा।
- उत्कृष्ट शिक्षा और विकास के लिए मूल आवश्यकता के रूप में उत्कृष्ट शोध।
- निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की निरंतर समीक्षा।
- भारत की एकता, गौरव, इसके समृद्ध इतिहास, प्राचीन और आधुनिक संस्कृति, ज्ञान प्रणाली, विविध परम्पराओं आदि का संरक्षण, संवर्धन एवं विस्तार करना।
- शिक्षा को एक सार्वजनिक सेवा माना जाना।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच को प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार माना जाना।
- एक मजबूत तथा जीवन्त सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के साथ-साथ, सच्ची परोपकारी निजी और सामुदायिक भागीदारी के प्रोत्साहन और सुविधा में पर्याप्त निवेश की व्यवस्था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का विजन— बेहतर कल की ओर

- यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय लोकाचार में निहित एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके, भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर एकसमान जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान देती है। नीति में परिकल्पना की गयी है कि हमारे संस्थानों के पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र को विद्यार्थियों के बीच मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी भावना विकसित करनी चाहिए। विश्व का अपने देश के साथ संबंध और बदलती दुनिया में भारत की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता जरूरी है। नीति का दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच न केवल विचार में, बल्कि आत्मा, बुद्धि और कर्मों में भी भारतीय होने का गहरा गर्व पैदा

© NCERT not to be republished

करना है। साथ ही इसका उद्देश्य ज्ञान, कौशल, मूल्यों और अच्छे स्वभाव का विकास करना है जो मानवाधिकारों, सतत विकास, रहन-सहन, वैश्विक भलाई के लिए जिम्मेदार प्रतिबद्धता आदि का समर्थन करते हैं। सारा प्रयास यह है कि वास्तव में एक वैश्विक मानवीय नागरिक तैयार किया जा सके।

शिक्षक का दायित्व

एक शिक्षक विद्यार्थियों का प्रथम परामर्शदाता होता है। अत: उसे विद्यार्थियों को समझकर उनके भय को दूर करते हुए उन्हें भावी जीवन के लिए एक मानवीय नागरिक बनाने हेतु प्रयास करने होंगे। वही उनका जीवन सारथी सिद्ध हो सकता है। ऐसे ही कुछ जिम्मेदारी से जुड़े बिंदुओं की चर्चा इस प्रकार है—

- विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का संचार करें।
- उनकी सराहना करें और अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित करें।
- उन्हें स्वयं को स्वीकार करना सिखाएँ।
- उन्हें अपनी क्षमताओं को जानने की कोशिश करवाएँ, क्योंकि हर किसी की एक अलग पहचान और अलग क्षमता होती है। इसलिए, इस बात को सहर्ष स्वीकार करवाएँ कि वे क्या हैं और क्या-क्या कर सकते हैं। हो सकता है, जो वो (कोई बच्चा विशेष) कर सके, वो कोई और न कर पाए। वे स्वयं को कमतर न समझें।
- बच्चों को नकारात्मक चीजो और विचारों से बचाएँ।
- तय करें कि बच्चे वही काम करें जिन कामों में उनकी रुचि हो।
- उन्हें छोटी- छोटी सफलताओं से आगे बढ़ना सिखाएँ।
- उन्हें अपनी सफलताओं पर ध्यान केन्द्रित करना सिखाएँ।
- बच्चों को स्वतंत्रता (सकारात्मक) के महत्व को बताएँ।
- उन्हें सामाजिक होना सिखाएँ। यह चीज उनके समूह को बड़ा करेगी और उनका डर साझा होकर छोटा प्रतीत होगा।
- तुलना भी हीनभावना विकसित करती है जो डर का रूप ले सकती है। अतः बच्चों को तुलना से बचने की शिक्षा दें।
- समय-समय पर उनका साक्षात्कार लेकर उन्हें परामर्श देते रहें।
- बच्चों को दर्पण को अपना मित्र बनाना सिखाएँ (अर्थात् वे स्वयं का मूल्यांकन करना भी सीख लें)।
- उन्हें अपनी प्राथमिकता जरूर पता हो, इस बात को तय करें। कहीं ऐसा न हो कि वे बेकार के कामों और चिन्ता में उलझे रह जाएँ।
- पुरानी बातों को भुलाना और भरोसा करना सिखाएँ।
- शिक्षक बाल मनोविज्ञान का अध्ययन जरूर करें।
- उन्हें कठिनाइयों से लड़ना सिखाएँ।
- सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षक अपने बच्चों को न्यूनतम विद्यालयी अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास करने में समर्थ बनाएँ।
- उन्हें अपनी दिनचर्या संयमित करना सिखाएँ।
- यह भावना हमें स्वयं में और बच्चों में जगानी होगी कि इस संसार को लोगों के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए हमारी तरह ही अलग-अलग जगहों पर कई लोग लगे हुए हैं। इस मिशन में हम अकेले नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सकारात्मक सोचते हैं।

© NCERT not to be republished

निष्कर्ष

ऊपर की चर्चा से एक बात साफ है कि डर कुछ मामलों में हानिकारक तो है लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। डर (एक तरह से थोड़ी चिन्ता) कहीं न कहीं हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है, अनुशासित रखता है और बेहतरी की ओर मोड़ता है। डर के मनोविज्ञान को समझकर शिक्षक अपने विद्यार्थियों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करके उन्हें शानदार एवं जिम्मेदार नागरिक बनकर उत्तम राष्ट्र निर्माण हेतु अग्रसर कर सकते हैं। हमारी सरकार भी इस दिशा में सही कदम उठाते हुए कमर कस चुकी है। प्रत्येक शिक्षक को इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझना चाहिए कि कक्षा का हर बच्चा अनुशासित होकर आगे बढ़े और राष्ट्रहित में सफलता के नये द्वार खोले।

संदर्भ

एच.डी.एफ.सी. 2022. बाउन्स बैक बैच. (विडियों). 6 फरवरी 2022. को https://youtu.be/oi1ntQwBJ9Y से प्राप्त किया गया है.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नयी दिल्ली।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण. 2020. *सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (दिशानिर्देश)*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished

शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षण
नगरीय अध्यापकों के विश्वास

रवनीत कौर*

अध्यापकों के विश्वास उनकी व्यक्तिगत धारणाओं और मतों को व्यक्त करते हैं, जिसका प्रभाव उनके अभ्यासों पर भी पड़ता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस शोध पत्र में दिल्ली के निजी विद्यालयों में अध्यापन करने वाले अध्यापकों के विश्वासों को प्रस्तुत किया गया है जो शोध अध्ययन पर आधारित है। इस शोध अध्ययन का उद्देश्य यह ज्ञात करना था कि कैसे विद्यालय और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि अध्यापकों के विश्वासों को निर्धारित करती है? इस शोध अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि निजी विद्यालयों के अध्यापक, शिक्षा के लक्ष्यों को शिक्षार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक गतिशीलता और मूल्य पोषण के अनुरूप देखते हैं। वे शिक्षार्थियों को समरूप सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधि मानते हैं, जिनमें वैयक्तिक भिन्नता को मनोवैज्ञानिक चरों, जैसे— संज्ञान, रुचि और अभिवृत्ति के संदर्भ में देखते हैं। अध्यापकों के शिक्षणशास्त्रीय विश्वास, व्यावहारवादी अनुशासन एवं प्रबंधन तथा निर्माणवादी शिक्षण के मिश्रित रूप को प्रकट करते हैं। इन्हीं के आलोक में यह शोध अध्ययन दर्शाता है कि सेवारत और सेवा-पूर्व अध्यापकों के विश्वासों को संबोधित करने पर ही उन्हें शैक्षिक सुधारों का अभिकर्ता बनाया जा सकता है।

शिक्षा नीतियों एवं शैक्षिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए अध्यापकों की केंद्रीय भूमिका होती है। यदि हम अपने आसपास स्थानीय स्तर पर देखें तो विद्यालयों की अधिगम-संस्कृति, समुदाय से विद्यालय के संबंध, विद्यालय में समावेशन, शिक्षा के अवसरों की उपलब्धता और शिक्षार्थियों की उपलब्धि पर अध्यापकों की भूमिका का सीधा प्रभाव पड़ता है। अध्यापकों की भूमिका संबंधित दैनिक अवलोकनों से यह भी प्रकट होता है कि अध्यापक केवल शिक्षार्थियों को पढ़ाते ही नहीं, बल्कि वे विद्यालय के संचालन, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के विकास और आकलन की प्रक्रिया के भी भागीदार होते हैं। वे शिक्षार्थियों के साथ मनोसामाजिक संबंध भी विकसित करते हैं और उनका मार्गदर्शन एवं सहयोग करते रहते हैं। प्रायः अध्यापकों की अकादमिक पृष्ठभूमि को उनके सेवा-पूर्व प्रशिक्षण और उनकी शिक्षणशास्त्रीय दक्षताओं व रुचियों आदि को अध्यापकों के निष्पादन के पैमाने के रूप में देखा जाता है और इनके सापेक्ष ही उनकी भूमिका को परिकल्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है

*असिस्टेंट प्रोफेसर, माता सुंदरी महिला महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली 110002

© NCERT not to be republished

कि ये कारक अध्यापकों के चिंतन और उनके सीखने-सिखाने के तरीकों के निर्धारक होते हैं। इसी कारण अध्यापकों के वेतन व भत्ते, कक्षा में उनकी उपस्थिति, विषय के प्रति अभिरुचि, शिक्षणशास्त्रीय दक्षताओं के आधार पर उनके शिक्षण अभ्यास की व्याख्या करने वाले अनेक शोध कार्य हुए हैं।

हाल के कुछ वर्षों में यह पाया गया है कि उक्त परंपरागत कारकों के साथ-साथ अध्यापकों के विश्वास, धारणाएँ और परिप्रेक्ष्य भी उनके शिक्षण के अभ्यास को प्रभावित करते हैं (क्लार्क 2003, ब्रिंकमैन, 2015)। पिछले कुछ वर्षों से अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों के विश्वास का अध्ययन एक महत्वपूर्ण शोध क्षेत्र के रूप में उभरा है। यह माना जाता है कि यदि शिक्षण की प्रक्रिया को अध्यापकों की दृष्टि से समझना है और उसमें सुधार से संबंधित अदृश्य कारकों का निवारण करना आवश्यक है तो इस हेतु अध्यापकों के विश्वासों का अध्ययन करना भी एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके साथ-साथ यह भी ध्यान रखना है कि स्वाभाविक एवं नियमित दिनचर्या से जुड़े परिवेश में अध्यापकों के निर्णय जिन चरों के प्रभाव में घटित होते हैं, उन्हें समझने के लिए उनके विश्वासों का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। इसके मूल में आधारभूत मान्यता यह है कि अध्यापकों के अभ्यास का मूल्यांकन केवल औपचारिक और वस्तुनिष्ठ शिक्षणशास्त्रीय ज्ञान के सापेक्ष नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय ऐसे कारकों के भी प्रतिफल होते हैं, जो उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से उपजते हैं, जो उनके एक विशेष प्रकार के समाजीकरण के प्रतिफल होते हैं। उनके लिए शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि निरपेक्ष न होकर सापेक्ष होती है, जो शिक्षार्थियों के प्रति उनकी अभिवृत्ति को निर्धारित करती है। वे अपनी संस्कृति विशेष के अनुरूप 'अध्यापक' होने की पहचान से ढके होते हैं और उसके अनुरूप 'नौकरी' करते हैं (टर्नर, क्रिस्टीन और मेयर 2009)।

अध्यापकों के विश्वासों को उनकी व्यक्तिनिष्ठ धारणाओं का एक ऐसा दृष्टिकोण माना जा सकता है, जिसके द्वारा वे शिक्षा, शिक्षण और शिक्षार्थियों को देखते हैं। अध्यापकों के विश्वास किसी भी विषय में उनके व्यक्तिगत मत को प्रकट करते हैं, जिनका प्रमाणिक होना आवश्यक नहीं होता है। ये विश्वास अचानक विकसित नहीं होते हैं, इन पर औपचारिक ज्ञान, चर्चा एवं संवाद के प्रभाव के साथ-साथ लंबे समय तक अवलोकन एवं भागीदारी तथा परिवेशजन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। अध्यापकों के विश्वास व्यक्तिनिष्ठ होते हैं (टर्नर, क्रिस्टीन और मेयर 2009)। इनका मूल्यांकन ज्ञान की तरह तथ्यपरक और प्रमाण आधारित कसौटियों पर नहीं किया जा सकता है (पार्वट, 1992)। ये व्यक्ति की विचारधारा, दीर्घकालिक समाजीकरण और पेशेवर संस्कृति के प्रतिफल होते हैं (नथहाल, 2004)। ये अदृश्य तरीके से व्यक्ति के निर्णयों को प्रभावित करते हैं और उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। इन्हें बदलना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है (टर्नर और मेयर, 2009)। इस कारण ये शैक्षिक सुधारों के प्रमुख बाधक हैं (ब्रिंकमैन, 2015)। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में शामिल होने से पूर्व ही अध्येताओं में शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित विश्वास निर्मित हो चुके होते हैं (कालरा और बावेजा, 2009)। अध्यापक अपने विश्वासों को

© NCERT not to be republished

सत्य मानते हैं। वे उसके समर्थन में तर्क भी प्रस्तुत करते हैं। इस सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के आलोक में यह माना जाता है कि शैक्षिक सुधारों को साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापकों के विश्वासों पर शोध अध्ययन किया जाए। इस प्रकार के शोध अध्ययन अध्यापकों के चिंतन और शिक्षणशास्त्रीय अभ्यासों को समझने में सहयोग करेंगे।

इसी दिशा में भारतीय अध्यापकों के संदर्भ में क्लार्क (2003) द्वारा एक महत्वपूर्ण शोध अध्ययन किया गया है। उन्होंने शैक्षिक सुधारों के प्रति सेवारत अध्यापकों की विचार प्रक्रिया का अध्ययन किया और पाया कि शैक्षिक सुधारों के प्रति अध्यापकों में सकारात्मक स्वीकृति होती है। वे परंपरागत शिक्षण से भिन्न रूप में सुधारों को स्वीकार करते हुए गतिविधि आधारित सीखने के उपयोग के लिए तत्पर रहते हैं। वे सरकार द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को निभाने के प्रति विशेष रूप से सचेत रहते हैं और उसी के अनुरूप अपने पेशेवर दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं। इस दौरान उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि और बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि में अंतर या समानता का प्रभाव अध्यापकों के निर्णयों पर पड़ता है। ब्रिंकमैन (2015) ने महाराष्ट्र, केरल और बिहार राज्य के अध्यापकों को भागीदार बनाते हुए अध्यापकों के शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षणशास्त्र के प्रति विश्वासों का अध्ययन किया। इस अध्ययन में पाया गया कि अध्यापकों की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उनकी विचारधारा आदि जैसे कारक अध्यापकों के चिंतन और अभ्यास को प्रभावित करते हैं। उन्होंने यह भी पाया कि अध्यापकों को सेवा-पूर्व अध्यापन के दौरान हुए अनुभव भी उनके अभ्यास को प्रभावित करते हैं। सेवारत अध्यापक की भूमिका में विद्यालय का परिवेश, कार्यसंस्कृति भी उनके विश्वासों में परिलक्षित होती है। उन्होंने यह भी पाया कि जिन अध्यापकों का विश्वास *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* के सिद्धांतों के अनुरूप है, वे कक्षा में इस दस्तावेज में सुझाए गए सुधारों का क्रियान्वयन अधिक प्रभावशाली ढंग से करते हैं। इस शोध अध्ययन के भागीदार अध्यापकों में व्यापक विश्वास पाया गया कि जो शिक्षार्थी वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, वह सीखने में भी कमजोर होते हैं। अध्यापकों के व्यवहार और विचारों में यह पाया गया कि वे कक्षा में स्वयं को नेतृत्वकर्ता की स्थिति व सत्ता को बनाए रखने के लिए अनुशासन के पक्षधर हैं।

कुमार और सुब्रमण्यम् (2015) ने गणित अध्यापकों पर किए शोध अध्ययन में पाया कि ये अध्यापक कक्षा में गणितीय नियमों और प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान देते हैं, जबकि इबारती सवालों का संदर्भ प्रस्तुत करने को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। इस अध्ययन के भागीदार अध्यापकों का मानना था कि गणित शिक्षण का लक्ष्य गणित के नियमों को सिखाना है। अध्यापकों ने यह भी बताया कि वे विद्यालय द्वारा निर्धारित पुस्तकों के माध्यम से ही पढ़ाना पसंद करते हैं। इन अध्यापकों के समूह को जब सेवारत अध्यापक कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षण की ओर उन्मुख किया गया तो उनके शिक्षण में कुछ प्रमुख बदलाव देखे गए। उन्होंने गणितीय नियमों को विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त करना आरंभ किया। उनमें यह आत्मविश्वास आया है कि वे शिक्षण सहायक सामग्रियों का विकास कर सकते हैं। उन्होंने शिक्षार्थियों को भागीदारी के अवसर

© NCERT not to be republished

प्रदान करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सिंघला और अन्य (2017) ने चेन्नई के नगरीय अध्यापकों और कांचीपुरम के ग्रामीण अध्यापकों को भागीदार बनाकर शोध अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि यद्यपि अध्यापक निर्माणवादी सिद्धातों से परिचित हैं, लेकिन वे कक्षा में इनका अभ्यास नहीं करते हैं। उनका कक्षा शिक्षण निगरानी और अनुशासन के आधार पर पाठ को पूरा करने के उद्देश्य से होता है। उनकी कक्षाओं में शिक्षार्थियों द्वारा सवाल पूछने और समूह कार्य आदि के प्रयोग जैसी प्रवृत्तियों का भी अभाव पाया गया।

जोशी (2011) ने अपने शोध अध्ययन में विज्ञान के अध्यापकों के परिप्रेक्ष्य का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि अध्यापक *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में परिभाषित विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के अनुसार विज्ञान को जिज्ञासा, कल्पना और खोजी प्रवृत्ति के सापेक्ष देखते हैं। वे कक्षा में कुछ सीमा तक गतिविधि आधारित अधिगम का प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन कक्षा में अंततः बेहतर परीक्षा परिणामों को ही महत्व दिया जा रहा है। वे विज्ञान में शिक्षार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं और उनकी चुनौतियों के समाधान पर न के बराबर ध्यान दे रहे हैं। कालरा और बवेजा (2010) के शोध अध्ययन के अनुसार सेवा-पूर्व अध्यापक कक्षा में उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसे उनके विद्यालय जीवन में उनके अध्यापक व्यवहार किया करते थे। सेवा-पूर्व अध्यापक मानते हैं कि उनमें अध्यापक बनने के गुण और अभिवृत्ति पहले से उपस्थित है और वे अपने साथी अध्यापकों से बेहतर हैं। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र (फील्ड) कार्यक्रमों के दौरान उनके विश्वास प्रायः असंबोधित रह जाते हैं। वे अपने शिक्षार्थियों को 'तेज' और 'मंद' जैसे वर्गों में परिभाषित करते हैं। वे इस बात को चिह्नित करते हैं कि कौन-से शिक्षार्थी कक्षा प्रबंधन में सहयोग कर रहे हैं और कौन-से शिक्षार्थी कक्षा में बाधा उपस्थित कर रहे हैं। वे सहायक सामग्रियों के प्रयोग को महत्व देते हैं। सेवा-पूर्व अध्यापक कक्षा में प्रभावपूर्ण शिक्षण के लिए शिक्षार्थियों की तत्परता को एक महत्वपूर्ण घटक मानते हैं, जिसे वे विद्यालय की संस्कृति और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि से संबंधित मानते हैं।

शोध उद्देश्य एवं विधि

इस शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य थे—

- अध्यापकों की शिक्षा के उद्देश्य विषयक विश्वासों की व्याख्या करना।
- अध्यापकों के विद्यालय, समुदाय और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि विषयक विश्वासों का विश्लेषण करना।
- अध्यापकों के कक्षा के अधिगम परिवेश संबंधित विश्वासों की व्याख्या करना।

इस शोध अध्ययन में न्यादर्श के रूप में दिल्ली महानगर में वर्ष 2019–20 में संचालित निजी विद्यालयों के 40 अध्यापकों का चयन स्नोबॉल प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया था। ये विद्यालय पूर्वी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली जिलों में स्थित हैं। शोध के भागीदार (में चयनित) अध्यापकों की न्यूनतम अकादमिक योग्यता स्नातक और सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा थी। इनमें से 23 अध्यापकों ने बीएल.एड. किया था और 17 अध्यापकों ने बी.एड. किया था। इन अध्यापकों का न्यूनतम शिक्षण अनुभव पाँच वर्ष था। इन अध्यापकों में 25

महिला अध्यापिकाएँ और 15 पुरूष अध्यापक थे। इन अध्यापकों के विश्वासों की पड़ताल के लिए शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार किया गया था। प्रत्येक साक्षात्कार 40–50 मिनट का था। ये साक्षात्कार भागीदारों की सुविधानुसार हिंदी और अंग्रेजी भाषा में किए गए। साक्षात्कार के लिप्यांतरण के बाद उनका विषय-वस्तु विश्लेषण किया गया।

तथ्यों का विश्लेषण

शोधार्थी द्वारा संकलित तथ्यों का विश्लेषण विस्तार से बिंदुवार किया गया, जो इस प्रकार है—

शिक्षा का लक्ष्य

अध्यापक, शिक्षा के लक्ष्यों की जिस दृष्टि से व्याख्या करते हैं, उसी के अनुरूप वह कक्षा गतिविधियों का आयोजन करते हैं। इस शोध अध्ययन में भी भागीदार अध्यापकों के शिक्षा के लक्ष्य से संबंधित विश्वास प्रकट हुए। यह पाया गया कि भागीदार अध्यापकों ने शिक्षा के लक्ष्य और विद्यालय की भूमिका को एक-दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया। शोधार्थी द्वारा अध्यापकों के शिक्षा के लक्ष्य से संबंधित विचारों को तीन वर्गों में रखा जा सकता है— मूल्यों का पोषण करना, सामाजिक और नागरिक जीवन के लिए तैयारी और सामाजिक गतिशीलता के लिए शिक्षा।

1. *मूल्यों का पोषण करना—* शोध के भागीदार अध्यापकों ने शिक्षा की सर्वप्रमुख भूमिका शिक्षार्थियों में मूल्यों का पोषण बताया। इसके लिए उन्होंने 'संस्कार', 'मनुष्यता', 'नागरिक', 'सुसंस्कृत' और 'सभ्य' जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया। अध्यापकों का यह मानना था कि उनके शिक्षार्थी, जिन परिवारों से आते हैं उनमें से अधिकांश की पृष्ठभूमि मध्यमवर्गीय है, इस कारण उन्हें जीविका को लेकर अपेक्षाकृत कम चिंता रहती है, लेकिन अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे सुसंस्कृत एवं मूल्यवान नागरिक बनें। अध्यापकों का इससे आशय मूल्यों के पोषण से था। अध्यापकों ने अभिभावकों के मत व्यक्त करते हुए कहा कि वे भी चाहते हैं कि उनके शिक्षार्थी बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें, सत्य बोले, ईमानदार बनें, विनम्र हों, अच्छे व बुरे का भेद कर सकें। उल्लेखनीय है कि अध्यापकों ने परिवार और विद्यालय के बीच अंतर करने के लिए इन्हीं मूल्यों को प्रमुख आधार भी बताया। उदाहरण के लिए, एक अध्यापक का मानना था कि, "हमारे बच्चे जिन परिवारों से आते हैं, के परिवार पढ़े-लिखे हैं, सीखने के संसाधन और सुविधाएँ भी हैं, लेकिन विद्यालय उन्हें औपचारिक शिक्षा के द्वारा मूल्यों से तथा संस्कारों से युक्त करता है।" इसी तरह एक अन्य अध्यापक का कहना था कि, "इन बच्चों को क्या कमी है? इनके पास सबकुछ है। फिर भी, हमारा काम है कि हम उन्हें संस्कारों की शिक्षा दे सकें। बच्चों को ज्ञात है कि बड़े-छोटे के साथ कैसा व्यवहार करना है।" एक अध्यापक का कहना था कि, "शिक्षा ही बच्चों को बता सकती है कि दुनिया में मूल्य ही वास्तविकता है। हमें ईमानदार, सत्यनिष्ठ और अनुशासित होना चाहिए। हमें एक-दूसरे के साथ भाईचारे से रहने की भी शिक्षा देनी है।" अध्यापकों के उक्त विचारों से स्पष्ट है कि वे मूल्यों के माध्यम से बच्चों में वयस्कों की सत्ता की स्वीकृति का बोध पैदा करना चाहते हैं। वे मूल्यों को ऐसे प्रारूप के रूप में देख रहे हैं, जिसके माध्यम से बच्चों की स्वच्छंदता को सहजीवन के रूप में ढाला जा सके। इसके द्वारा

© NCERT not to be republished

वे 'अच्छे मनुष्य' के निर्माण के लक्ष्य को भी प्राप्त करना चाहते हैं। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अध्यापकों के इन विश्वासों का मूल, शिक्षार्थियों की मध्यमवर्गीय सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि और इसके अनुरूप अभिभावकों की आकांक्षा है, जहाँ 'सुसंस्कृत' होने को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है।

2. *सामाजिक और नागरिक जीवन के लिए*— शिक्षा के लक्ष्यों पर चर्चा करते हुए अध्यापकों ने बच्चों को वयस्क से अलग मानते हुए उन्हें अपरिपक्व माना। उन्होंने शिक्षा को समाजीकरण का साधन मानते हुए, शिक्षा द्वारा सामाजिक और नागरिक जीवन की तैयारी के लक्ष्य पर विश्वास प्रकट किया। तैयारी की इस प्रक्रिया में बच्चों को 'अनुशासित' बनाना एक प्रमुख घटक था। भागीदार अध्यापकों के अनुसार उनके विद्यालयों के बच्चों को घर पर स्वतंत्र परिवेश मिलता है। माता-पिता उन्हें भौतिक सुख-सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराते हैं। घर पर किसी भी तरह के सख्त अनुशासन का अभाव होता है, इस कारण बच्चों में आलस्य, लापरवाही, पढ़ाई को गंभीरता से न लेने, काम को टालते रहने आदि की समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। इसके समाधान के लिए शिक्षा, विद्यालय और अध्यापकों का दायित्व है कि वह शिक्षार्थियों को 'अनुशासन का पाठ' पढ़ाए। उदाहरण के लिए, दो अध्यापकों के वक्तव्य दिए गए हैं, जैसे—

"हमें बच्चों को विषय का ज्ञान सिखाने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी है। इसमें तो घर और ट्यूटर सहयोग करते हैं। हमें तो उन्हें बताना है कि वे कक्षा में कैसे बैठें और रहें? कक्षा के नियमों का पालन कैसे करें? खुद को कैसे व्यवस्थित रखें आदि।"

"अनुशासन के द्वारा हम उनकी ऊर्जा को सही दिशा देने का कार्य करते हैं। स्कूल की यह भूमिका उसे घर से अलग करती है। बच्चे को यह मालूम होना चाहिए कि पढ़ने के समय पढ़ना है और खेलने के समय ही खेलना है।"

अध्यापकों की इस तरह की प्रतिक्रियाएँ यद्यपि स्व-अनुशासन की ओर संकेत करती हैं, लेकिन इसमें 'भय' के तत्व भी देखे जा सकते हैं। इस प्रकार के अनुशासन पर अधिक बल देने से शिक्षा शिक्षार्थी के लिए एक व्यावहारवादी प्रशिक्षण बनकर रह सकती है। यह प्रवृत्ति शिक्षार्थियों के स्वतंत्र और मननपूर्ण चिंतन को बाधित करती है। उन्हें ऐसे नागरिक के रूप में विकसित करती है, जो स्वभावतः दी गई परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं। अत: उक्त संदेह को इस तथ्य से बल मिलता है कि जहाँ-जहाँ अध्यापकों ने अनुशासन की बात की है, वहाँ-वहाँ इसे सभ्य नागरिक बनने के गुण से भी जोड़कर देखा है। लेकिन वे नागरिकता के साथ आलोचनात्मक चिंतन के स्थान पर आज्ञापालक और नियमों के पालनकर्ता की भूमिका पर अधिक बल दे रहे थे। उनके लिए नागरिक बनना और अनुशासित होना एक-दूसरे के समतुल्य हैं, जिसे वे सामाजिक जीवन के लिए शिक्षार्थियों की तैयारी के रूप में देखते हैं।

3. *सामाजिक गतिशीलता के लिए शिक्षा*— इस शोध अध्ययन में भागीदार अध्यापकों का मानना था कि शिक्षा बेहतर जीवन के लिए संसाधनों को अर्जित करने की क्षमता प्रदान करती है। इसके अंतर्गत उन्होंने बेहतर जीवन को जीविका के साधनों के सापेक्ष समझाया। यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अध्यापकों का मानना था कि उनके बच्चे जिस

© NCERT not to be republished

तरह की पृष्ठभूमि से आते हैं, वे जीविका तो कमा लेंगे। अतः शिक्षा के द्वारा जीविका के साधनों की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। इस सुधार के लिए उन्होंने क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता का संदर्भ दिया। उदाहरण के लिए, जिन बच्चों के अभिभावकों की 'दुकानें' हैं, वे चाहते हैं कि उनके बच्चे सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यवसाय को अपनाएँ, जो अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं, वे 'प्रतिष्ठित सरकारी' सेवा में बच्चों को भेजना चाहते हैं। ऐसे ही शिक्षा के द्वारा प्रतिष्ठित परीक्षाओं, जैसे— आई.आई.टी. और नीट की तैयारी पर भी बल दिया गया। इसके लिए अध्यापकों ने इक्कीसवीं सदी के कौशलों पर भी चर्चा की। अध्यापकों ने बताया कि इन कौशलों को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ वर्षों से पाठ्यचर्या संबंधित गतिविधियों में नई तरह की परियोजनाओं एवं शिक्षण-अधिगम गतिविधियों को जोड़ा गया है। बच्चों की रुचियों के पोषण के लिए उनकी रुचि, कला, शिल्प और खेल से जुड़ी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जा रही है।

समकालीन प्रवृत्तियों का प्रभाव

इस शोध अध्ययन के कुछ अध्यापकों ने शिक्षा के लक्ष्यों पर चर्चा करते हुए 'वैश्विक नागरिकता', 'शाश्वत विकास', 'पर्यावरण अनुकूल व्यवहार' जैसे लक्ष्यों की भी चर्चा की। यद्यपि इस तरह का विचार व्यक्त करने वाले भागीदारों की संख्या कम थी, फिर भी उनके विचार समाज की समकालीन चुनौतियों और उभरती प्रवृत्तियों के बीच शिक्षा की नई भूमिका के प्रति जागरूकता को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, एक अध्यापक का कहना था कि, ''अब हमें विश्व-नागरिक के बारे में सोचना चाहिए। शिक्षार्थियों को बताना चाहिए कि पूरी दुनिया का हित एक साथ रहने में है और यह काम केवल शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है।'' अध्यापक अपने विचारों के संदर्भ में वैश्वीकरण के प्रसार और इसके सकारात्मक व नकारात्मक पक्षों पर भी प्रकाश डालते हैं। इसी तरह एक अन्य अध्यापक का मानना था कि शाश्वत विकास वाली शिक्षा ही आने वाली पीढ़ी को सुख एवं शांतिपूर्ण जीवन दे सकती है। उन्होंने बताया कि इसी दृष्टिकोण के आधार पर प्रत्येक विद्यालय में अब जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय आपदा जैसी समस्याओं को गंभीरता से पढ़ाया एवं समझाया जा रहा है।

अत: अध्यापकों के उक्त मतों का विश्लेषण करने पर कह सकते हैं कि निजी विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के शिक्षा के लक्ष्यों से संबंधित विश्वासों पर शिक्षार्थियों की मध्यमवर्गीय पृष्ठभूमि का सर्वाधिक प्रभाव है। इसी कारण, वे विद्यालय की ज्ञान प्रदान करने वाली भूमिका के सापेक्ष मूल्य और अनुशासन की भूमिका को अधिक महत्व दे रहे हैं। इन्हीं संदर्भों में वे घर और विद्यालय के परिवेश में अंतर भी कर रहे हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि वे शिक्षा द्वारा जीविका का साधन देने की तुलना में सांस्कृतिक पूँजी देने के प्रति आग्रही हैं। उनके अनुसार शिक्षा का लक्ष्य भौतिक संसाधनों को एकत्रित करने की योग्यता प्रदान करना, सामाजिक पहचान और सत्ता से निकटता की सुविधा प्रदान करना है।

घर और परिवार का अधिगम परिवेश

इस शोध अध्ययन के भागीदार अध्यापकों का विश्वास था कि शिक्षण और अधिगम में घर और

© NCERT not to be republished

परिवार के अधिगम परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भागीदार अध्यापक शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि से भली-भाँति परिचित थे। अध्यापकों ने अपने-अपने विद्यालयों के शिक्षार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए अभिभावकों की व्यावसायिक संलग्नता, परिवारों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, घरों के भौतिक संसाधन तथा वृहद् सामाजिक संबंधों के जाल का उल्लेख किया। अध्यापकों ने शिक्षार्थियों के घरों पर संसाधनों की उपलब्धता को शिक्षण में सहायक माना। अध्यापकों ने बताया कि परियोजना कार्य के लिए प्रिंट आउट लेना हो, सजावट की सामग्री की व्यवस्था करनी हो, कला और शिल्प के कार्य करने हो, इन सभी में अभिभावकों का सहयोग मिलता है। अध्यापकों का विश्वास था कि अभिभावकों का शिक्षित होना शिक्षार्थियों के अधिगम में योगदान देता है—

"अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। वे उनके गृहकार्यों और परियोजना कार्यों में सक्रिय योगदान करते हैं।"

अत: स्पष्ट है कि भागीदार अध्यापक, अभिभावकों से विद्यालयी गतिविधियों में सहायक की भूमिका की अपेक्षा करते हैं। इसके साथ-साथ अध्यापकों ने यह भी बताया कि जो अभिभावक अपने व्यवसाय के कारण बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए ट्यूटर की व्यवस्था कर रखी है। अध्यापकों ने यह भी कहा कि भले ही वे पढ़ाई में प्रत्यक्ष सहयोग नहीं करते, लेकिन पी.टी.एम. (अभिभावक-अध्यापक बैठक) में नियमित उपस्थित होते हैं। अध्यापकों ने इसी संदर्भ में बताया कि उनके यहाँ अभिभावक बच्चों की प्रगति के बारे में सचेत रहते हैं। वे बच्चे की अकादमिक उपलब्धि, विद्यालय की गतिविधियों एवं अध्यापक-शिक्षार्थियों के संबंध के बारे में अभिभावकों से बात करते हैं। अध्यापकों ने इस बारे में संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि अभिभावक, अध्यापकों की मेहनत की सराहना करते हैं। भागीदार अध्यापकों द्वारा इस तथ्य पर विशेष बल दिया गया कि अभिभावक बच्चों की पढ़ाई के साथ अन्य शैक्षिक गतिविधियों में उनकी सहभागिता पर भी ध्यान देते हैं।

अध्यापकों का यह भी विश्वास था कि शिक्षार्थी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण कक्षा में विषयों को पढ़ने और सीखने के लिए तैयार रहते हैं। उनके पारिवारिक अनुभव शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन के ज्ञान में योगदान करते हैं। इसका उदाहरण देते हुए शिक्षार्थियों द्वारा छुट्टियों में की जाने वाली यात्राओं, घर पर पत्रिकाओं एवं समाचार-पत्रों की सुलभता तथा विज्ञान परियोजना से जुड़ी खेल सुविधाओं की उपस्थिति का उल्लेख किया गया। अध्यापकों के अनुसार घर पर टीवी और इंटरनेट की सुविधा का होना, परियोजना को पूर्ण करने में सहायक होता है। अध्यापकों ने यह भी बताया कि अभिभावकों द्वारा बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार नृत्य, गायन, वादन और कला जैसे कौशलों के विकास पर भी बल दिया जाता है। इन गतिविधियों को वे शिक्षार्थियों के समग्र विकास से जोड़कर देखते हैं, जिसमें घर के अधिगम परिवेश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी के अनुरूप अध्यापकों का यह भी तर्क था कि जहाँ सरकारी विद्यालयों में विषय ज्ञान और परीक्षा महत्वपूर्ण होती है, वहीं निजी विद्यालयों में घर का परिवेश बच्चों की

© NCERT not to be republished

भाषा और सामान्य ज्ञान के विकास में योगदान देता है। अध्यापक घर के अधिगम परिवेश में सामाजिक संबंधों का भी उल्लेख करते हैं। ये संबंध शिक्षार्थियों की सांस्कृतिक पूँजी का स्रोत हैं। इनसे अभिभावकों की शिक्षा से जुड़ी अपेक्षाएँ और आकांक्षाएँ प्रभावित होती हैं।

शिक्षार्थियों की विविधता

इस शोध अध्ययन में अध्यापकों से शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि पर चर्चा के दौरान, उनका मुख्य ध्यान अभिभावकों की मध्यमवर्गीय पृष्ठभूमि पर था। परिवारों की इस पृष्ठभूमि में समरूपता के कारण अध्यापकों ने उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत केवल क्षेत्रीय विविधता को ही संज्ञान में लिया। भागीदार अध्यापकों ने जाति, जेंडर और धार्मिक विविधता पर कोई चर्चा नहीं की। परंतु शिक्षार्थियों के परिवारों का दिल्ली में प्रवसन कब हुआ? इसे अध्यापकों द्वारा संज्ञान में लिया गया। इसी के सापेक्ष वे विद्यार्थियों की सांस्कृतिक विविधता और समरूपता की व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए, एक अध्यापक ने इस कारक के प्रभाव को विस्तार से समझाया, "कक्षा में कुछ शिक्षार्थी ऐसे होते हैं जिनका परिवार पिछले कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली में प्रवास पर आया है, तो वे विद्यार्थी कक्षा में अपनी संस्कृति के तत्वों को समाविष्ट करते हैं। जबकि यदि परिवार लंबे समय से दिल्ली में रह रहा है, तो बच्चे 'दिल्ली' की महानगरीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे सांस्कृतिक समरूपता आती है।" ऐसे ही प्रवसन पर आधारित सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण अन्य अध्यापकों ने भी दिया। एक अध्यापक ने बताया कि उनकी कक्षा में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हैं, जो अलग-अलग राज्यों से प्रवास कर दिल्ली आए हैं, इसलिए उनकी कक्षा में सांस्कृतिक विविधता है। एक अन्य अध्यापक ने बताया कि उनकी कक्षा के शिक्षार्थियों की क्षेत्रीय विविधता का प्रमाण उनके द्वारा हिंदी के प्रयोग में दिखाई देता है। क्षेत्रीय विविधता को जिन अध्यापकों ने रेखांकित किया, उसे वे संसाधन के रूप में देखते हैं। इन अध्यापकों ने बताया कि वे ध्यान रखते हैं कि कक्षा में बच्चों के बीच क्षेत्रीय विविधता के आधार पर किसी भी प्रकार की रूढ़ियाँ या पूर्वाग्रह व्याप्त न हों और न ही किसी शिक्षार्थी का बहिष्करण हो। इस संदर्भ में एक अध्यापक ने बताया कि उनकी कक्षा में एक दक्षिण भारत का शिक्षार्थी था। उसे कक्षा के कुछ शिक्षार्थी अपने समूह में शामिल नहीं कर रहे थे। परंतु कक्षा अध्यापिका के हस्तक्षेप से उन्होंने उस शिक्षार्थी को कक्षा की गतिविधियों में शामिल करना प्रारंभ कर दिया।

सांस्कृतिक विविधता के अतिरिक्त सभी अध्यापकों ने माना कि प्रत्येक शिक्षार्थी में सीखने की क्षमता होती है। उनकी अधिगम शैली और अधिगम उपलब्धि में भिन्नता होती है। इसके अतिरिक्त अध्यापकों ने रुचि, अभिक्षमता और अभिवृत्ति जैसे व्यक्तिनिष्ठ विविधता के कारकों पर चर्चा की। शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि में व्याप्त भिन्नता के उक्त प्रत्यक्षण के कारण अध्यापकों का विश्वास था कि एक अच्छा अध्यापक वह है जो केवल प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों पर ध्यान केंद्रित न करे, बल्कि वह सभी शिक्षार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर ध्यान दे। इन अध्यापकों का यह भी मानना था कि हमारी ओर से समान इनपुट देने पर भी शिक्षार्थियों में उपलब्धि

© NCERT not to be republished

की भिन्नता का कारण उनका पढ़ाई पर ध्यान देना और 'परिश्रम' करना भी है। उदाहरण के लिए, यहाँ पर भागीदार अध्यापकों के कुछ उद्धरण इस प्रकार हैं— "जो कक्षा में जितना ध्यान देता है, उतना ही सफल हो सकता है। हम सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं।"

"अच्छे अंक लाने के लिए अच्छे परिवार से होना या सुविधाओं का होना ही पर्याप्त नहीं है। खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। मेरी कक्षा में दोनों तरह के शिक्षार्थी हैं जो पढ़ाई के महत्व को समझते हैं और पढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी है जो ऐसा नहीं करते हैं।"

"मैं ऐसा तो नहीं कहती हूँ कि बच्चे सीख नहीं सकते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में अधिक ध्यान देते हैं, वे सफल होते हैं। जो कम ध्यान देते हैं वे थोड़ा पीछे रह जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्हें हम 'बदमाश' कहते हैं वे बुद्धि में तेज होते हैं लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं।"

अध्यापकों के उपर्युक्त विचारों से स्पष्ट है कि शिक्षार्थियों का अधिगम करने में सक्षम होने के बावजूद भी उनके लिए शिक्षार्थियों की अधिगम उपलब्धि शिक्षार्थियों के वर्गीकरण का एक मुख्य आधार है। इसके लिए वे अभ्यास और अवधान जैसे कारकों को भी मानते हैं। 'मेहनत' करने से आशय यदि सूचनाओं को याद करना या रहना रहा, तो यह शिक्षण के व्यावहारवादी उपागम को बल देगा। इसी तरह यह भी विचारणीय है कि 'मेहनत करने' को किन संज्ञानात्मक क्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। अध्यापकों के इन विचारों में पुनरूत्पादनवादी सिद्धातों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जहाँ वे मध्यमवर्गीय परिवार के बच्चों को पुनः मध्यवर्गीय व्यवस्था के लिए तैयार कर रहे हैं।

अध्यापक और शिक्षार्थी संबंध

अध्यापकों का मानना था कि शिक्षार्थियों के साथ उनका संबंध शिक्षण की दशा एवं दिशा को निर्धारित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। भागीदार अध्यापकों के विश्वासों में अध्यापक-शिक्षार्थी संबंध के तीन प्रारूप देखने को मिले— सुरक्षित और विशिष्ट महसूस कराने वाला तद्नुभूतिपूर्ण, पदानुक्रमिक संबंध और लोकतांत्रिक संबंध।

सुरक्षित और विशिष्ट अनुभव कराने वाला तद्नुभूतिपूर्ण संबंध

इस शोध अध्ययन के भागीदार अध्यापकों ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षार्थियों के साथ उनका संबंध ऐसा हो कि प्रत्येक शिक्षार्थी सुरक्षित अनुभव करे। इसके लिए अध्यापकों ने 'केयर इन रिलेशनशिप', 'तद्नुभूतिपूर्ण', 'माता-पिता जैसा संबंध' आदि वाक्यांशों का प्रयोग किया। जिन अध्यापकों ने इस तरह के संबंध का उल्लेख किया उन्होंने शिक्षार्थियों के बारे में 'प्यारे', 'मासूम', 'जिज्ञासु' जैसे विशेषणों का उपयोग किया। इन अभिव्यक्तियों के मूल में अध्यापकों का विश्वास था कि उनका शिक्षार्थियों के साथ ऐसा स्वाभाविक संबंध होना चाहिए, जिससे शिक्षार्थी अपनी बात को कहने, सवाल को पूछने और कल्पनाओं व अनुभवों को साझा करने में झिझक महसूस न करें। शोध अध्ययन के भागीदार अध्यापकों ने इसके लिए विद्यालयों द्वारा की गई संस्थागत व्यवस्थाओं, जैसे— ट्यूटोरियल सिस्टम और मेंटरिंग सिस्टम का भी उल्लेख किया। इन प्रयासों से शिक्षार्थियों को अध्यापकों से अनौपचारिक संपर्क और चर्चा करने का अवसर मिलता है।

© NCERT not to be republished

पदानुक्रमिक संबंध

अध्यापकों और शिक्षार्थियों के बीच समानता के बजाय वयस्क और बच्चों जैसा पदानुक्रमिक संबंध होना चाहिए। इस संबंध के पक्ष में तर्क देते हुए अध्यापकों का विश्वास था कि वे भी अभिभावकों जैसे बच्चों के हित में सोचते हैं, इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए। अध्यापकों का मानना था कि सीखना सुनिश्चित हो इसलिए भी पदानुक्रम का रहना जरूरी है। उदाहरण के लिए—

"अगर हम बच्चों के दोस्त हो जाएँगे तो इससे कक्षा के निर्देशों के पालन में बाधा आएगी। कक्षा में पढ़ाई के बजाय मनमानी होगी।"

"शिक्षार्थियों को मानना चाहिए कि अभिभावकों की तरह अध्यापक भी उनके भले के लिए सोच रहे हैं।"

"कई बार देखा है कि शिक्षार्थी, अध्यापक के सख्त व्यवहार की शिकायत अपने घर पर करते हैं। वे अध्यापक से दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ऐसा होना सीखने की प्रक्रिया को बाधित करता है।"

"हालाँकि हमें तो यही बताया जाता है कि शिक्षार्थी-केंद्रित अधिगम के लिए शिक्षार्थियों से मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जिस पृष्ठभूमि के शिक्षार्थी आते हैं अगर उनके साथ हम सख्त नहीं होंगे तो वह बिलकुल नहीं पढ़ेंगे। हमें शिक्षार्थियों के साथ स्वतंत्रता और अनुशासन के बीच संतुलन बना कर चलना पड़ता है।"

इस तरह का विश्वास रखने वाले अध्यापकों ने कुछ उदारवादी जवाब भी दिए— "अध्यापक और शिक्षार्थी के बीच संबंध समय अनुसार बदलते रहते हैं। कभी हम उनके मित्र होते हैं, तो कभी अभिभावक। जब वे अनुशासन भंग करेंगे, तो हमें अभिभावक की भूमिका में शक्ति से भी निपटना पड़ेगा और यदि उनके साथ हमें कोई परियोजना कार्य करना है, तो हम उनके साथ मित्र की तरह व्यवहार करते हैं।"

अध्यापकों के इन कथनों से स्पष्ट होता है कि अनुशासन की अपेक्षा पदानुक्रमिक संबंध मूल में है, जिसे पढ़ाई की अनिवार्य शर्त पर वैध करार दिया जा रहा है। अध्यापकों में इस तरह के विश्वास की उपस्थिति वृहद् सांस्कृतिक संदर्भ में अध्यापक और शिक्षार्थी के बीच की स्थिति को दर्शाता है। इस स्थिति के कारण शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, संवाद करना जैसी प्रक्रियाओं की उपेक्षा होती है। इस तरह के विश्वास कक्षा में सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया में बाधा पहुँचाते हैं और भय का माहौल पैदा करते हैं। इसका उदाहरण एक अध्यापक के वक्तव्य में इस प्रकार है— "मेरी कक्षा में कोई अव्यवस्था उत्पन्न न हो इसलिए मैं विद्यार्थियों के लिए चरणबद्ध निर्देशों को लिखकर ले जाती हूँ। क्या-क्या, कैसे-कैसे करना है? कब जमा करना है? इसकी पूरी सूची कक्षा को उपलब्ध कराती हूँ। ऐसे ही कुछ अध्यापकों ने बताया कि वे बच्चों को ग्रेड कम करने, किसी परियोजना में शामिल न करने आदि की धमकियाँ भी देते हैं।

लोकतांत्रिक संबंध

इस शोध अध्ययन में अध्यापकों ने यह भी माना कि बच्चों को अध्यापकों का भय नहीं होना चाहिए। यह अध्यापकों का दायित्व है कि वे बच्चों के साथ मिलकर कक्षा में सहज परिवेश का निर्माण करें। इस तरह का विश्वास रखने वाले अध्यापकों ने बताया कि शिक्षार्थी कक्षा में सहज महसूस करें, इसके लिए वे शिक्षार्थियों को चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं।

© NCERT not to be republished

उन्हें अपने अनुभवों को कहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस विचारधारा के अध्यापकों का यह भी मानना था कि अगर हम डर आधारित अनुशासन का पालन करेंगे, तो इससे सम्मान पैदा होगा, लेकिन बच्चे अध्यापक से दूर हो जाएँगे। इससे बच्चा केवल परीक्षा केंद्रित भी हो सकता है। इस संदर्भ में अध्यापिका का अनुभव उल्लेखनीय है। उनका मानना था कि कक्षा में बच्चों के निर्णयों को भी सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए वे कई बार बच्चों के साथ मिलकर परियोजना को डिजाइन करती है। बच्चों को भी कक्षा का नियम निर्धारित करने के लिए कहती है। एक अध्यापिका का कहना था कि यदि मेरी कक्षा में शोर हो रहा है, तो मैं खुद से भी सवाल करती हूँ कि क्या मेरी पढ़ाने की विधि में कोई समस्या है? या हर बार समस्या बच्चे में हो जरूरी नहीं है, कई बार हम अध्यापकों को भी विचार करना चाहिए।

कक्षा का अधिगम परिवेश

इस शोध अध्ययन के अध्यापकों का अधिगम परिवेश संबंधी विश्वास, शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षण के अनुरूप था। अध्यापकों ने सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा के अनुभवों के आधार पर अपने शिक्षण अभ्यासों की विवेचना की। भागीदार अध्यापकों का मानना था कि शिक्षार्थी-केंद्रित और आनंद आधारित अधिगम प्रक्रियाओं में अधिगम सहायक सामग्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। इस कारण वे अपने शिक्षण को 'रुचिकर' बनाने के लिए अधिगम सहायक सामग्रियों के प्रयोग पर बल देते हैं। इन अध्यापकों के लिए पुस्तकें प्रमुख सहायक सामग्री थीं। अध्यापकों ने अपने साक्षात्कार में इस बात पर भी बल दिया है कि वे पुस्तक-केंद्रित शिक्षण के पक्षधर नहीं हैं। वे अधिगम बोझ के संदर्भ में भी पाठ्यपुस्तकों की चर्चा करते हैं। इसके उपाय स्वरूप कई अध्यापकों ने बताया कि उन्होंने समय-सारणी बनाई हुई है, जिसके अनुसार बच्चे पुस्तकें लाते हैं। शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों के प्रयोग के बारे में अध्यापकों के अलग-अलग मत प्राप्त हुए। प्रथम वर्ग के अंतर्गत वे अध्यापक हैं जो रा.शै.अ.प्र.प. की पाठ्यपुस्तकों से सीधे पढ़ाते हैं। वे इन पाठ्यपुस्तकों को गतिविधि केंद्रित और शिक्षार्थियों के संदर्भ से जुड़ी हुई मानते हैं। इन अध्यापकों के अनुसार इन पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना आसान है और वे इन्हें केंद्र में रखकर प्रकरण अनुसार शिक्षण करते हैं। अध्यापकों ने रा.शै.अ.प्र.प. की पाठ्यपुस्तकों की भाषा की भी सराहना की। उनका मानना था कि इन पाठ्यपुस्तकों में सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे बच्चे अपने परिवेश से जोड़कर सीधे समझ सकते हैं। दूसरे वर्ग में ऐसे अध्यापक आते हैं जिन्होंने बताया कि वह सीधे-सीधे पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करने से बचते हैं, लेकिन जहाँ भी पाठ्यपुस्तकों के उदाहरण, अभ्यास और प्रयोग अनुकूल लगते हैं, वे उसका प्रयोग करते हैं। तीसरे वर्ग में वे अध्यापक आते हैं जो पाठ्यपुस्तक को कक्षाकार्य और गृहकार्य की सुगमता के लिए प्रयुक्त करते हैं।

इन अध्यापकों ने यह भी बताया कि प्राथमिक स्तर पर उनके विद्यालयों में जोड़ो ज्ञान और एकलव्य जैसी स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए पोस्टर, प्लेकार्ड, विज्ञान किट, गणितमाला आदि उपलब्ध हैं। इसका प्राथमिक कक्षाओं में उपयोग किया जाता है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए अध्यापकों को

© NCERT not to be republished

स्वयं शिक्षण सहायक सामग्री बनानी पड़ती है। इन अध्यापकों के साथ साक्षात्कार के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि अब अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन ऑडियो-वीडियो सामग्री का प्रयोग अधिक किया जा रहा है। इसका कारण विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधाओं का उपलब्ध होना है। कुछ अध्यापकों ने यह भी बताया कि वे रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा तैयार की गई ई-सामग्री का प्रयोग भी करते हैं, कुछ अध्यापकों ने बताया कि वे बच्चों के घर में उपलब्ध सामग्रियों को अध्यापक सहायक सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे— बीज प्रकरण पढ़ाते समय राजमा के बीज और चने के बीज इत्यादि को बच्चों के घर से ही मंगवाया। ऐसे ही कुछ अध्यापकों ने यह भी बताया कि वे विद्यालय में उपलब्ध समाचार-पत्र एवं अन्य सामग्रियों के पुनर्चक्रण द्वारा शिक्षण सहायक सामग्रियों का विकास करते हैं। इस मत को व्यक्त करने वाले अध्यापकों का मानना था कि इन गतिविधियों द्वारा बच्चों को सीखने में आनंद आता है और कक्षा में उनकी सहभागिता भी बढ़ जाती है। इस शोध अध्ययन के भागीदार सभी अध्यापकों का मत था कि उनके विद्यालय के शिक्षार्थियों के लिए परियोजना कार्यों के लिए सहायक सामग्रियों का खरीदना कोई कठिन कार्य नहीं है। इस कारण वे कला एवं शिल्प आधारित परियोजना भी करवाते हैं।

इन अध्यापकों की बातचीत में एक आयाम यह भी उभरकर आया कि वे कक्षा की एकरसता को तोड़ने के पक्षधर हैं। इन अध्यापकों के अनुसार कक्षा की एकरसता सीखने में बाधक होती है। इसे तोड़ने के लिए इन भागीदार अध्यापकों ने अनेक उपाय बताए। जैसे एक अध्यापक ने बताया कि वह कक्षा की एकरसता को तोड़ने के लिए बैठने की व्यवस्था को बदलते हैं। कक्षा को खेल के मैदान में ले जाकर गतिविधि कराते हैं। एक अध्यापक ने बताया कि वे कक्षा में खेल का आयोजन करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आवश्यक नहीं कि हर बार खेल विषय से संबंधित ही हो। लेकिन खेलों से कक्षा में पुनः ऊर्जा का संचार हो जाता है। कुछ अध्यापकों ने बताया कि कक्षा की एकरसता को तोड़ने के लिए पाठ्यपुस्तकों में दी गई गतिविधियाँ भी सहयोग करती हैं। इन गतिविधियों का एक अन्य लाभ बताते हुए भागीदार अध्यापकों ने बताया कि इसके माध्यम से अभिभावकों को भी पता चलता है कि उनके बच्चे कक्षा में क्या कर रहे हैं? जैसे—जब शिक्षार्थी कोई चित्र या पोस्टर बनाकर घर ले जाते हैं तो अभिभावक प्रसन्न होते हैं।

इस शोध अध्ययन के भागीदार अध्यापकों ने पाठ योजना निर्माण के प्रति उदासीनता व्यक्त की। उनका मानना था कि अनुभव के आधार पर वे प्रकरण को पढ़ाते हैं। पाठ के पहले ही तय करते हैं कि कक्षा का संचालन कैसे करना है। सभी भागीदार अध्यापकों ने लिखित रूप में कक्षाकार्य और गृहकार्य की अनिवार्यता पर बल दिया। इन अध्यापकों ने कक्षा में 'गतिविधि' को महत्वपूर्ण बताया। अध्यापकों के अनुसार वे ऐसी गतिविधियों का चुनाव करते हैं, जो बच्चों के दैनिक अनुभवों से जुड़ी हों, जो रुचिकर एवं अभिप्रेरित करने वाली हों, कक्षा प्रबंधन को बाधित न करें, जिसके लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता न हो, जिससे कोई अन्य उद्देश्य, जैसे—जेंडर जागरूकता, पर्यावरण जागरूकता आदि पूर्ण हों।

© NCERT not to be republished

निष्कर्ष और निहितार्थ

इस शोध अध्ययन के द्वारा दिल्ली के निजी विद्यालयों में अध्यापन कर रहे अध्यापकों के शिक्षा, शिक्षण और शिक्षार्थी संबंधित विश्वासों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। शोध के भागीदार अध्यापकों के विश्वासों की व्याख्या बताती है कि वे शिक्षा के उद्देश्यों को शिक्षार्थियों की सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि के अनुरूप देखते हैं। उनके लिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शिक्षार्थियों के समग्र विकास को 'अनुशासित' दिशा देना है। अध्यापकों के विश्वासों में बाल-केंद्रित शिक्षा के साथ-साथ शिक्षा और मूल्यबोध की गहनता को दर्शाया गया है। यह गहनता 'मूल्यों' को एक प्रारूप के रूप में देखती है, जो शिक्षार्थियों को 'नागरिक' बनाती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि अध्यापकों ने मूल्यबोध को अनुशासनबोध के पर्याय के रूप में देखा है, जो शिक्षार्थियों की उपलब्धि को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख घटक है।

अध्यापकों का आग्रह इस तथ्य पर भी है कि शिक्षा द्वारा शिक्षार्थियों के समाजीकरण का लक्ष्य, उनका वयस्कों की दुनिया में अनुकूलन है। इस तरह के विश्वास शिक्षा को मध्यमवर्गीय सामाजिक-आर्थिक संरचना के पुनरुत्पादन का साधन बना देते हैं। इसी का परिणाम है कि भागीदार अध्यापकों ने शिक्षार्थियों की वैयक्तिक भिन्नता के संज्ञानात्मक और विद्यालयी उपलब्धि संबंधित आयामों को अधिक महत्व दिया है। वे अपने शिक्षार्थियों की मध्यमवर्गीय और महानगरीय पृष्ठभूमि को समरूप सांस्कृतिक समूह के रूप में देखते हैं। इस वर्ग की सामाजिक व आर्थिक विशेषताएँ शिक्षा को एक भिन्न अर्थ देती हैं जहाँ शिक्षा का लक्ष्य सामाजिक गतिशीलता के साथ-साथ अनुशासित करना और सुसभ्य बनाना है।

इसका प्रभाव उनकी शिक्षणशास्त्रीय अवधारणाओं पर भी दिखाई देता है। इसी का परिणाम है कि विद्यालयी उपलब्धि के साथ-साथ अनुशासन पर अध्यापकों ने सर्वाधिक बल दिया है। अध्यापक बाल-केंद्रित शिक्षाशास्त्र से भली-भाँति परिचित हैं। इसमें वे शिक्षार्थियों के पारिवारिक अधिगम परिवेश को भी सहयोगी मान रहे हैं। लेकिन अनुशासन पर अति बल और बाल-केंद्रित शिक्षा के प्रति उत्साह का द्वंद्व निर्माणवादी शिक्षण में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसी का परिणाम है कि संबंधित अध्यापकों का विश्वास व्यावहारवादी अनुशासन और निर्माणवादी शिक्षण से युक्त है। यहाँ रेखांकित करने की आवश्यकता है कि अध्यापकों ने शिक्षार्थियों के सामाजिक संबंधों को एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में चिह्नित किया है, जो शिक्षार्थियों को अनुकूल अधिगम परिवेश प्रदान करता है। जिससे अध्यापकों को अपनी शिक्षण गतिविधियाँ संचालित करने में मदद मिलती है। वे ऐसी शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करते हैं, जिनमें शिक्षार्थी अपने परिवेश के अनुभवों को शामिल करते हैं। लेकिन इनकी सीमा एक विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक समूह तक ही सीमित है। इसे अध्यापक 'शिक्षार्थी-केंद्रित उपागम' के एक संसाधन के रूप में देखते हैं। इसके परिणामस्वरूप शिक्षार्थी केवल मध्यमवर्गीय और नगरीय समाज की वास्तविकता से ही परिचित होता है।

इस शोध अध्ययन में पाया गया कि अध्यापक अपने शिक्षार्थियों के अनुभव जगत से परिचित हैं। वे शिक्षार्थियों को भावनात्मक सहयोग प्रदान करने, अभिप्रेरित करने, भविष्य के लिए मार्गदर्शन करने,

© NCERT not to be republished

निगरानी और अवलोकन द्वारा व्यवहार परिमार्जन करने के प्रयत्न करते हैं। वे शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत गुणों एवं क्षमताओं की सराहना और पोषण करते हैं। उन पर एक ओर विद्यालय में कार्य का बोझ है, तो दूसरी ओर अभिभावकों का सहयोग भी मिल रहा है। इस स्थिति में उनकी भूमिका ऐसे अभिकर्ता की बन रही है जो शिक्षार्थियों को 'आगे बढ़ाने' में लगे हुए हैं। वे विषय शिक्षण के दौरान बोध और व्याख्या के स्थान पर रुचि के पोषण पर बल देते हैं। वे विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन के पोषण के बदले उनकी सीमित दुनिया के प्रति जागरूकता की सराहना करते हैं। ये प्रवृत्तियाँ निजी विद्यालयों के अध्यापकों के शिक्षणशास्त्रीय द्वंद्वों को उद्घाटित करती हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतियों का क्रियान्वयन आरंभ हो चुका है। इस शोध अध्ययन के परिणामों से स्पष्ट है कि शैक्षिक सुधारों को साकार करने के लिए नीति-निर्माताओं को विद्यालय स्तर पर अध्यापकों के विश्वासों और धारणाओं को संज्ञान में लेना होगा। यदि अध्यापकों के विश्वासों को संबोधित नहीं किया जाएगा तो वे शैक्षिक सुधारों को यांत्रिक ढंग से समझेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। सेवारत और सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में सहभागी शिक्षार्थी-शिक्षकों या अध्यापकों के विश्वासों एवं परिप्रेक्ष्यों को संबोधित करना चाहिए। विशेषकर सेवारत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में अध्यापकों के विश्वासों को संबोधित करने के लिए क्या करना है? क्यों करें? को भी सम्मिलित किया जाए। उन्हें मनन और संवाद द्वारा खुद के अभ्यास पर विचार करने का अवसर दिया जाए। इससे उनमें स्वायत्तता बोध भी विकसित होगा और वे बदलाव के अभिकर्ता की भूमिका को चरितार्थ करेंगे। यहाँ पर यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि केवल शिक्षण की युक्तियों या शिक्षण सहायक सामग्रियों के निर्माण और उपयोग से शैक्षिक सुधार साकार नहीं होंगे, इसके लिए अध्यापकों के शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि और परिवेश से संबंधित विश्वासों और मान्यताओं को भी संबोधित करना होगा। अध्यापकों को सकारात्मक पेशेवर अभिवृत्ति में दक्ष करना होगा कि उनके द्वारा किया जा रहा शिक्षण सामाजिक बदलाव का माध्यम है। इसके लिए अध्यापकों को सतत पेशेवर विकास का अवसर दिया जाए। उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का आभार माना जाए। जो अध्यापक सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उनके अनुभवों को साझा किया जाए। गतिविधि आधारित शिक्षण एवं लोकतांत्रिक कक्षा तथा विद्यालय और समुदाय के संबंध की घनिष्ठता को भी बढ़ाना होगा। इसके लिए अध्यापकों को शिक्षार्थियों के पारिवारिक और सामुदायिक जीवन से जुड़ने के उपाय व अवसर प्रदान करना होगा। इस तरह से अध्यापकों को शिक्षा में बदलाव के संवाहक के रूप में तैयार किया जा सकता है।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

कालरा, एम.बी. और बी. बवेजा. 2010. स्टूडेंट टीचर्स थिंकिंग अबाउट नॉलेज, लर्निंग एंड लर्नर्स इन इंडिया. *लिटरेसी, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर एजुकेशन जर्नल*.1 (1), पृष्ठ संख्या 33–45.

कुमार, आर.एस. और के. सुब्रमण्यम्. 2015. फ्रॉम फालोइंग टू गोइंग बियांड द टेक्स्टबुक— इनसर्विस इंडियन मैथमैटिक्स टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचिंग इन्टीजर्स. *ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन*. 40 (12), पृष्ठ संख्या 86–103.

क्लार्क, पी. 2003. कल्चर एंड क्लासरूम रिफॉर्म— द केस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट. *कंपेरेटिव एजुकेशन*. 39 (1), पृष्ठ संख्या 27–44.

जोशी, नार्गुडं वी., ए. मेरेडिथ, पी. रोजर्स और वी. एकर्सन. 2011. एक्सप्लोरिंग इंडियन सेकंडरी टीचर्स ओरिएंटेशन एंड प्रैक्टिस फॉर टीचिंग साइंस इन एन इरा ऑफ रिफॉर्म. *जर्नल ऑफ रिसर्च इन साइंस टीचिंग*. 48(6), पृष्ठ संख्या 624–647.

टर्नर, जे.सी., ए. क्रिस्टीन, और डी.के. मेयर. 2009. टीचर्स बिलीफ्स अबाउट स्टूडेंट लर्निंग एंड मोटीवेशन. संपादन में एल.जे. साहा और ए.जी. ड्वाक्रिन (संपादक). *इंटरनेशनल हैंडबुक ऑफ रिसर्च ऑन टीचर्स एंड टीचिंग*. पृष्ठ संख्या 361–371.

नथहाल, जी. 2004. रिलेटिंग क्लासरूम टीचिंग टू स्टूडेंट लर्निंग— ए क्रिटिकल एनालसिस ऑफ व्हाई रिसर्च हैज फेल्ड टू ब्रिज द थियरी-प्रैक्टिस गैप. *हार्वर्ड एजुकेशनल रिव्यू*. 74, पृष्ठ संख्या 273–306.

पार्वट, आर. 1992. टीचर्स बिलीफ अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग— ए कन्स्ट्रक्टीविस्ट पर्सपेक्टिव. *अमेरिकन जर्नल ऑफ एजुकेशन*. 100, पृष्ठ संख्या 354–395.

ब्रिंकमैन, एस. 2015. लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया— द मिसिंग पीस ऑफ टीचर्स बिलीफस. *पॉलिसी फ्यूचर्स इन एजुकेशन*. 13 (3), पृष्ठ संख्या 342–359.

सिंघला, एन., डी. पेडर्ब, डी. माल्थिस, एम. सन्मुगम, एस. मानिकवासगम और एम. गोविंदारा. 2017. इनसाइट्स फ्रॉम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्लासरूम्स इन तमिलनाडु, इंडिया— टीचर्स पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिसिज. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट*. 60, पृष्ठ संख्या 165–171.

© NCERT not to be republished

उच्च शिक्षा स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार का उनके आवासीय वातावरण, स्थानीयता तथा जेंडर के संदर्भ में अध्ययन

तनुज कुमार *
श्याम सुन्दर कुशवाहा **

इस शोध पत्र में उच्च शिक्षा स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार का उनके आवासीय वातावरण, स्थानीयता तथा जेंडर के संदर्भ में अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। यह शोध अध्ययन वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि पर आधारित था। न्यादर्श हेतु झाँसी शहर के विभिन्न महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय परिसर से उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन विधि द्वारा उच्च शिक्षा स्तर के सत्र 2019–20 में अध्ययनरत 300 छात्रावासीय एवं 300 गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों का चयन किया गया था। प्रदत्त संकलन हेतु शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित शैक्षिक व्यवहार मापनी का प्रयोग किया गया था। शैक्षिक व्यवहार का मापन तीन आयामों यथा अध्ययन आदतें, शैक्षिक निष्पादन तथा तकनीक का प्रयोग पर आधारित था। संकलित प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन एवं t-परीक्षण का प्रयोग किया गया था। प्रदत्तों के विश्लेषण के फलस्वरूप पाया गया कि विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों, शैक्षिक निष्पादन एवं तकनीक प्रयोग व्यवहार को आवासीय वातावरण, स्थानीयता तथा जेंडर प्रभावित करते हैं। इस शोध अध्ययन के परिणामों के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक वातावरण को उनके अनुरूप बनाने में सहायता मिल सकेगी तथा विद्यार्थियों को महाविद्यालय, अध्यापक, मित्रों आदि के साथ उचित सामंजस्य विकसित करने हेतु प्रेरित किया जा सकेगा।

शिक्षा मानव की योग्यताओं के अधिकतम विकास का सबसे सरल, व्यवस्थित व प्रभावी तरीका है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य ने जन्मजात शक्तियों का अधिकतम विकास करके उसके ज्ञान, बोध व कौशल में वृद्धि की है। साथ ही शिक्षा एक सोद्देश्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में पूर्व निर्धारित अशिक्षित परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तथा विद्यार्थियों की स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इन सीखने के प्रतिफलों की प्राप्ति के लिए शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया सम्पादित की जाती है। विद्यार्थियों ने सीखने के प्रतिफलों को किस सीमा तक प्राप्त किया है, यह उनके शैक्षिक निष्पादन को

* *असिस्टेंट प्रोफेसर*, शिक्षाशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय, संभल, उत्तर प्रदेश 244 302
** *एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष*, शिक्षाशास्त्र विभाग, राजकीय महिला महाविद्यालय, झाँसी, उत्तर प्रदेश 284 002

© NCERT not to be republished

भी बताता है। शैक्षिक निष्पादन से विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान, बोध, कौशल तथा अनुप्रयोग आदि योग्यताओं की अभिव्यक्ति होती है। विद्यार्थियों के शैक्षिक निष्पादन में विद्यालय का वातावरण, परिवार, अध्यापक का व्यवहार, अध्ययन विधि एवं विद्यार्थियों की योग्यता आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें उनकी अध्ययन आदतें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नोट्स तैयार करना, अभ्यास करना, एकाग्रतापूर्वक अध्ययन करना, अध्ययन में सहायता करना, समूह में अंत:क्रियात्मक व्यवहार और समय-सारणी अनुसार अध्ययन आदि प्रमुख अध्ययन आदतें हैं।

विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार में तकनीकी का प्रयोग भी एक प्रभावशाली घटक है। अध्यापक विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए नई-नई तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं जिससे विद्यार्थियों को अधिकतम अधिगम कराया जा सके। विद्यार्थी भी ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल कक्षा-शिक्षण तथा पाठ्यपुस्तकों पर ही आश्रित नहीं हैं। वे ज्ञान प्राप्ति के लिए नई-नई तकनीक, यथा— इंटरनेट, कंप्यूटर, ऑनलाइन कक्षा, ऑनलाइन ट्यूटोरियल, अभिक्रमित अनुदेशन, यू-ट्यूब, ई-बुक्स, ई-लाईब्रेरी, मोबाईल लर्निंग आदि तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अध्यापक, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम तथा विद्यालय आदि क्षेत्रों में निरंतर शोध कार्य होते रहे हैं। इन शोध अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं का समाधान तथा नवाचारों को बढ़ावा देना होता है। यद्यपि छात्रावास शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। परंतु छात्रावास शोध के क्षेत्र में मुख्य विषय अभी तक नहीं बन पाया है। विद्यार्थी जीवन में छात्रावास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छात्रावासों का विद्यार्थियों के व्यवहार पर सार्थक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए शोध अध्ययन करने की आवश्यकता है। प्राचीन काल में विद्यार्थी घर से बाहर गुरूकुलों, आश्रम, मठ तथा विहारों में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। इन संस्थाओं ने विद्यार्थियों में उत्तम चरित्र, नैतिकता तथा अच्छे नागरिक बनने के गुणों को विकसित करने में योगदान दिया था। छात्रावास केवल शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक आवासीय स्थान मात्र नहीं है। बल्कि यह विद्यार्थियों की एक जीवन शैली है। पूर्ववर्ती शोधार्थियों ने छात्रावास के इसी महत्व के कारण छात्रावासीय वातावरण का विद्यार्थियों के समायोजन, छात्रावासीय वातावरण के प्रति संतुष्टि, संवेगात्मक परिपक्वता, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता, शैक्षिक उपलब्धि आदि चरों के आधार पर शोध अध्ययन किए हैं। जिस प्रकार विद्यार्थी के व्यवहार पर विद्यार्थी के परिवार, विद्यालय तथा समाज आदि का प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों पर छात्रावासीय वातावरण का भी किसी न किसी रूप में प्रभाव पड़ता है। चूँकि, शोधार्थी भी छात्रावास के विद्यार्थी रहे हैं इसलिए उन्होंने विद्यार्थियों के सामाजिक व शैक्षिक जीवन पर छात्रावास के प्रभाव पर शोध अध्ययन करने का निर्णय लिया।

शोधार्थी द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार पर विविध शैक्षिक वातावरणों के प्रभाव पर हुए पूर्ववर्ती शोधों का अध्ययन किया गया, जिनमें शाखा (2010), सिंह (2017) तथा नायक व मरकाम (2018) ने शैक्षिक उपलब्धि व शालेय वातावरण में धनात्मक सहसंबंध पाया। नायक (2010) ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के

© NCERT not to be republished

विद्यार्थियों के शालेय वातावरण में सार्थक अंतर पाया। पाण्डेय (2012) द्वारा किए गए शोध अध्ययन में छात्रावासीय तथा गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति व शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। कुमार (2012) ने शहरी व ग्रामीण विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर पाया। रिछारिया (2012) ने गृह वातावरण का करियर के प्रति निर्णय लेने की क्षमता पर सार्थक प्रभाव पाया। फैजी एवं अन्य (2014) ने छात्रावासीय जीवन को अपनाने में आने वाली समस्याओं पर जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पाया। स्वामी (2015) ने सामाजिक, शैक्षिक व संवेगात्मक समायोजन में गैर-छात्रावासीय व छात्रावासीय विद्यार्थियों में सार्थक अंतर पाया। इफ्तेकार (2015) द्वारा किए गए शोध अध्ययन में छात्रावास का विद्यार्थियों के शैक्षिक जीवन में सार्थक प्रभाव पाया गया। पाण्डेय (2015) ने पारिवारिक वातावरण व शैक्षिक उपलब्धि में धनात्मक सहसंबंध पाया। गौड़ व कुमार (2015) तथा मिश्रा (2017) ने शैक्षिक उपलब्धि व अध्ययन आदत में धनात्मक सहसंबंध पाया। उल व अली (2015) ने छात्रावासीय वातावरण संतुष्टि और शैक्षिक निष्पादन में सार्थक सहसंबंध पाया। चौधरी (2016) ने गृह वातावरण का अध्ययन आदत तथा शैक्षिक अभिप्रेरणा पर सार्थक प्रभाव पाया। चौहान (2016) तथा यादव (2018) ने पारिवारिक वातावरण व शैक्षिक उपलब्धि में सकारात्मक संबंध पाया।

सिंह (2016) ने छात्रावासीय विद्यार्थियों की अपेक्षा गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों का आत्म-प्रत्यय स्तर श्रेष्ठ पाया। उपाध्याय (2016) ने दिवा विद्यार्थियों तथा छात्रावासीय विद्यार्थियों के समायोजन में सार्थक अंतर पाया। मुनीर एवं अन्य (2016) ने छात्रावासीय तथा दिवा विद्यार्थियों के संवेगों में सार्थक अंतर पाया परंतु चिंता, निर्भरता तथा उत्तेजना में दोनों समूहों में कोई अंतर नहीं पाया। जैकब एवं कौशिक (2017) द्वारा किए गए शोध अध्ययन में छात्रावासीय विद्यार्थियों की अपेक्षा दिवा विद्यार्थियों का स्वास्थ्य स्तर अच्छा पाया गया जबकि छात्रावासीय विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति दिवा विद्यार्थियों से अधिक पाई गई। त्रिपाठी व सिंह (2017) ने शालेय सांवेगिक वातावरण का ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर समान प्रभाव पाया। शुक्ला (2017) ने शैक्षिक उपलब्धि का समायोजन पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया। शर्मा और चंदानी (2018) ने छात्रावासीय वातावरण का छात्राओं के व्यक्तित्व विकास तथा आत्म-प्रबंधन कौशल पर सकारात्मक प्रभाव पाया। डैडजी (2018) द्वारा किए गए शोध अध्ययन में छात्रावास में तीन वर्ष तक रहने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक, शैक्षिक व नेतृत्व व्यवहार में सकारात्मक वृद्धि पाई गई। जेस्ट और अन्य (2018) द्वारा किए गए शोध अध्ययन में छात्रावासीय तथा दिवा विद्यार्थियों में जेंडर के आधार पर संवेगात्मक बुद्धिमत्ता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। डूलाल (2019) के शोध अध्ययन में छात्रावासीय सुविधाओं का स्तर संतोषजनक पाया गया एवं अध्ययन व्यवस्था में छात्रावासीय वातावरण की सार्थक भूमिका पाई गई।

उक्त संबंधित साहित्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार पर आवासीय वातावरण एवं अन्य चरों के प्रभाव को

© NCERT not to be republished

ज्ञात करने के लिए बहुत से शोध अध्ययन हुए हैं। उपरोक्त शोध अध्ययनों में उच्च शिक्षा स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार का उनके आवासीय वातावरण, स्थानीयता तथा जेंडर के संदर्भ में अध्ययन पर कोई शोध अध्ययन नहीं हुआ है। अत: शोधार्थी द्वारा इसी शोध समस्या का चयन कर शोध अध्ययन किया गया।

समस्या कथन

उच्च शिक्षा स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार का उनके आवासीय वातावरण, स्थानीयता तथा जेंडर के संदर्भ में अध्ययन।

प्रयुक्त पदों की संक्रियात्मक परिभाषा

उच्च शिक्षा स्तर

इस शोध अध्ययन में उच्च शिक्षा स्तर से आशय स्नातक स्तर की शिक्षा से है। बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक स्तर के नियमित पाठ्यक्रमों (चिकित्सा तथा विधि को छोड़कर) को इस शोध अध्ययन में उच्च शिक्षा स्तर के रूप में परिभाषित किया गया है।

शैक्षिक व्यवहार

शैक्षिक व्यवहार का संबंध अध्यापक तथा विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले क्रियाकलापों से होता है। इस शोध अध्ययन में छात्रावासीय एवं गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार के तीन आयामों शैक्षिक निष्पादन, अध्ययन आदतें, तकनीकी के प्रयोग का अध्ययन किया गया।

इस शोध अध्ययन में शैक्षिक निष्पादन का अर्थ विद्यार्थियों के शैक्षणिक क्रियाकलापों में प्रतिभागिता से है। अध्ययन आदतों में विद्यार्थियों द्वारा नोट्स तैयार करना, अभ्यास करना, ध्यानपूर्वक अध्ययन करना, अध्ययन में सहायता करना, समूह में अंतर्क्रियात्मक व्यवहार, अध्ययन अवधि, अध्ययन विधि और समय-सारणी अनुसार अध्ययन आदि को समाहित किया गया है। तकनीक का प्रयोग से तात्पर्य अध्ययन की प्रक्रिया में आधुनिक यंत्रों यथा मोबाईल, लैपटॉप तथा ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रमों से अध्ययन करने से है।

आवासीय वातावरण

सामान्यतः आवासीय वातावरण से तात्पर्य उस वातावरण से है जिस वातावरण में विद्यार्थी रहते हैं। आवासीय वातावरण विद्यार्थी के व्यवहार, स्वभाव तथा विकास को प्रभावित करता है। इस शोध अध्ययन में आवासीय वातावरण के दो पक्ष सम्मिलित हैं—

- **छात्रावासीय वातावरण**— छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को जो आवासीय वातावरण प्राप्त होता है। इस शोध अध्ययन में उसे ही छात्रावासीय वातावरण माना गया है।
- **गैर-छात्रावासीय वातावरण**— गैर छात्रावासीय वातावरण से तात्पर्य ऐसे विद्यार्थियों से है जो अपने अभिभावकों के साथ अपने आवास में रहते हैं।

स्थानीयता

सामान्यतः स्थानीयता से तात्पर्य व्यक्ति के रहने वाले स्थान से होता है। प्रस्तुत अध्ययन में स्थानीयता के अंतर्गत दो पक्षों को सम्मिलित किया गया है—

- **ग्रामीण क्षेत्र**— ग्रामीण क्षेत्र से तात्पर्य ग्राम पंचायत सीमा के अंतर्गत आने वाली जनसंख्या से है।

© NCERT not to be republished

- **शहरी क्षेत्र**— शहरी क्षेत्र से तात्पर्य नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाली जनसंख्या से है।

अध्ययन के उद्देश्य

- छात्रावासीय तथा गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार (अध्ययन आदतों, शैक्षिक निष्पादन एवं तकनीकी के प्रयोग) का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- छात्र एवं छात्राओं के शैक्षिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाएँ

- छात्रावासीय एवं गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक व्यवहार में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।
- छात्र एवं छात्राओं के शैक्षिक व्यवहार में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।
- ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक व्यवहार में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

शोध प्रक्रिया

अध्ययन विधि

शोध अध्ययन में वर्णनात्मक शोध की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया था।

प्रतिदर्श

इस शोध अध्ययन में प्रतिदर्श के रूप में झाँसी शहर के विभिन्न महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय परिसर से उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन विधि द्वारा उच्च शिक्षा स्तर के सत्र 2019–20 में अध्ययनरत 300 छात्रावासीय एवं 300 गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों का चयन किया गया था।

उपकरण

आँकड़ों का संकलन करने के लिए शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित शैक्षिक व्यवहार मापनी का प्रयोग किया गया था जिसमें कुल 50 प्रश्न थे। शैक्षिक व्यवहार का मापन तीन आयामों क्रमशः अध्ययन आदत, शैक्षिक निष्पादन तथा तकनीक का प्रयोग के आधार पर किया गया। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रश्नावली में पाँच प्रतिक्रिया विकल्प यथा पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत तथा पूर्णतः असहमत के लिए क्रमशः 5, 4, 3, 2 तथा 1 अंक प्रदान किया गया है। नकारात्मक प्रश्नों का अंकन इसके विपरीत यथा 1, 2, 3, 4 तथा 5 अंक प्रदान करके किया गया था।

प्रयुक्त सांख्यिकीय

इस शोध अध्ययन में आँकड़ों के विश्लेषण के लिए मध्यमान, मानक विचलन तथा t-मान का प्रयोग किया गया था।

परिणाम एवं विवेचना

छात्रावासीय एवं गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन

छात्रावासीय एवं गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार की तुलना करने के लिए संकलित प्राप्तांकों का मध्यमान व मानक विचलन तथा दोनों समूह के मध्य शैक्षिक व्यवहार के मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जाँच के लिए क्रांतिक-अनुपात मान की गणना की गई, जिसे तालिका 1 में दर्शाया गया है।

© NCERT not to be republished

तालिका 1— छात्रावासीय एवं गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार के सांख्यिकीय मान

शैक्षिक व्यवहार एवं संबंधित आयाम	विद्यार्थियों का समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात मान	स्वतंत्र्यांश	सार्थकता स्तर
अध्ययन आदतें	छात्रावासीय	300	95.98	8.49	8.02	598	>.01
	गैर-छात्रावासीय	300	91.44	4.85			
शैक्षिक निष्पादन	छात्रावासीय	300	70.37	6.17	5.99	598	>.01
	गैर-छात्रावासीय	300	67.69	4.69			
तकनीक का प्रयोग	छात्रावासीय	300	29.89	4.59	5.54	598	>.01
	गैर-छात्रावासीय	300	27.84	4.46			
समग्र शैक्षिक व्यवहार	छात्रावासीय	300	196.24	12.07	10.10	598	>.01
	गैर-छात्रावासीय	300	186.98	10.10			

अध्ययन आदतें आयाम

तालिका 1 में वर्णित छात्रावासीय एवं गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार के अध्ययन आदत आयाम के प्राप्तांकों के मध्यमान क्रमशः 95.98 तथा 91.44 है। स्पष्ट है कि छात्रावासीय विद्यार्थियों के अध्ययन आदत आयाम का मध्यमान गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों के मध्यमान से अधिक है। दोनों समूहों में मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जाँच के लिए क्रांतिक-अनुपात मान 8.02 है, जो कि स्वतंत्र्यांश 598 के लिए .01 सार्थकता स्तर पर सार्थक है। अतः इससे संबंधित शून्य परिकल्पना "छात्रावासीय एवं गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है" को अस्वीकृत किया जाता है। अत: कहा जा सकता है कि छात्रावासीय तथा गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों में सार्थक अंतर है। गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों की अपेक्षा छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी पारिवारिक दायित्वों से मुक्त रहते हैं। उनके अध्ययन में व्यवधान की संभावना गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों की अपेक्षा कम होती है। समय व संसाधनों की उपलब्धता के कारण छात्रावासीय विद्यार्थी समय-सारणी अनुसार अध्ययन कार्य में लगे रहते हैं। इसलिए छात्रावासीय विद्यार्थियों की अध्ययन आदतें सार्थक रूप से गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों से उत्तम हो सकती हैं। डैडजी (2018) के शोध परिणाम में भी छात्रावास में रहने की अवधि व शैक्षिक व्यवहार में सार्थक सहसंबंध पाया गया तथा छात्रावास में रहने से विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार में सकारात्मक वृद्धि पाई गई। जो इस शोध अध्ययन के परिणाम की पुष्टि करता है।

शैक्षिक निष्पादन आयाम

तालिका 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि छात्रावासीय एवं गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार के शैक्षिक निष्पादन आयाम के प्राप्तांकों के मध्यमान क्रमशः 70.37 तथा 67.69 है। स्पष्ट है कि छात्रावासीय विद्यार्थियों के शैक्षिक आयाम

© NCERT not to be republished

प्राप्तांकों का मध्यमान गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों से अधिक है। दोनों समूह के शैक्षिक निष्पादन प्राप्तांकों के मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जाँच के लिए क्रांतिक-अनुपात मान 5.99 प्राप्त हुआ है जो स्वतंत्र्यांश 598 के लिए .01 सार्थकता स्तर पर सार्थक है। अतः इससे संबंधित शून्य परिकल्पना "छात्रावासीय एवं गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों के शैक्षिक निष्पादन में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है" को अस्वीकृत किया जाता है। अत: कहा जा सकता है कि गैर-छात्रावासीय समूह की अपेक्षा छात्रावासीय समूह का शैक्षिक निष्पादन सार्थक रूप से श्रेष्ठ है। इसका कारण यह हो सकता है कि छात्रावास में परीक्षाकाल में परीक्षा के प्रति गंभीर वातावरण बन जाता है, जिसमें विद्यार्थी दिन-रात अध्ययन करते रहते हैं। छात्रावास में उच्च गुणवत्तापूर्ण पाठ्यसामग्री, वरिष्ठ साथियों से सहायता तथा साथियों के साथ सामूहिक विचार-विमर्श के अवसरों से छात्रावासीय विद्यार्थियों के शैक्षिक निष्पादन में वृद्धि होती है। इसलिए गैर-छात्रावासीय समूह से छात्रावासीय समूह का शैक्षिक निष्पादन श्रेष्ठ है। जुबैर (2011) ने भी अपने शोध अध्ययन में छात्रावासीय तथा गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर पाया, जिसमें छात्रावासीय समूह को श्रेष्ठ पाया गया। इससे इस शोध परिणाम को बल मिलता है।

तकनीक का प्रयोग आयाम

तालिका 1 में वर्णित छात्रावासीय एवं गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार के तकनीक का प्रयोग आयाम के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 29.89 तथा 27.84 है। दोनों समूहों में मध्यमानों के अंतर की सार्थकता के लिए क्रांतिक-अनुपात मान 5.54 है, जो कि स्वतंत्र्यांश की कोटि 598 के लिए .01 सार्थकता स्तर पर सार्थक है। अतः इससे संबंधित शून्य परिकल्पना "छात्रावासीय एवं गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों के तकनीक का प्रयोग में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है" को अस्वीकृत किया जाता है। अत: कहा जा सकता है कि गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों की अपेक्षा छात्रावासीय विद्यार्थी तकनीक का प्रयोग सार्थक रूप से अधिक करते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी घर से दूर रहते हैं इसलिए परिवार वालों से संपर्क बनाए रखने के लिए सामान्यतः सभी विद्यार्थियों के पास मोबाइल फोन रहता है, जिससे इंटरनेट का प्रयोग करते हुए वे बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। छात्रावास में विद्यार्थियों के पास लैपटॉप, आईपैड, डेस्कटाप आदि उपकरण उपलब्ध रहते हैं। विद्यार्थी स्वयं तथा दूसरे साथियों के इन उपकरणों का प्रयोग करते हुए अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। छात्रावास में पर्याप्त समय तथा संसाधनों की उपलब्धता के कारण विद्यार्थियों को तकनीक के प्रयोग के अवसर गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों से अधिक प्राप्त होते हैं। इसलिए छात्रावासीय विद्यार्थियों का तकनीकी प्रयोग व्यवहार उत्तम है।

समग्र शैक्षिक व्यवहार

तालिका 1 के निरीक्षण से स्पष्ट है कि छात्रावासीय समूह के शैक्षिक व्यवहार प्राप्तांकों का मध्यमान 196.24 है, जबकि गैर-छात्रावासीय समूह का मध्यमान 186.98 है। स्पष्ट है कि छात्रावासीय समूह

© NCERT not to be republished

के समग्र शैक्षिक व्यवहार प्राप्तांकों का मध्यमान, गैर-छात्रावासीय समूह के मध्यमान से अधिक है। दोनों समूहों में मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जाँच के लिए क्रांतिक-अनुपात मान 10.10 है, जो कि स्वतंत्र्यांश 598 के लिए .01 सार्थकता स्तर पर सार्थक है। अतः इससे संबंधित शून्य परिकल्पना ''छात्रावासीय एवं गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक व्यवहार में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है'' को अस्वीकृत किया जाता है। अत: कहा जा सकता है कि छात्रावासीय तथा गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार में सार्थक अंतर है अर्थात् गैर-छात्रावासीय समूह की अपेक्षा छात्रावासीय समूह का शैक्षिक व्यवहार सार्थक रूप से श्रेष्ठ है। इसका कारण छात्रावासीय समूह का उच्च शैक्षिक निष्पादन, तकनीक का अधिक प्रयोग, समय व संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता, प्रतियोगितापूर्ण वातावरण, वरिष्ठ विद्यार्थियों से मार्गदर्शन के पर्याप्त अवसर तथा नोट्स व पुस्तकों की सुगम उपलब्धता हो सकते हैं। उल व अली (2015), डैडजी (2018), जैकब एवं कौशिक (2017) तथा स्वामी (2015) के शोध अध्ययनों में भी छात्रावासीय वातावरण की शैक्षिक व्यवहार में सकारात्मक भूमिका पाई गई है, जिससे इस शोध परिणाम को समर्थन मिलता है।

छात्रावासीय व गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार के तीनों आयामों यथा अध्ययन आदतें, शैक्षिक निष्पादन एवं तकनीक का प्रयोग तथा समग्र शैक्षिक व्यवहार की तुलना को क्रमशः आरेख संख्या 1, 2, 3 व 4 में दर्शाया गया है।

छात्र एवं छात्राओं के शैक्षिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन

छात्र एवं छात्राओं के शैक्षिक व्यवहार की तुलना करने के लिए संकलित प्राप्तांकों से मध्यमान,

तालिका 2— छात्र एवं छात्राओं के शैक्षिक व्यवहार के सांख्यिकीय मान

शैक्षिक व्यवहार एवं संबंधित आयाम	विद्यार्थियों का समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात मान	स्वतंत्र्यांश	सार्थकता स्तर
अध्ययन आदतें	छात्र	300	93.11	7.71	2.01	598	>.05
	छात्राएँ	300	94.31	6.77			
शैक्षिक निष्पादन	छात्र	300	69.01	5.90	0.09	598	<.05
	छात्राएँ	300	69.05	5.37			
तकनीक का प्रयोग	छात्र	300	29.53	4.91	3.56	598	>.01
	छात्राएँ	300	28.19	4.25			
समग्र शैक्षिक व्यवहार	छात्र	300	191.66	12.48	0.10	598	<.05
	छात्राएँ	300	191.56	11.62			

© NCERT not to be republished

मानक विचलन तथा क्रांतिक-अनुपात मान की गणना की गई है, जिसे तालिका 2 में प्रदर्शित किया गया है।

अध्ययन आदतें आयाम

तालिका 2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि छात्र एवं छात्राओं के शैक्षिक व्यवहार की अध्ययन आदत आयाम के प्राप्तांकों के मध्यमान क्रमशः 93.11 तथा 94.31 हैं। स्पष्ट है कि छात्रा समूह के प्राप्तांकों का मध्यमान छात्र समूह के प्राप्तांकों के मध्यमान से अधिक है। दोनों समूहों में प्राप्तांकों के मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जाँच के लिए क्रांतिक-अनुपात मान 2.01 है, जो कि स्वतंत्र्यांश 598 के लिए 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है। अतः इससे संबंधित शून्य परिकल्पना ''छात्र एवं छात्राओं की अध्ययन आदतों में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है'' को अस्वीकृत किया जाता है। अत: कहा जा सकता है कि छात्र एवं छात्राओं की अध्ययन आदतों में सार्थक अंतर पाया गया। दोनों समूहों में अंतर होने का कारण शायद यह हो सकता है कि छात्र समूह की खेल व व्यायाम में अधिक रुचि होती है। जिससे उनका समय व ऊर्जा इन खेलों में लग जाती है। जबकि छात्राएँ खेलकूद एवं घरेलू कार्यों में संलग्न रहते हुए भी अध्ययन कार्य पूर्ण कर लेती हैं। इस प्रकार दोनों समूहों की अध्ययन आदतों में अंतर हो सकता है।

शैक्षिक निष्पादन आयाम

तालिका 2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि छात्र समूह के शैक्षिक व्यवहार के शैक्षिक निष्पादन आयाम के प्राप्तांकों का मध्यमान 69.01 है जबकि छात्रा समूह के शैक्षिक निष्पादन आयाम के प्राप्तांकों का मध्यमान 69.05 है। स्पष्ट है कि छात्रा समूह के प्राप्तांकों का मध्यमान छात्र समूह के मध्यमान से अधिक है। दोनों समूहों में प्राप्तांकों के मध्यमानों में अंतर की सार्थकता की जाँच के लिए क्रांतिक-अनुपात मान 0.09 है, जो कि स्वतंत्र्यांश 598 के लिए .05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः इससे संबंधित शून्य परिकल्पना “छात्र-छात्राओं के शैक्षिक निष्पादन में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है” को स्वीकृत किया जाता है। अत: कहा जा सकता है कि छात्र तथा छात्रा समूह के शैक्षिक निष्पादन में कोई सार्थक अंतर नहीं है। इन दोनों समूहों के मध्यमानों में जो अंतर परिलक्षित हो रहा है वह शायद न्यादर्श त्रुटि का कारण हो सकता है। इन दोनों समूहों में अंतर नहीं होने का कारण छात्र-छात्राओं में उच्च शैक्षिक उपलब्धि के लिए समान प्रयास, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में समान सहभागिता और शैक्षिक संस्थानों का समान वातावरण हो सकते हैं। जुबैर (2011) के शोध अध्ययन में जेंडर भेद के आधार पर शैक्षिक निष्पादन में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। इस प्रकार जुबैर के शोध परिणाम से इस शोध अध्ययन के परिणाम की सत्यता की पुष्टि होती है।

तकनीक का प्रयोग आयाम

तालिका 2 में दर्शाया गया है कि छात्र एवं छात्राओं के शैक्षिक व्यवहार के तकनीक का प्रयोग आयाम के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 29.53 व

© NCERT not to be republished

28.19 है। स्पष्ट है कि छात्र समूह के प्राप्तांकों का मध्यमान छात्रा समूह के मध्यमान से अधिक है। दोनों समूहों में प्राप्तांकों के मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जाँच के लिए क्रांतिक-अनुपात मान 3.56 है, जो कि स्वतंत्र्यांश 598 के लिए .01 सार्थकता स्तर पर सार्थक है। अतः इससे संबंधित शून्य परिकल्पना "छात्र-छात्राओं के तकनीक प्रयोग व्यवहार में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है" को अस्वीकृत किया जाता है। अत: कहा जा सकता है कि छात्रा समूह की अपेक्षा छात्र समूह का तकनीक प्रयोग व्यवहार अधिक है। इसका कारण यह हो सकता है कि छात्राओं की अपेक्षा विद्यार्थियों को लैपटॉप, स्मार्ट फोन आदि अन्य तकनीकी उपकरण सुगमता से उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही, छात्राओं की अपेक्षा विद्यार्थियों को इन उपकरणों के प्रयोग के समय अभिभावकों की रोक-टोक का सामना नहीं करना पड़ता है, जिससे तकनीकी उपकरणों के प्रयोग के अधिक अवसरों से उनका तकनीकी प्रयोग व्यवहार छात्राओं से अधिक हो सकता है।

समग्र शैक्षिक व्यवहार

तालिका 2 में दर्शाया गया है कि छात्र समूह के समग्र शैक्षिक व्यवहार प्राप्तांकों का मध्यमान 191.66 है जबकि छात्रा समूह के शैक्षिक व्यवहार के प्राप्तांकों का मध्यमान 191.56 है। स्पष्ट है कि छात्र समूह के समग्र शैक्षिक व्यवहार प्राप्तांकों का मध्यमान छात्रा समूह के मध्यमान से थोड़ा-सा अधिक है। दोनों समूहों में प्राप्तांकों के मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जाँच के लिए क्रांतिक-अनुपात मान 0.10 है, जो कि स्वतंत्र्यांश 598 के लिए .05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः इससे संबंधित शून्य परिकल्पना "छात्र एवं छात्राओं के समग्र शैक्षिक व्यवहार में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है" को स्वीकृत किया जाता है। अत: कहा जा सकता है कि छात्र समूह तथा छात्रा समूह के शैक्षिक व्यवहार में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। इन दोनों समूहों के मध्यमानों में जो अंतर परिलक्षित हो रहा है वह केवल न्यादर्श त्रुटि के कारण हो सकता है। इन दोनों समूहों में अंतर नहीं होने का कारण छात्र एवं छात्राओं का शिक्षा प्राप्ति के लिए समान रूप से प्रयासरत होना तथा समान वातावरण, सुविधाएँ तथा समान रूप में संसाधनों की उपलब्धता हो सकता है। साथ ही, विद्यालय तथा परिवार में छात्र-छात्राओं को शिक्षा प्राप्ति के लिए समान अवसर देना भी एक प्रमुख कारण हो सकता है।

छात्र व छात्राओं के शैक्षिक व्यवहार के तीनों आयामों यथा अध्ययन आदतें, शैक्षिक निष्पादन एवं तकनीक का प्रयोग तथा समग्र शैक्षिक व्यवहार की तुलना को क्रमशः आरेख संख्या 1, 2, 3 व 4 में दर्शाया गया है।

ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन

ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार की तुलना करने के लिए संकलित प्राप्तांकों से मध्यमान, मानक विचलन तथा क्रांतिक अनुपात मान की गणना की गई है, जिसे तालिका 3 में प्रदर्शित किया गया है।

© NCERT not to be republished

तालिका 3— ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार के सांख्यिकीय मान का परिदृश्य

शैक्षिक व्यवहार एवं संबंधित आयाम	विद्यार्थियों का समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात मान	स्वतंत्र्यांश	सार्थकता स्तर
अध्ययन आदतें	ग्रामीण	275	92.66	7.98	3.27	598	>.01
	शहरी	325	94.60	6.49			
शैक्षिक निष्पादन	ग्रामीण	275	68.87	5.84	0.64	598	<.05
	शहरी	325	69.17	5.46			
तकनीक का प्रयोग	ग्रामीण	275	28.48	4.52	2.16	598	>.05
	शहरी	325	29.30	4.75			
समग्र शैक्षिक व्यवहार	ग्रामीण	275	190.84	12.50	1.43	598	<.05
	शहरी	325	192.26	11.63			

अध्ययन आदतें आयाम

तालिका 3 के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार की अध्ययन आदतें आयाम के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 92.66 तथा 94.60 है। स्पष्ट है कि शहरी समूह की अध्ययन आदतें आयाम के प्राप्तांकों का मध्यमान ग्रामीण समूह से अधिक है। दोनों समूहों में मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जाँच के लिए क्रांतिक-अनुपात मान 3.27 है, जो कि स्वतंत्र्यांश 598 के लिए 0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक है। अतः इससे संबंधित शून्य परिकल्पना "ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है" को अस्वीकृत किया जाता है। अत: कहा जा सकता है कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों में सार्थक अंतर पाया गया। इन दोनों समूहों की अध्ययन आदतों में अंतर होने का कारण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की कृषि, पशुपालन तथा अन्य दैनिक क्रियाकलापों में संलग्नता हो सकता है जिससे उनकी दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में शैक्षिक एवं अन्य सुविधाओं का अभाव होने से भी ग्रामीण विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा।

शैक्षिक निष्पादन आयाम

तालिका 3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के शैक्षिक निष्पादन आयाम के प्राप्तांकों का मध्यमान 68.87 जबकि शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के शैक्षिक निष्पादन आयाम के प्राप्तांकों का मध्यमान 69.17 है। स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के शैक्षिक निष्पादन आयाम का मध्यमान ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्यमान से अधिक है। दोनों समूहों में प्राप्तांकों के मध्यमानों के अंतर की सार्थकता जाँच के लिए क्रांतिक-अनुपात मान 0.64 प्राप्त हुआ है जो कि स्वतंत्र्यांश 598 के लिए .05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः इससे संबंधित शून्य परिकल्पना "ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के शैक्षिक निष्पादन में कोई सार्थक अंतर

© NCERT not to be republished

नहीं होता है" को स्वीकृत किया जाता है। अत: कहा जा सकता है कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के शैक्षिक निष्पादन में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। मध्यमानों में जो अंतर परिलक्षित हो रहा है वह न्यादर्श की त्रुटि के कारण हो सकता है। इन दोनों समूहों में अंतर नहीं होने के कारण समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तत्परता, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में एकसमान सहभागिता, समान आयु वर्ग, समान शिक्षा स्तर आदि कारक उत्तरदायी हो सकते हैं। इसीलिए दोनों समूहों के शैक्षिक निष्पादन में कोई सार्थक अंतर नहीं है। त्रिपाठी एवं सिंह (2017) ने अपने शोध में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के शैक्षिक निष्पादन की तुलना में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया। अत: त्रिपाठी एवं सिंह के शोध परिणाम से इस शोध अध्ययन के परिणाम को बल मिलता है।

तकनीक का प्रयोग आयाम

तालिका 3 के निरीक्षण से स्पष्ट है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार के तकनीक का प्रयोग आयाम के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 28.48 तथा 29.30 है। स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का मध्यमान ग्रामीण क्षेत्र के मध्यमान से अधिक है। दोनों समूहों में प्राप्तांकों के मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जाँच के लिए क्रांतिक-अनुपात मान 2.16 है, जो कि स्वतंत्र्यांश 598 के लिए .05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है। अतः इससे संबंधित शून्य परिकल्पना "ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के तकनीक का प्रयोग व्यवहार में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है" को अस्वीकृत किया जाता है। अत: कहा जा सकता है कि ग्रामीण व शहरी समूह के तकनीक प्रयोग व्यवहार में सार्थक अंतर है। इसका कारण शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों का नवीन तकनीक से परिचय होना, तकनीक के प्रयोग के प्रति जागरूकता, उनके आसपास तकनीकी संसाधनों की सुगम उपलब्धता हो सकता है।

समग्र शैक्षिक व्यवहार

तालिका 3 के निरीक्षण से स्पष्ट है कि कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक व्यवहार प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 190.84 तथा 192.26 है। स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक व्यवहार के प्राप्तांकों का मध्यमान ग्रामीण क्षेत्र के प्राप्तांकों के मध्यमान से अधिक है। दोनों समूहों में प्राप्तांकों के मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जाँच के लिए क्रांतिक-अनुपात मान 1.43 है, जो कि स्वतंत्र्यांश 598 के लिए .05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः इससे संबंधित शून्य परिकल्पना ''ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक व्यवहार में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है'' को स्वीकृत किया जाता है। अत: कहा जा सकता है कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। इन दोनों समूहों के मध्यमानों में जो अंतर परिलक्षित हो रहा है, वह न्यादर्श की त्रुटि के कारण हो सकता है। इन दोनों समूहों में अंतर नहीं होने के कारण यह भी हो सकता है कि आधुनिक युग में शिक्षा के प्रति ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अभिभावक बहुत सजग हो गए हैं और अपने पाल्यों को अच्छे से शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान पीढ़ी बर्हिमुखी है और सामान्यतः सभी विद्यार्थी शैक्षिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में पूर्ण मनोयोग से सहभागिता करते हैं। इसलिए दोनों समूहों के शैक्षिक व्यवहार में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

© NCERT not to be republished

जुबैर (2011) तथा त्रिपाठी एवं सिंह (2017) के शोध अध्ययन में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार में कोई अंतर नहीं पाया गया। इन शोध अध्ययनों से इस शोध अध्ययन के परिणाम की सत्यता की पुष्टि होती है।

ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार के तीनों आयामों यथा अध्ययन आदतें, शैक्षिक निष्पादन एवं तकनीक का प्रयोग तथा समग्र शैक्षिक व्यवहार की तुलना को क्रमशः आरेख संख्या 1, 2, 3 व 4 में दर्शाया गया है।

आरेख संख्या 1— विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों की अध्ययन आदतों की तुलना

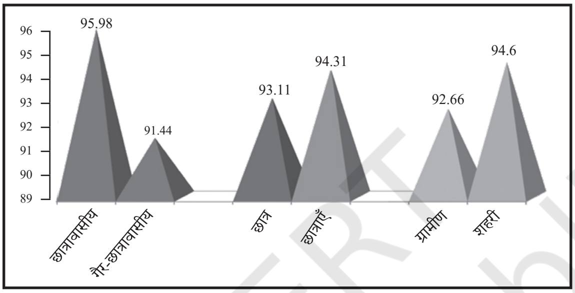

आरेख संख्या 2— विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के शैक्षिक निष्पादन की तुलना

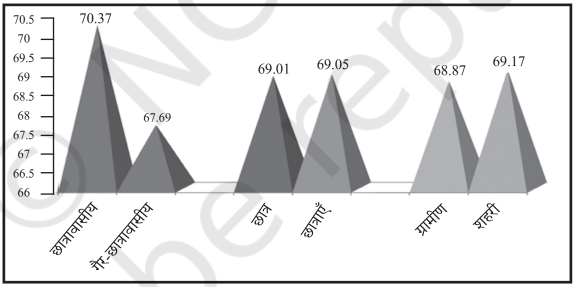

आरेख संख्या 3— विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के तकनीक का प्रयोग की तुलना

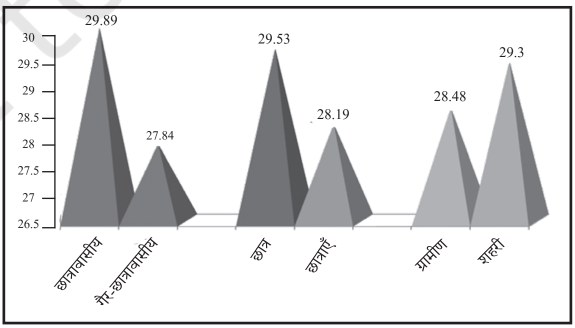

© NCERT not to be republished

आरेख संख्या 4— विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों के समग्र शैक्षिक व्यवहार की तुलना

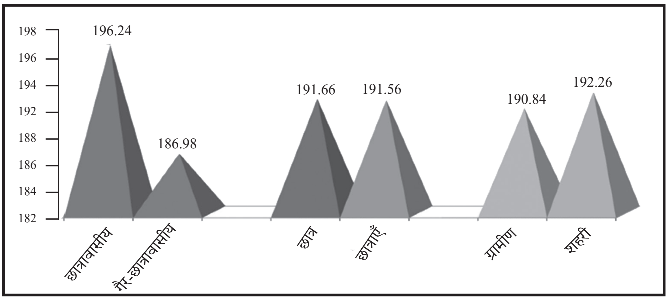

शोध निष्कर्ष

इस शोध अध्ययन के निष्कर्ष इस प्रकार हैं—

- छात्रावासीय विद्यार्थी अध्ययन आदत, शैक्षिक निष्पादन, तकनीक का प्रयोग एवं समग्र शैक्षिक व्यवहार में गैर-छात्रावासीय विद्यार्थियों से श्रेष्ठ हैं।
- छात्राएँ अध्ययन आदतों में छात्रों से श्रेष्ठ हैं जबकि छात्र तकनीक के प्रयोग में छात्राओं से उत्तम हैं। शैक्षिक निष्पादन एवं समग्र शैक्षिक व्यवहार में छात्र एवं छात्राओं में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।
- शहरी विद्यार्थी अध्ययन आदतों एवं तकनीक के प्रयोग में ग्रामीण विद्यार्थियों से श्रेष्ठ हैं। ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के शैक्षिक निष्पादन एवं समग्र शैक्षिक व्यवहार में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

शैक्षिक निहितार्थ

इस शोध अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ इस प्रकार हो सकते हैं—

विद्यार्थियों के लिए

इस शोध अध्ययन के परिणामों के आधार पर विद्यार्थियों के शैक्षिक वातावरण को उनके अनुरूप बनाए जाने में सहायता प्राप्त हो सकेगी। विद्यार्थियों को महाविद्यालय, अध्यापक, मित्रों तथा स्वयं के साथ उचित सामंजस्य विकसित करने हेतु प्रेरित किया जा सकेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करके उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए परिवार में एकांत स्थान की व्यवस्था के प्रति जागरूक बनाया जा सकेगा। छात्रावास की उपयोगिता को समझते हुए बच्चों को छात्रावास में रहकर शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों के प्रति जागरूक किया जा सकेगा।

अभिभावकों के लिए

इस शोध अध्ययन के परिणामों के आधार पर अभिभावकों में बालकों व बालिकाओं में बिना भेदभाव के दोनों के लिए समान सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों को नवीन तकनीक के प्रति जागरूक बनाकर ग्रामीण क्षेत्र में भी तकनीक के प्रयोग के अवसरों को बढ़ाया जा सकेगा। अभिभावकों को परामर्श प्रदान करके उन्हें शिक्षार्थी-बालिकाओं पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए दबाव

© NCERT not to be republished

बनाने की प्रवृत्ति को सुधारा जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों को जागरूक करके उन्हें छात्राओं की शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जा सकेगा। दिव्यांग विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण को उन्नत बनाते हुए बच्चों के पोषण तथा अध्ययन के लिए समय व संसाधनों की व्यवस्था के प्रति अभिप्रेरित किया जा सकेगा।

अध्यापकों के लिए

अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों हेतु अभिविन्यास (ओरिएंटेशन) कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके शैक्षिक व्यवहार को उन्नत बनाया जा सकेगा। विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति रुचि जाग्रत करके अध्ययन के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। विद्यार्थियों को विभिन्न महापुरुषों की जीवनी, प्रेरक प्रसंगों तथा उनके चित्रों के माध्यम से प्रेरित करके अध्ययन के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। विद्यार्थियों को महाविद्यालय में उपस्थिति के लिए प्रेरित करके अनुशासन व नियम पालन व्यवहार में उन्नत बनाया जा सकेगा। विद्यार्थियों को खेलकूद, सांस्कृतिक-कार्यक्रम, वाद-विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता में सहभागिता के अवसर प्रदान करके उनकी विविध क्षमताओं को विकसित किया जा सकेगा।

प्रशासकों के लिए

इस शोध अध्ययन के परिणामों के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थानों में स्थित छात्रावास में विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं यथा भोजन, विद्युत, पानी, पुस्तकालय, कंप्यूटर, इंटरनेट तथा चिकित्सा आदि सुविधाओं के स्तर में सुधार करके उन्हें उन्नत बनाया जा सकेगा। छात्रावासीय व्यवस्था को कंप्यूटीकृत करते हुए उसे और अधिक उन्नत बनाया जा सकेगा। छात्रावास में वार्डन तथा व्यवस्थापक को परामर्श प्रदान करके छात्रावास में अनुशासन स्तर सुधारा जा सकेगा। संस्थानों में पुस्तकालय व्यवस्था को सुधारकर उच्च कोटि का साहित्य उपलब्ध कराने से विद्यार्थियों में अध्ययन आदतों को विकसित किया जा सकेगा।

नीति-निर्माताओं के लिए

इस शोध अध्ययन के परिणाम नीति-निर्माताओं के लिए भी सहायक होंगे, जिसकी सहायता से वे इस तरह की नीतियों का निर्माण कर सकेंगे, जिसमें विद्यार्थियों को नवीन तकनीक का ज्ञान कराने तथा उसके द्वारा स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करने से विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहार को उत्तम बनाया जा सकेगा। विद्यार्थियों को शैक्षिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शामिल होने के अधिकाधिक अवसर प्रदान करके उनके शैक्षिक निष्पादन को उन्नत बनाया जा सकेगा। छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को यथा अवसाद, चिंता, तनाव एवं एकांतप्रियता आदि के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति करके छात्रावास की इन समस्याओं को दूर किया जा सकेगा।

संदर्भ

इफ्तकार, अमीना. 2015. ए क्वालीटेटिव स्टडी इनवेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ हॉस्टल लाइफ. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इमरजेन्सी मेंटल हेल्थ एंड ह्यूमन रेजीलेन्स*. वॉल्यूम 17, नंबर 1, पृष्ठ संख्या 511–515.

© NCERT not to be republished

उपाध्याय, चिंकी. 2016. ए कम्पेरेटिव स्टडी ऑफ एडजेस्टमेंट अमंग डे स्कॉलर्स एंड हॉस्टल स्टूडेन्ट. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी*. 3(4) 63. DIP 18-01-108/20160304-

उल, मन्सूर और हुसैन अली. 2015. इम्पैक्ट ऑफ हॉस्टल स्टैण्डर्स सैटिक्सफ़ेक्शन ऑन देयर एकेडमिक परफोर्मेंस इन श्रीलंका यूनिवर्सिटी. *5 वाँ इंटरनेशनल सिमपोजियम*. 2015-IntSym2015, SEUSL.

कुमार, आशीष. 2012. *माध्यमिक विद्यालय में किशोरावस्था के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनके पारिवारिक वातावरण, समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन*. अप्रकाशित पी-एच.डी. थीसिस. डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश.

गौड़, शोभा और सुशील कुमार. 2015. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि तथा उनकी अध्ययन आदतों के मध्य सहसंबंध का अध्ययन. *ह्युमेनीटिस एंड सोशल साइंस इंटरडिसीप्लेनरी एप्रोच*. वॉल्यूम 7, इश्यू 1, जून 2015.

चौधरी, मंजू. 2016. *माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के गृह वातावरण के संदर्भ में शैक्षिक अभिप्रेरणा का अधिगम आदत पर प्रभाव— एक अध्ययन*. अप्रकाशित पीएच.डी. थीसिस. डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वनस्थली विद्यापीठ, जयपुर, राजस्थान.

चौहान, श्रद्धा सिंह. 2016. *माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण व मानसिक स्वास्थ्य का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन*. पीएच.डी. शोध प्रबंध. डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान.

जुबैर, एम. 2011. छात्रावासीय वातावरण का विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि और सांवेगिक बुद्धि पर प्रभाव का अध्ययन. एम.फ़िल. शिक्षाशास्त्र विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ.

जेस्ट, सनी, अजमिया अहमद, आवास्थ गोपी, ऐश्वर्या टॉम और मेघा कुरियन. 2018. जेंडर डिफरेंस इन इमोशनल इंटेलिजेंस अमंग एडोलिसेंट्स हॉस्टलर एंड डे स्कॉलर्स. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करंट रिसर्च एंड एकेडमिक रिव्यू*. अप्रैल 2018, पृष्ठ संख्या 61–69.

जैकब, अशिन मर्लिन और अंजलि कौशिक. 2017. छात्रावासीय विद्यार्थियों तथा दिवा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य स्तर तथा शैक्षिक प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नर्सिंग मिडवाइफ*. वॉल्यूम 4, इश्यू 2, पृष्ठ संख्या 2–8.

डूलाल, दीपक. 2019. *लिविंग एंड लर्निंग इन हॉस्टल— ए केस स्टडी ऑफ द हॉस्टल ऑफ काठमांडू*. एम.फ़िल. थीसिस. स्कूल ऑफ एजुकेशन, काठमांडू यूनिवर्सिटी, नेपाल.

डैडजी, फिलोमेना. 2018. *एक्सप्लोरेट्री केस स्टडी ऑफ रेजिडेंस लाइफ एट ए घनाईयन पब्लिक यूनिवर्सिटी*. प्रोक्वेस्ट एल.एल.सी,, पी-एच.डी. डिजरटेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ फोनिक्स. http://www.proquest.com/en-US/products/dissertations/individuals

नायक, पी. के. और प्रियंका मरकाम. 2018. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शालेय वातावरण का विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस एजुकेशन एंड रिसर्च*. वॉल्यूम 3, इश्यू 3, मई 2018.

नायक, पुष्पा. 2010. *विद्यार्थियों के व्यक्तिगत मूल्यों पर शालेय वातावरण के प्रभाव का अध्ययन*. (लघु शोध संकलन 2009–10) क्रियात्मक शोध एवं नवाचार प्रभाग. एस.सी.ई.आर.टी., छत्तीसगढ़.

पाण्डेय, अनुराधा. 2015. *उच्च एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण एवं अध्ययन आदतों के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन*. अप्रकाशित पीएच.डी. थीसिस. डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश.

© NCERT not to be republished

पाण्डेय, दीपेन्द्र कुमार. 2012. *छात्रावासीय तथा गैर-छात्रावासीय अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन*. शैक्षिक लघु शोध प्रबंध संकलन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार प्रकोष्ठ, एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर, छत्तीसगढ़.

फैजी, एम.एस.; उमर शरिदान, शेख मोहम्मद, नोरिजन वान, डॉन यंत्र, पोए हेन, यातया फौजी रमन, रोजलीना खालिद और वाई, मुफस्सिल. 2014. द प्रॉब्लम्स फेसड बाई एडोलेसेंट्स इन अडाप्टिंग देमसेल्व्स विद हॉस्टल लाइफ. *ब्रिटिश एंड सोशल साइंसेज रिव्यू*. 3(4), 2014, पृष्ठ संख्या 249–255, 20A.

मिश्रा, संगीता. 2017. *माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों का शैक्षिक उपलब्धि से सह-संबंधात्मक अध्ययन*. एम.एड. लघु शोध प्रबंध, बियानी गर्ल्स बी.एड. कालेज जयपुर, राजस्थान.

मुनीर, अमीना; खालिद सिरदा और सादिक रिफाट. 2016. प्रिवलेंस एंड कंपैरिजन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अमंग होस्टिलिटीज एंड डे स्कॉलर ऑफ यूनिवर्सिटी. *एकेडमिक रिसर्च इंटरनेशनल*. 7(1), जनवरी 2016, पृष्ठ संख्या 231–340.

यादव, संतोष कुमार. 2018. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में उनकी शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस एजुकेशनल रिसर्च*. वॉल्यूम 3, इश्यू 2, मार्च 2018, पृष्ठ संख्या 295–297.

रिछारिया, ज्योति. 2012. उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के गृह वातावरण, विद्यालय वातावरण एवं शैक्षिक उपलब्धि का उनके कॅरियर के प्रति निर्णय क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन. अप्रकाशित पीएच.डी. थीसिस. डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी.

शर्मा, भावना और सिमरन टेकचंदानी. 2018. छात्रावासीय वातावरण का छात्राओं के व्यक्तित्व विकास तथा आत्मप्रबंधन कौशल पर प्रभाव का अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसीप्लिनरी*. 3(9).

शाखा, जगरानी. 2010. *शासकीय एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं विद्यालय परिवेश के मध्य संबंध का अध्ययन*. लघु शोध संकलन (2009–10). क्रियात्मक शोध एवं नवाचार प्रभाग. एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर, छत्तीसगढ़.

शुक्ला, ज्योति. 2017. विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का उनके समायोजन पर प्रभाव का अध्ययन. *ईमरजिंग रिसर्च जर्नल* वॉल्यूम 2, इश्यू 1, जनवरी 2017, पृष्ठ संख्या 44–48.

सिंह, नीलू. 2016. विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन पर विद्यालयी वातावरण द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसीप्लेनरी एजुकेशन एंड रिसर्च*. वॉल्यूम-1, इश्यू-02, अप्रैल 2006 पृष्ठ संख्या 31–34.

सिंह, बलवान. 2017. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालय वातावरण का शैक्षिक निष्पत्ति पर प्रभाव का अध्ययन. *इंटरनेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च जर्नल*. वॉल्यूम 3, इश्यू 2, सितंबर 2017, पृष्ठ संख्या 235–242.

स्वामी, शिल्पा. 2015. *उच्च प्राथमिक स्तर पर डे-बोर्डिंग व सामान्य विद्यालयों के विद्यार्थियों के शैक्षिक, सांवेगिक तथा सामाजिक समायोजन का अध्ययन*. अप्रकाशित पीएच.डी. थीसिस शिक्षा संस्थान, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान. http://hdl.handle.net/10603/139849.

त्रिपाठी, सुनील मणि और जय सिंह. 2017. जौनपुर जिले के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के शालेय संवेगात्मक वातावरण का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस एजुकेशन रिसर्च*. वॉल्यूम 2, इश्यू 1, जनवरी 2017, पृष्ठ संख्या 38–42.

© NCERT not to be republished

विद्यालय नेतृत्व और नेतृत्व विकास

रमेश तिवारी*

विद्यार्थियों के जीवन में विद्यालय, उनके भविष्य के निर्माण की सुदृढ़ आधारशिला रखता है। परंपरागत शिक्षण अध्यापक-केंद्रित हुआ करता था, लेकिन 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005' और 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' ने परंपरागत शिक्षण प्रणाली के स्थान पर विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण प्रणाली की बुनियाद रखी। इसके साथ-साथ विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, अनुशासन और सहभागी प्रबंधन, अभिभावकों और समुदाय के लिए स्थान, अध्यापक की स्वायत्तता और पेशेवर स्वतंत्रता, अकादमिक नियोजन एवं गुणवत्ता प्रबंधन, स्कूल प्रबंधन के लिए स्कूलों में अकादमिक नेतृत्व, सेवाकालीन अध्यापक-शिक्षा और प्रशिक्षण, तदनुसार पहल और रणनीतियाँ, विचार-व्यवहार में नवाचार, नवीन साझेदारियाँ आदि बिंदुओं पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, विद्यार्थियों का सीखना प्रगति के पथ पर निरंतर विकासमान है। विद्यालयी शिक्षा में नेतृत्व विकास पर 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में विशेष बल दिया गया है। इस नीति पर सरकार द्वारा अमल करना भी प्रारंभ कर दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुच्छेद 4.39 में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा सभी प्रमुख हितधारकों, जैसे— राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शिक्षा बोर्ड, प्रस्तावित नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र (एन.ए.सी.एस.ई.) आदि और अध्यापकों के साथ परामर्श के जरिये दिशानिर्देश तैयार किए जाएँगे, ताकि 2022–23 शैक्षणिक सत्र तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2020–21 के समनुरूप आकलन प्रणाली को पूरी तरह बदला जा सके। यह सर्वविदित है कि विद्यालय शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास का केंद्र है। विद्यालय एक ऐसा स्थान है, जहाँ विद्यार्थी एवं देश के भविष्य का निर्माण किया जाता है। भविष्य निर्माण की बुनियाद के रूप में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, पर्यावरण के प्रति सजगता, स्वच्छता, कला-शिक्षा, समावेशी शिक्षा, जेंडर समानता आधारित शिक्षा आदि को *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*, *शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009* आदि दस्तावेजों में पर्याप्त महत्व दिया गया है। इन सभी के प्रति सजगता एवं अद्यतन जानकारी की सहायता से विद्यालय नेतृत्व कुशल संचालन में दक्षता प्राप्त करता है। विद्यालय की जिम्मेदारियों के सम्यक निर्वहन के लिए सरकार प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की

* 64 बी, फेस II, डीडीए फ्लैट, कटवारिया सराय, नयी दिल्ली 110 016

© NCERT not to be republished

नियुक्ति करती है, जहाँ विद्यालय-प्रमुख स्थायी रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं, वहाँ प्रधानाध्यापकों की जिम्मेदारी निभाने हेतु किसी वरिष्ठ अध्यापक या अध्यापिका को विद्यालय प्रमुख का कार्यभार सौंपा जाता है। विद्यालय के समस्त क्रियाकलापों की जिम्मेदारी इन विद्यालय-प्रमुखों अथवा प्रभारियों पर ही होती है।

किसी विद्यालय को बेहतर बनाने की दिशा में विद्यालय-प्रमुख का क्या दायित्व हो सकता है? लेखक के अनुसार स्वयं को जानने से इस समझ की शुरुआत की जा सकती है। विद्यालय-प्रमुख जब तक स्वयं को अर्थात् अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों को भली-भाँति न जान लें तब तक किसी अन्य को समझने या समझाने की कोशिश बेमानी है। इनके लिए स्वयं को, सहयोगियों को, व्यवस्था एवं प्रशासन को, बच्चों और अभिभावकों को तथा समुदाय को समझते हुए एक-एक कदम आगे बढ़ाना ही उचित है। विद्यालय-प्रमुख के लिए यह जानना अनिवार्य है कि, "एक अच्छे विद्यालय की क्या संकल्पना होती है?" व्यक्तिगत कौशलों के संदर्भ में स्वयं को पहचानना, एक व्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है। सामूहिकता की भावना जाग्रत करना कि 'मैं' नहीं, 'हम' महत्वपूर्ण है जो सामूहिक नेतृत्व का आधार है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समतामूलक समाज और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी शिक्षार्थियों के लिए अधिगम को सुलभ बनाने पर बल देती है। इस संदर्भ में लेखक द्वारा कुछ विद्यालय-प्रमुखों से चर्चा के द्वारा उनकी चुनौतियों, संभावित समाधानों और विद्यालय-प्रमुख के रूप में उनकी प्राथमिकताओं के बारे में जानने की कोशिश की गई। इस चर्चा से विद्यालय नेतृत्व पर कई बिंदु उभरकर सामने आए हैं, जो इस प्रकार हैं—

विद्यालय-नेतृत्व की सामान्य चुनौतियाँ—

- फंड (निधि) के इस्तेमाल की जानकारी का अभाव;
- फंड का कम मिलना;
- फंड समय पर न मिलना;
- स्कूल-नेतृत्व में कम्प्यूटर-दक्षता का अभाव;
- शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का अभाव;
- स्टाफ द्वारा समुचित सहयोग का अभाव;
- अध्यापकों पर शिक्षणेत्तर कार्य-भार डालने से विद्यालय और अध्यापकों के कार्य प्रभावित होना (खाता खुलवाना, आधार कार्ड बनवाना, पशु गणना, जनगणना कार्य, चुनाव ड्यूटी आदि);
- अभिभावकों द्वारा असहयोग;
- बच्चों की अनुपस्थिति;
- मध्याह्न भोजन सामग्री की व्यवस्था व वितरण;
- विद्यालय शिक्षा (प्रबंधन) समिति का निर्माण, चुनाव व सचिव के साथ सामंजस्य का अभाव।

उपर्युक्त चुनौतियों से निपटने के लिए विद्यालय-प्रमुखों द्वारा दिए गए सुझाव—

- फंड इस्तेमाल करने की विधि बताई जाए;
- पर्याप्त फ़ंड उपलब्ध किया जाए;
- फंड समय पर दिया जाए;
- कंप्यूटर अध्यापक उपलब्ध किए जाएँ;
- पर्याप्त शिक्षणेत्तर सहयोगी (ऑफिस क्लर्क, चतुर्थ श्रेणी चपरासी, सुरक्षा व सफाई कर्मचारी, आया आदि) उपलब्ध किए जाएँ;

© NCERT not to be republished

- सभी स्टाफ का पूरा सहयोग मिले;
- अध्यापकों से शिक्षणेत्तर कार्य न करवाए जाएँ;
- अभिभावकों द्वारा सहयोग प्राप्त हो;
- बच्चों की उपस्थिति हो;
- मध्याह्न भोजन-वितरण के कार्यभार से विद्यालय-प्रमुख को मुक्त किया जाए;
- विद्यालय शिक्षा (प्रबंधन) समिति को खत्म किया जाए अथवा उसे प्रधानाध्यापक के साथ मिलकर कार्य करने का सुझाव दिया जाए।

उक्त बिंदुओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन इस प्रकार है—

- विद्यालय-प्रमुखों की सर्वप्रमुख समस्या फंड का कम मिलना, फंड समय पर न मिलना और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसकी जानकारी का न होना है। अतः इसकी जानकारी अपेक्षित है।
- आजकल कंप्यूटर पर कार्य करने की संस्कृति विकसित हो रही है। जबकि प्रधानाध्यापक को इसके इस्तेमाल की न कोई जानकारी दी गई है, न ही विद्यालय में किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की गई है। ऐसी स्थिति में कंप्यूटर संबंधी कार्य में अकसर गलतियों की संभावना बनी रहती है। अतः कंप्यूटर साक्षरता अत्यंत अनिवार्य है। इसका एक निदान कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति भी हो सकता है।
- आवश्यकतानुसार शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का अभाव। जितने कर्मचारी उपलब्ध हैं, उनके द्वारा समुचित सहयोग का अभाव। इस दिशा में विद्यालय-प्रमुख को अपनी ओर से निरंतर संवाद बनाने की आवश्यकता है। अपनी ओर से पहल करने पर अधिकतर मामलों में सफलता की संभावना रहती है। कई बार अपेक्षा के अनुरूप सफलता नहीं भी मिल सकती है। इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी। जब तक योग्य सहकर्मी की व्यवस्था नहीं हो जाए, उपलब्ध साथियों एवं संसाधनों से ही काम चलाना ठीक होगा।
- प्राय: देखा जाता है कि विद्यालय-प्रमुख और अध्यापकों को शिक्षण कार्य से इतर कार्यों में लगा दिया जाता है, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। अध्यापकों से शिक्षणेत्तर कार्य लेना हमारी व्यवस्था संबंधी विसंगति है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में इस विसंगति पर ध्यान दिया गया है और उम्मीद है कि सरकार की ओर से शीघ्र ही इसका समुचित समाधान निकाला जाएगा।
- अभिभावकों द्वारा असहयोग और बच्चों की कक्षा में अनुपस्थिति परस्पर जुड़े मुद्दे हैं। अभिभावकों से निरंतर संवाद किया जाए तो उनके द्वारा असहयोग और बच्चों की कक्षा से अनुपस्थिति की समस्या स्वत: दूर हो सकती है। इस संदर्भ में यह विद्यालय-प्रमुख की जिम्मेदारी बनती है कि वह निरंतर अभिभावकों से संपर्क कर संवाद के अवसर बनाए। व्यावहारिक तौर पर लेखक का अनुभव यह कहता है कि प्रधानाध्यापक अपने कार्यालय के बाहर स्वयं से मिलने का समय निर्धारित कर संतुष्ट हो जाते हैं जबकि इसका असर यह होता है कि अभिभावकों में प्रधानाध्यापक से मिलने को

© NCERT not to be republished

लेकर एक अनावश्यक भयमिश्रित दूरी उत्पन्न हो जाती है। प्रधानाध्यापक की सफलता इसमें है कि कोई भी अभिभावक या विद्यार्थी कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के उनसे मिलकर अपनी समस्या के समाधान की माँग कर सके। विद्यार्थियों को अध्यापक या अध्यापिका एवं विद्यालय नेतृत्व पर इतना भरोसा होना चाहिए कि यदि वे अपनी किसी भी समस्या को साझा करेंगे तो उनकी हरसंभव मदद की जाएगी। प्रत्येक विद्यालय-प्रमुख को इसी अनुसार अपनी कार्यप्रणाली निर्धारित कर उचित संदेश देना चाहिए।

- *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में बच्चों के प्रति विद्यालय में अपेक्षित व्यवहार के परंपरागत स्वरूप की खामियों का उल्लेख किया गया है। अनुक्रम 4.4 के अंतर्गत *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में यह उल्लेख गौरतलब है, "आज भी कई स्कूलों में बच्चों को शाब्दिक और गैर-शाब्दिक यातना दी जाती है। स्कूल बच्चों को उनके सहपाठियों के सामने बेइज्जत भी करते हैं। आज भी कई अध्यापक, यहाँ तक कि माता-पिता भी यही सोचते हैं कि बच्चों को इस तरह की सजा या यातना देना बहुत जरूरी है। ये लोग इस तरह के व्यवहार से बच्चों पर पड़ने वाले तात्कालिक और दीर्घकालिक अहितकारी प्रभावों से बिलकुल अनभिज्ञ हैं।" विद्यालय नेतृत्व को इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेकर सकारात्मक वातावरण निर्मित करना होगा। तभी विद्यालयी परिवेश में बदलाव दिखाई दे सकता है।
- दिल्ली के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन निर्धारित एजेंसियों से बनकर आता है और विद्यालय में वितरित होता है। हालाँकि कुछ विद्यालय-प्रमुखों ने बताया कि बरतनों के अभाव में कई बच्चे मध्याह्न भोजन नहीं ले पाते और भोजन बर्बाद हो जाता है। चर्चा के दौरान एक प्रधानाध्यापक ने बताया कि ऐसा इस कारण होता है कि कुछ बच्चे भोजन हेतु बरतन घर से लाते हैं। उन्होंने ऐसे बच्चों की संख्या ज्ञात करके अपने सार्थक प्रयासों से भोजन हेतु उन बच्चों के लिए भोजन की प्लेटें खरीद कर कार्यालय में रखवा दीं। अब भोजन वितरण के समय प्लेटें भोजन के पास ही रख दी जाती हैं, जिन बच्चों के पास अपने बरतन नहीं होते हैं, वे बच्चे इन प्लेटों में भोजन करते हैं और भोजन के बाद प्लेटों को धोकर पुनः वहीं रख देते हैं। यह एक उपयोगी और बेहतर उपाय है, जिसे अन्य विद्यालय-प्रमुख भी अपने प्रयासों से ऐसी पहल कर सकते हैं।
- विद्यालय-प्रमुखों ने एक अन्य चुनौती पर चिंता व्यक्त की, वह विद्यालय प्रबंधन समिति के अधिकारियों की कार्यप्रणाली से जुड़ी है। प्रायः ऐसा देखने में आया है कि इस प्रकार की समितियों में कई स्थानों पर राजनीतिक सदस्यों का प्रवेश हो जाता है। ऐसे सदस्य विद्यालय में अपने राजनैतिक प्रभाव का गलत प्रयोग करते हैं, जिससे विद्यालय-प्रमुखों को कार्य-निष्पादन में समस्या होती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य शैक्षिक आधार पर ही नियुक्त किए जाएँ न कि राजनीतिक आधार पर। ऐसा करके हम इन समस्याओं से मुक्ति की पहल कर सकते हैं।

© NCERT not to be republished

इन चुनौतियों के संभावित समाधान के बाद विद्यालय-प्रमुखों ने अपनी प्राथमिकता के कुछ कार्य भी बताए हैं। जिनका वर्णन इस प्रकार है—

- बच्चों का सर्वांगीण विकास;
- विद्यालय में साफ-सफाई;
- स्कूल में सुधार;
- विद्यालय में क्लर्क की व्यवस्था;
- बच्चों में पढ़ाई के प्रति भय को दूर करना।

शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। विद्यालय में साफ-सफाई के द्वारा विद्यार्थियों में स्वच्छता की भावना का विकास होता है। स्कूल में सुधार को प्रायः सभी विद्यालय-प्रमुखों ने प्राथमिकता में रखा है, किंतु उसका स्वरूप क्या होगा, इस बारे में विस्तार से कोई खाका अथवा रोडमैप नहीं दिया गया है। विद्यालयों में सुधार के स्वरूप पर हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। बच्चों में पढ़ाई के प्रति भय को खत्म करना विद्यालय-प्रमुखों की प्राथमिकता के रूप में देखना सुखद है।

एक विद्यालय-प्रमुख से हम यह अपेक्षा रखते हैं कि वह आदर्श विद्यालय की कसौटी पर खरा उतरे। विद्यालय-प्रमुख को हमेशा सरोकार या चिंता क्षेत्र और प्रभाव क्षेत्र का ध्यान रखना चाहिए। अंग्रेजी में इसे सर्किल ऑफ कंसर्न एवं सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। इसके साथ ही मानव के तीन प्राकृतिक क्षेत्र (कम्फर्ट जोन, चैलेंज जोन, फ्रस्टेशन जोन) को भी सदा ध्यान रखना चाहिए। हमारा प्रत्येक शिक्षण योजना मॉडल अनुभव, योजना और आकलन आधारित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान रहे कि हमारी मान्यताएँ ही हमारे व्यवहार का निर्देशन करती हैं। सीखने-सिखाने की योजना बनाने के लिए हमें विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य के अभिवृत्ति, कौशल या हुनर की जानकारी एवं समझ का ध्यान रखना चाहिए। इसी के अनुसार 'विद्यालय विकास योजना चक्र' कार्य करता है। विद्यालय विकास योजना चक्र हमारे भावी कार्यक्रमों का एक कैलेंडर है। जिसमें विद्यालय विकास हेतु हमारी दृष्टि क्या है, हमारे मिशन वाक्य, मूल्य, आदर्श क्या हैं? विद्यार्थी-केंद्रित, नेतृत्व गुणवत्ता, समुदाय आधारित कसौटी पर हम क्या अच्छा कर पा रहे हैं? आगामी एक से तीन वर्ष में हम और क्या प्राप्त करना चाहते हैं? इसे साकार करने हेतु हमें क्या करना चाहिए? योजना क्रियान्वयन एवं प्रगति समीक्षा। इन सभी कदमों के केंद्र में सभी विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयन है।

विद्यालय-प्रमुख यदि अनुभव आधारित अधिगम प्रक्रिया को सीख लें तो अनेक चुनौतियों का समाधान सहजता से कर सकते हैं। इसमें अनुभव के बाद प्रतिक्रियात्मक अवलोकन, अवधारणात्मक एवं तार्किक विश्लेषण, क्रियाशील प्रयोगीकरण के क्रम से जब सभी परिचित होते हैं तो अनुभव आधारित अधिगम प्रक्रिया की समझ भली-भाँति हो जाती है। यह समझ विद्यालय-प्रमुखों को समृद्ध करेगी। सबसे बढ़िया विद्यालय-प्रमुख वे होते हैं जो स्वयं अच्छे अध्यापक होते हैं और जिन्हें पाठ्यचर्या की पूर्ण समझ होती है। साथ ही, सभी विद्यालय-प्रमुखों के लिए यह जरूरी है कि वे पढ़ाना जारी रखें और विद्यालय की दैनिक गतिविधियों में शामिल रहें— इस प्रकार वे नेतृत्वकर्ता के रूप में ज्यादा प्रभावशाली हो सकेंगे।

© NCERT not to be republished

अच्छे विद्यालय नेतृत्व के लिए अच्छा अध्यापक होना भी एक अनिवार्य शर्त है। अच्छे अध्यापक को लेकर हम सबकी अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। अच्छे अध्यापक को लेकर यदि एक संतुलित धारणा के बारे में विचार करें तो उर्मिला चौधरी नामक एक अध्यापिका जो शिक्षक-प्रशिक्षक एवं उप-प्राचार्य के रूप में कार्यरत रही हैं, के अनुभवों का संदर्भ उल्लेखनीय है— "अच्छे अध्यापक वे होते हैं जो बच्चों के अध्यापक हों, न कि विषयों के। जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने अध्यापकों के बारे में यह याद नहीं करते कि उन्होंने हमें क्या पढ़ाया बल्कि यह याद करते हैं कि उनकी वजह से हम कैसा महसूस करते हैं। उन्हें पता था कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत परिस्थितियाँ और भावनात्मक दशाएँ उनकी सीखने की क्षमता को प्रभावित करती हैं।" वास्तव में किसी भी व्यक्ति को जब आप जिम्मेदारी देते हैं तो उसे दिए गए कार्यों का समुचित प्रशिक्षण भी देना चाहिए। विद्यालय-प्रमुखों में कुछ तो सीधे प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति पाते हैं, किंतु एक बड़ा वर्ग अध्यापक पद से प्रोन्नत होकर अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर इस जिम्मेदारी भरे पद पर नियुक्त होते हैं। "वर्षों से भाषा, गणित, विज्ञान अथवा अन्य विषय पढ़ाने वाले अध्यापक को बिना किसी नेतृत्व व प्रबंधन कौशल की जानकारी के प्रधानाध्यापक अथवा विद्यालय-प्रमुख की भूमिका दी जाती है, तब अगले ही दिन से उससे समाज और संस्था की अपेक्षाओं का स्वरूप बदल जाता है।"

हमें यह ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के द्वारा ही समुचित कार्य निष्पादन की प्रक्रिया में कुशल बनाया जा सकता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी कुशल शैक्षणिक नेतृत्व की आवश्यकता को अनिवार्य रूप से स्वीकारा गया है। इसी आधार पर विद्यालय नेतृत्व और नेतृत्व विकास की संकल्पना को साकार किया जा सकता है। विद्यालय नेतृत्व और नेतृत्व विकास के लिए औपचारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण संस्थाओं द्वारा की गई है। इस संदर्भ में नीपा (राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान) नयी दिल्ली द्वारा वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र की स्थापना की गई है। इस संस्थान की पहल पर आज हिंदी, अंग्रेजी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में विद्यालय-प्रमुखों को घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त देश के कई सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में भी विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व को पाठ्यक्रम के रूप में ऑनलाइन-ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाते हुए श्रेष्ठ विद्यालय नेतृत्व तैयार करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है।

संभावित समाधान व निष्कर्ष

विद्यालय-प्रमुखों से किए गए विमर्श और प्राप्त चुनौतियों, संभावित समाधानों और प्राथमिकता सूची के अध्ययन-विश्लेषण से प्राप्त संभावित समाधान और निष्कर्ष इस प्रकार हैं—

- विद्यालय-प्रमुखों के लिए निरंतर वार्षिक, अर्धवार्षिक, द्विवार्षिक आधार पर नेतृत्व क्षमता-संवर्धन कार्यशाला का आयोजन सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। इन कार्यशालाओं में वित्तीय प्रबंधन, तकनीकी (आईसीटी) के साथ-साथ नेतृत्व प्रबंधन पर भी अनिवार्य रूप से ध्यान देना चाहिए।

© NCERT not to be republished

- प्रत्येक विद्यालय-प्रमुख के सहयोग के लिए कम-से-कम एक कंप्यूटर साक्षर कर्मचारी प्रदान किया जाए, जो लिपिकीय कार्यों के कुशल निष्पादन में विद्यालय-प्रमुख का सहयोग कर सके।
- विद्यालय की साफ-सफाई और सुरक्षा के लिए आवश्यकतानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और नियुक्ति के साथ-साथ उन्हें कम-से-कम 15 दिनों का गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि वे बेहतर ढंग से अपना कार्य-निष्पादन कर सकें।
- अध्यापकों को शिक्षणेत्तर कार्यों में न लगाया जाए।
- बच्चों के सर्वांगीण विकास में अभिभावकों की भूमिका पर विद्यालय-प्रमुखों द्वारा बच्चे के साथ-साथ अभिभावकों से निरंतर संवाद बनाया जाए।
- आज का अभिभावक (प्राय: प्राथमिक स्तर पर) बच्चे की शिक्षा को लेकर बहुत जागरूक नहीं है। अभिभावक के लिए बच्चे का विद्यालय जाना मात्र छात्रवृत्ति, पोशाक, किताब, मध्याह्न भोजन पाने का साधन बन गया है। अतः विद्यालय-प्रमुख को एक ऐसा वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता है, जिसमें बच्चे की शिक्षा को लेकर अभिभावकों में निरंतर जागरूकता का भाव बने।
- अभिभावकों के साथ संवाद बनाने की दृष्टि से मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक आधार पर अवकाश के दिन विद्यालय-प्रमुख के नेतृत्व में 'अध्यापक-अभिभावक संगोष्ठी' सुनिश्चित की जाए, जिसमें सभी अभिभावक निर्बाध रूप से सहभागिता कर सकें। इस कार्यक्रम के द्वारा हम अभिभावकों से जुड़ते हुए पहले उन्हें अधिक से अधिक सुनने की कोशिश करें। इसके बाद आवश्यक हो तो अभिभावक का मार्गदर्शन मित्रवत भाव से करें। इस पहल से अभिभावकों के असहयोग और बच्चों की कक्षा से अनुपस्थिति, दोनों ही चुनौतियों का समाधान ढूँढ़ा जा सकता है।
- मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और वितरण के प्रति विद्यालय-प्रमुख को निरंतर सजग रहने की आवश्यकता है। यदि किसी विद्यालय में मध्याह्न भोजन वितरण एवं अन्य संचालन संबंधी कोई परेशानी आती है, तो विद्यालय-प्रमुख को सामुदायिक प्रयासों से भी आवश्यकतानुसार समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए।
- विद्यालय प्रबंधन समिति के चुनाव में शैक्षिक पृष्ठभूमि के लोगों को विशेष महत्व देना चाहिए। इस दिशा में *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* में विद्यालय में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।

सरकार एवं समुदाय का यह प्रयास होना चाहिए कि विद्यालय-प्रमुखों में वह प्रेरणा ला सकें कि वे सीमित संसाधनों एवं विपरीत परिस्थितियों में भी अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इस प्रकार विद्यालय में शैक्षणिक नेतृत्व की आवश्यकता को स्वीकार कर विद्यालय-प्रमुखों के लिए अनुकूल अवसर उपलब्ध कराना होगा। इस प्रयास के द्वारा ही हम विद्यालय-प्रमुखों में नेतृत्व के गुणों का प्रभावी विकास कर सकते हैं और भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। हालाँकि इस दिशा में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के लगातार प्रयास जारी हैं। परिषद् द्वारा समग्र

© NCERT not to be republished

शिक्षा योजना के अंतर्गत बेहतर बदलाव की दृष्टि से निष्ठा परियोजना के अंतर्गत विभिन्न मॉड्यूलों का विकास किया गया है। जिसमें 'विद्यालय नेतृत्व— अवधारणा एवं अनुप्रयोग' शीर्षक पर आधारित मॉड्यूल इस विषय की बारीकियों के संबंध में बहुत स्पष्टता के साथ प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करता है। मॉड्यूल के शीर्षक से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके अंतर्गत अवधारणा के साथ-साथ उसके अनुप्रयोग के पक्ष पर भी विस्तार से चर्चा कि गई है। इसकी सहायता से विद्यालय नेतृत्वकर्ता को सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों ही पक्षों की पर्याप्त जानकारी होगी, जिसकी सहायता से विद्यालय-प्रमुख अपने कार्यालयी दायित्वों का बेहतर निर्वहन कर सकते हैं। यह मॉड्यूल विद्यालय व शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में नेतृत्व की अवधारणा की एक व्यापक समझ बनाने में मदद करता है। इसे विशेष रूप से प्रारंभिक विद्यालयों के प्रमुखों को नेतृत्वकर्ता एवं प्रभावी पेशेवर के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ऐसे नेतृत्वकर्ता जो विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार के उद्देश्य के साथ अपने विद्यालयों को उत्कृष्टता की ओर ले जा सकें।

निष्कर्ष

यह कहा जा सकता है कि विद्यालय नेतृत्व और नेतृत्व विकास एक-दूसरे के साधक हैं, सहायक हैं। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* के बाद विद्यालयी शिक्षा की दिशा में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है, जिसका पूरा दायित्व राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् और अन्य संस्थानों व विद्वानों को जाता है। वर्तमान सरकार इस मूल भावना को समझते हुए शिक्षा-व्यवस्था कि गुणवत्ता वृद्धि की दिशा में प्रयासरत है। जिसमें *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, समग्र शिक्षा परियोजना इत्यादि प्रयास महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का अद्यतित रूप भी अतिशीघ्र हमारे समक्ष होगा, जो *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की अनुशंसाओं पर आधारित होगा, जो विद्यालय नेतृत्व और नेतृत्व विकास को समृद्ध करने में सहायक होगा।

संदर्भ

अजीम प्रेमजी फाउंडेशन. 2012. *लर्निंग कर्व*. हिंदी अंक 4, सितंबर 2012, पृष्ठ संख्या 84. http://pslm.niepa.ac.in/?lang=hi (22/10/2021, 22:25)

———. 2013. *प्रवाह*. अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का प्रकाशन. जनवरी–अप्रैल 2013, पृष्ठ संख्या 19.

———. 2018–19. *प्रवाह*. अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का प्रकाशन. अक्तूबर 2018 – जनवरी 2019 अंक, पृष्ठ संख्या 7, 19.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (वर्तमान शिक्षा मंत्रालय). 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्टीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. पृष्ठ संख्या 98, 100. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

———. *विद्यालय नेतृत्व— अवधारणा एवं अनुप्रयोग*. पृष्ठ संख्या 03. 30 सितंबर 2021 को https://itpd.ncert.gov.in/pluginfile.php/1508554/mod_label/intro/Module%201.pdf से प्राप्त किया गया है.।

‘पब्लिश इन इंडिया’ की संभावित रूपरेखा एवं शिकारी पत्रिकाओं पर नियंत्रण
एक समीक्षा

अखिलेश कुमार*
प्रवीण कुमार तिवारी**
रजनी रंजन सिंह***

शोध में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, इसी कड़ी में गुणवत्ताविहीन ‘शिकारी पत्रिकाओं’ पर नियंत्रण इसी का एक भाग है। भारत में शिकारी पत्रिकाओं एवं गुणवत्ता विहीन शोध प्रकाशनों पर नियंत्रण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रकाशनों की सूची केयर लिस्ट के नाम से जारी की गई है। जिसमें हिंदी एवं भारतीय भाषाओं की शोध पत्रिकाओं की संख्या बहुत कम है। इस लेख में भारत में गुणवत्तापूर्ण प्रकाशनों को बढ़ावा देने हेतु ‘पब्लिश इन इंडिया’ की संभावित रूपरेखा सुझाई गई है, जिसमें भारतीय भाषाओं में प्रकाशित शोध पत्रिकाओं हेतु ‘डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर’ की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तंत्र का विकास, भारतीय भाषाओं एवं हिंदी में प्रकाशित किए जा रहे शोध पत्रों की साईटेशन ट्रैकिंग के लिए भारतीय स्वतंत्र इम्पैक्ट फैक्टर निर्धारण एजेंसी का विकास, विभिन्न नियामक संस्थाओं द्वारा शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन, भारतीय लेखकों के लिए ‘विद्वान’ पहचान संख्या अनिवार्य किया जाना, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित शोध पत्रिकाओं के इम्पैक्ट फैक्टर निर्धारण हेतु प्रभावी तंत्र का विकास, विश्वविद्यालयों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन को अनिवार्य किया जाना आदि शामिल हैं। एक भारतीय शोधार्थी को भारत में, भारतीय भाषा में गुणवत्तापूर्ण शोध के प्रकाशन के अवसर उपलब्ध होंगे तब स्वतः ही शिकारी पत्रिकाओं का विकास रुक जाएगा। भारत सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ के प्रयासों के अनुरूप ‘पब्लिश इन इंडिया’ की व्यापक रणनीति पर शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

वर्तमान समय में वैज्ञानिक तकनीक एवं सामाजिक जीवन में जो प्रगति हुई है, उसने मानव जीवन को सरल व सुगम बनाया है, जो सतत अनुसंधान की देन है। कोविड-19 महामारी को एक समसामयिक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। इस महामारी से उत्पन्न सभी समस्याओं आदि का टीके व दवाइयों से लेकर शिक्षा तक का समाधान अनुसंधान के द्वारा ही संभव है। शिक्षा को सुचारु रूप से विद्यार्थियों तक

* *असिस्टेंट प्रोफेसर*, शिक्षा विभाग, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान 324010
** *एसोसिएट प्रोफेसर*, शिक्षा विभाग, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश 243006
*** *प्रोफेसर, शिक्षा*, डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226017

© NCERT not to be republished

उपकरणों एवं शैक्षिक एप्लीकेशन (ऐप) का प्रयोग करके ऑनलाइन माध्यम द्वारा पहुँचाने का श्रेय भी वैज्ञानिक अनुसंधानों को जाता है।

शिक्षा के विविध क्षेत्रों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं कार्यरत अध्यापकों तथा प्राध्यापकों द्वारा सतत अनुसंधान करना एवं अनुसंधान पत्रों का प्रकाशन करना आवश्यक है। तभी वे स्वयं को अद्यतन रख सकेंगे तथा शोध से प्राप्त परिणामों से सामान्य जन को लाभ पहुँचा सकेंगे। इस हेतु शोधार्थी अपने शोध पत्रों का प्रकाशन करते हैं। अध्यापकों एवं प्राध्यापकों से भी शोध अध्ययन करने तथा शोध पत्रों का प्रकाशन अपेक्षित है।

उच्च शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में अनुसंधान के प्रति अभिवृत्ति एवं अनुसंधान कौशल को बढ़ावा देना, अनुसंधान के लिए प्रेरित करना एवं अनुसंधान के परिणामों को दैनिक मानव जीवन से जोड़कर मानवता के हित में कार्य करना है। शोध का महत्व तभी है जब उस शोध द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को उस विषय के हितधारकों द्वारा स्वीकार किया जाए। इन अनुसंधानों से प्राप्त परिणामों के व्यापक विस्तार हेतु शोध पत्र के रूप में विभिन्न गुणवत्तापूर्ण विषय विशेष की अनुसंधान पत्रिकाओं में प्रकाशन करना भी आवश्यक है। अनुसंधान पत्रिकाएँ, सामान्य पत्रिकाओं से अलग होती हैं, इनमें प्रकाशन से पूर्व किसी भी शोध पत्र को एक जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें आरंभिक सम्पादकीय जाँच, साहित्यिक नकल की जाँच, विषयवस्तु की प्रामाणिकता, भाषा एवं व्याकरण की जाँच के साथ-साथ समकक्ष व्यक्ति समीक्षा जैसी प्रक्रियाओं पर खरा उतरने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है। शोध पत्रों की गुणवत्ता के निर्धारण की प्रकाशन-पूर्व प्रक्रिया में 'समकक्ष व्यक्ति समीक्षा' (पीयर रिव्यू) अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंपरागत तरीके से प्रचलित 'समकक्ष व्यक्ति समीक्षा' की व्यवस्था को समस्त शैक्षिक समुदाय एक मत से स्वीकार करता है। आधुनिक युग में 'प्रकाशन पश्चात् समीक्षा (पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू) भी लोकप्रिय हुई है। 'समकक्ष-व्यक्ति समीक्षा' चाहे वह प्रकाशन-पूर्व हो अथवा प्रकाशन के पश्चात, किसी भी शोध की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

विगत कुछ दशकों में विशेषकर सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के दौर में परंपरागत प्रिंट मीडिया आधारित शोध पत्रिकाओं के स्थान पर ऑनलाइन शोध पत्रिकाओं को ज्यादा प्राथमिकता प्रदान की जाने लगी है, क्योंकि ऑनलाइन शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन, संरक्षण, तीव्र गति से शेयरिंग (साझाकरण) तथा कागज की बचत से होने वाले पर्यावरण संरक्षण के अलावा अपेक्षाकृत कम खर्चीला है। इंटरनेट एवं संप्रेषण तकनीक पर आधारित ऑनलाइन शोध पत्रिकाएँ लोकप्रिय हो रही हैं, परंतु ऑनलाइन माध्यम से शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन में गुणवत्ताविहीन शोध पत्रिकाओं की संख्या में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। इस प्रकार की शोध पत्रिकाओं को शिक्षाविदों ने 'शिकारी शोध पत्रिका' (प्रेडेटरी जर्नल) का नाम दिया है। (अखिलेश, 2020) वर्तमान समय में शिक्षाविद् बिना किसी 'समकक्ष व्यक्ति समीक्षा' के, गुणवत्ताविहीन शोध पत्रों को प्रकाशित करने वाली

© NCERT not to be republished

इन 'शिकारी शोध पत्रिकाओं' के बढ़ते प्रभावों से चिंतित हैं। शिकारी शोध पत्रिकाओं पर चर्चा लगभग एक दशक पूर्व (2010 से) तब आरंभ हुई जब कोलोराडो डेनवर विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन जेफ्रे बिआल ने उनकी वेबसाइट पर गुणवत्ताविहीन प्रकाशनों तथा प्रकाशकों की सूची अपलोड की, जो वैज्ञानिक शोध के प्रकाशन की पूरी प्रक्रिया के पालन का दावा तो करते हैं, परंतु वैज्ञानिक शोध के प्रकाशन-पूर्व की प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं। शिकारी पत्रिका (प्रेडेटरी जर्नल) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उन्होंने किया एवं अपने अध्ययनों के आधार पर शिकारी पत्रिकाओं की सूची भी बनाई (बिआल, 2017; कार्टराईट, 2016; क्लार्क एवं स्मिथ, 2015; क्लेमन एवं अन्य, 2017; मानका एवं अन्य, 2018; मास्टन एवं ऐशक्राफ्ट, 2016; नरिमानी एवं डादका, 2017; शमशीर एवं अन्य, 2017; श्याम, 2015; जिया, 2015)। हालाँकि कानूनी जटिलताओं के कारण बाद के वर्षों में बिआल को शिकारी पत्रिकाओं की सूची वेबसाइट से हटानी पड़ी, परंतु इसका सकारात्मक प्रभाव यह रहा कि संपूर्ण विश्व का ध्यान गुणवत्ताविहीन पत्रिकाओं की ओर गया एवं इस प्रकार के प्रकाशनों को हतोत्साहित करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जाने लगे।

यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि शिकारी पत्रिकाओं की कोई सर्वमान्य परिभाषा उपलब्ध न होने के बावजूद संपूर्ण शैक्षिक समुदाय इनके बढ़ते प्रभावों से चिंतित है एवं कई राष्ट्रों ने शिकारी पत्रिकाओं पर नियंत्रण के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रकाशनों की सूची प्रकाशित की है एवं तद्नुसार नीति तैयार की है। हमारे देश में शिकारी पत्रिकाओं के बढ़ते जाल को नियंत्रित करने एवं शोध प्रकाशनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सर्वप्रथम गुणवत्तापूर्ण प्रकाशनों की एक सूची जारी की, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों की अनुशंसा पर आधारित थी। परंतु इस सूची में यह देखा गया कि कई कथित 'शिकारी पत्रिकाएँ' अथवा 'अल्प गुणवत्ता युक्त शोध पत्रिकाएँ' सम्मिलित कर ली गईं हैं। अत: पुन: इसकी समीक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2019 में एक समिति बनाई एवं उसी समिति की अनुशंसाओं के आधार पर यू.जी.सी द्वारा यू.जी.सी. केयर लिस्ट तैयार की गई। जिसने आरंभ में लगभग 4000 कथित शिकारी पत्रिकाओं को यू.जी.सी द्वारा पूर्व में जारी सूची से बाहर कर दिया (पटवर्द्धन, 2019)। शिकारी पत्रिकाएँ पिछले दशकों में भारत सहित संपूर्ण विश्व में प्रकाशित हुई हैं कुक (2017)। के शोध अध्ययन में पाया गया कि 2013 से 2017 के बीच शिकारी पत्रिकाओं की कुल संख्या में 700 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। मात्र पाँच वर्षों में शिकारी पत्रिकाओं की संख्या में सात गुना वृद्धि वास्तव में समस्त शैक्षिक समुदाय के लिए चिंताजनक है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी गुणवत्तापूर्ण प्रकाशनों की सूची एवं 'अकादमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स (API)' अथवा 'शोध स्कोर (रिसर्च स्कोर)' के नियमों का आधार शोधार्थियों में शोध एवं पेशेवर क्षमता विकसित करना है, लेकिन इन नियमों का दुरुपयोग किया जाने लगा एवं शिकारी

© NCERT not to be republished

पत्रिकाएँ बड़ी संख्या में प्रकाशित होने लगीं (पटवर्धन, 2019)। यू.जी.सी. केयर लिस्ट जारी किए जाने के बाद शिकारी पत्रिकाओं पर थोड़ा नियंत्रण हुआ है, परंतु इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इसका जितना फायदा भारतीय शोधार्थियों को मिल रहा है, उससे कहीं ज्यादा उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन को बढ़ावा देने से संबंधित कोई नीति नहीं बनाई है। यू.जी.सी. केयर लिस्ट से बाहर की गई कई शोध पत्रिकाओं में 'अल्प-संसाधन युक्त' (अंडर रिसोर्सड) भारतीय भाषाओं की पत्रिकाएँ भी हैं, जिन्हें उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हो तो वे गुणवत्तापूर्ण शोध पत्रिका हो सकती हैं। शिकारी पत्रिकाओं की कोई सर्वमान्य परिभाषा न होने के कारण अल्प संसाधन युक्त शोध पत्रिकाओं एवं शिकारी शोध पत्रिकाओं में अंतर करना अत्यंत कठिन है (ग्रुदनीविज एवं अन्य, 2019; मासटन एवं ऐशक्राफ्ट, 2016; पर्लिन एवं अन्य, 2018; रोबर्ट्स, 2016; रौस-वाइट एवं अन्य, 2019)। वस्तुतः सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शोध पत्रिकाओं की 'केयर लिस्ट' जारी करना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 'पब्लिश इन इंडिया' से संबंधित पॉलिसी बनाने पर भी विचार करना चाहिए। ताकि हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाली शोध पत्रिकाओं का अस्तित्व बनाए रखते हुए गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

'पब्लिश इन इंडिया' की संभावित रूपरेखा एवं इस हेतु किए जा सकने वाले नीतिगत परिवर्तन एवं सुझाव इस प्रकार हैं—

भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किए जा रहे शोध पत्रों के लिए 'डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर' की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तंत्र का विकास

हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किए जा रहे शोध पत्रों की अद्वितीय पहचान के लिए 'डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर' (DOI) की सुविधा आज तक किसी एजेंसी द्वारा नहीं की गई है। इस हेतु देश की अग्रणी संस्थाओं को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। ताकि वे हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के शोध पत्रों के लिए 'डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर' उपलब्ध कराने का तंत्र विकसित करने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार करें। इस प्रकार के तंत्र से हिंदी एवं भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किए जा रहे शोध पत्रों की साइटेशन ट्रैकिंग एवं उनका संरक्षण आसानी से हो सकेगा और वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सकेंगे।

भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किए जा रहे शोध पत्रों की साइटेशन ट्रैकिंग एवं 'भारतीय स्वतंत्र इम्पैक्ट फैक्टर निर्धारण एजेंसी' का विकास

आज भारतवर्ष की समस्त नियुक्ति प्रदाता संस्थाओं में रायटर थॉमसन द्वारा निर्धारित इम्पैक्ट फैक्टर वाली पत्रिकाओं को गुणवत्तापूर्ण माना जाता है जिसे केयर लिस्ट द्वारा भी स्वीकार किया गया है। जबकि रायटर थॉमसन के इम्पैक्ट फैक्टर का मुख्य उद्देश्य शोध पत्रिकाओं की लोकप्रियता का अनुमान लगाना था। यह चिंता का विषय है कि भारत जैसे उच्च शिक्षा में अग्रणी राष्ट्र में आज तक भारतीय भाषाओं की शोध पत्रिकाओं के इम्पैक्ट फैक्टर के

© NCERT not to be republished

निर्धारण का सिस्टम क्यों विकसित नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस क्षेत्र में विचार कर तकनीकी संस्थानों की सहायता से इम्पैक्ट फैक्टर हेतु सिस्टम विकसित करना चाहिए।

विश्वविद्यालयों की अध्ययन शालाओं या विभागों द्वारा कम-से-कम एक हिंदी अथवा अन्य भारतीय भाषा में शोध-पत्रिका का प्रकाशन अनिवार्य करना

भारत में लगभग 1000 विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थान होने के बावजूद अधिकांश संस्थाएँ शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन नहीं करती हैं। विश्वविद्यालयों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे एक निर्धारित संख्या में विभिन्न शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन करें ताकि भारत में प्रकाशन के अवसर उपलब्ध हों एवं भारतीय शोधार्थियों को अपने शोध पत्र भारतीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करने का अवसर मिल सके। उदाहरण के लिए, यदि इन 1000 विश्वविद्यालयों के कम-से-कम दो विभागों द्वारा भी एक प्रमाणिक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया जाए तो यह संख्या 2000 शोध पत्रिकाओं की हो सकती है, जो भारत में प्रकाशन के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त होगी।

विभिन्न नियामक संस्थाओं द्वारा शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन

भारतीय उच्च शिक्षा के सुचारु संचालन के लिए कई संवैधानिक निकाय यथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.), मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आई.), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी.सी.आई.), भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर.सी.आई.) आदि हैं जो अपने क्षेत्र में प्रमाणिक शोध पत्रिकाएँ प्रकाशित कर सकती हैं। इनमें से कुछ संवैधानिक निकायों द्वारा शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन किया भी जा रहा है, परंतु उन्हें भी नियमित एवं ऑनलाइन किया जाना चाहिए।

भारतीय जर्नलों में प्रकाशन के इच्छुक समस्त शोधार्थियों एवं अध्यापकों के लिए 'विद्वान' पहचान संख्या अनिवार्य किया जाना

वैश्विक स्तर पर अधिकांश शोध पत्रिकाओं में प्रकाशन हेतु ऑर्किड (Open Researcher and Contributor ID or ORCID) को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी प्रकार भारतीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशन हेतु लेखकों एवं शोधार्थियों के लिए इनफ्लीबनेट केंद्र द्वारा विकसित 'विद्वान' पहचान संख्या अनिवार्य की जानी चाहिए। ताकि लेखक एवं शोधार्थी की शैक्षिक पहचान सुलभ हो सके। इनफ्लीबनेट केंद्र द्वारा विकसित 'विद्वान पोर्टल' ऑर्किड से ज्यादा व्यापक एवं उसका एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की जा रही शोध पत्रिकाओं का इम्पैक्ट फैक्टर निर्धारण हेतु स्वायत्त निकाय एवं इनके लिए शोध पत्रों के फॉर्मेट एवं मानकों का निर्धारण

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व के कारण स्कूपस, रॉयटर थॉमसन जैसी इंडेक्सिंग एजेंसियाँ लोकप्रिय हुई हैं, जो मूलतः अंग्रेजी एवं अन्य पाश्चात्य भाषाओं में प्रकाशित शोध पत्रिकाओं का इम्पैक्ट फैक्टर निर्धारित करती हैं। ऐसे में हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की जा रही शोध-पत्रिकाओं का कोई 'इम्पैक्ट फैक्टर' उपलब्ध

© NCERT not to be republished

नहीं है। इस कारण भारतीय भाषाओं में प्रकाशित शोध पत्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं मिल पाती है। उदहारणस्वरूप, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित की जा रही शोध पत्रिकाओं का कोई इम्पैक्ट फैक्टर उपलब्ध नहीं है, जबकि इन पत्रिकाओं में प्रकाशन-पूर्व समस्त वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। भारतीय भाषाओं की शोध-पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जाने वाले शोध पत्रों के लिए तकनीकी मानक, फॉर्मेट, संदर्भ ग्रंथ सूची लेखन के समरूप मानक आदि तैयार करना आवश्यक है। इस हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को साइटेशन ट्रैकिंग एवं इम्पैक्ट फैक्टर निर्धारण हेतु भारतीय सिस्टम विकसित करना होगा, जिससे भारत में शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन के प्रमाणिक अवसर बढ़ेंगे। इससे भारतीय भाषा में प्रभावी संप्रेषण रखने वाला शोधार्थी भी गर्व से बता सकेगा कि उसके हिंदी अथवा अन्य भारतीय भाषा में लिखे एवं प्रकाशित शोध पत्र कितने इम्पैक्ट फैक्टर की शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 'पब्लिश इन इंडिया' से संबंधित पॉलिसी या अधिनियम बनाने पर विचार करना चाहिए जो शैक्षिक समुदाय में भारत को आगे ले जाने का कार्य करें। जैसा कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में उल्लेख किया गया है कि मातृभाषा में शिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा एवं शिक्षा को स्थानीय संस्कृति से जोड़ने के हर संभव प्रयास किए जाएँगे। इस कड़ी में स्थानीय भाषा एवं संस्कृति का ज्ञान रखने वाले अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। जब *राष्ट्र की शिक्षा नीति 2020* स्थानीय भाषाओं एवं संस्कृति के ज्ञान पर केंद्रित है, तब स्थानीय भाषाओं की शोध पत्रिकाओं को बढ़ावा देना *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुकूल होगा।

भारतीय भाषाओं की ऑफलाइन एवं ऑनलाइन पत्रिकाओं को प्रोत्साहन दिया जाना

वर्तमान समय में यू.जी.सी. केयर लिस्ट में भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं की संख्या कम अथवा नगण्य है। इस हेतु शोधार्थी द्वारा जब यू.जी.सी. केयर की वेबसाइट https://ugccare.unipune.ac.in/apps1/home/index समूह 1 (यू.जी.सी. केयर 2021) के सर्च विकल्प में भाषा के क्षेत्र में हिंदी 'की-वर्ड' लिख कर देखा गया तो कुल 116 शोध पत्रिकाओं की सूची प्राप्त हुई। यह सूचना 24 जुलाई, 2021 को सायं 6.52 पर प्राप्त की गई। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इनमें से बड़ी संख्या में वे शोध पत्रिकाएँ थीं, जिनका सिर्फ प्रिंट आई.एस.एस.एन. नंबर है। हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाली शोध पत्रिकाओं में सिर्फ प्रिंट आई.एस.एस.एन. नंबर की पत्रिकाओं की कुल संख्या 92 है, जो यू.जी.सी. केयर की सूची में शामिल हिंदी की प्रकाशनों का लगभग 80 प्रतिशत है। मात्र पाँच शोध पत्रिकाएँ ऐसी थीं, जिनका सिफ ई-आई.एस.एस.एन. है। केयर पर उपलब्ध हिंदी शोध पत्रिकाओं में से मात्र चार प्रतिशत शोध पत्रिकाएँ ऐसी थीं, जिनके प्रिंट आई.एस.एस.एन. नहीं थे, सिर्फ ई-आई.एस.एस.एन. थे; और मात्र तीन शोध पत्रिकाओं के प्रिंट आई.एस. एस.एन. एवं ई-आई.एस.एस.एन. प्राप्त हुए, जिसका तात्पर्य यह है कि लगभग तीन प्रतिशत हिंदी शोध पत्रिकाएँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में प्रकाशित एवं प्रसारित की जा रही हैं, जो यू.जी.सी.

© NCERT not to be republished

केयर लिस्ट में शामिल हैं। सात पत्रिकाएँ ऐसी थीं, जो बंद की जा चुकी हैं। प्रथम दृष्टया यह डेटा शोध की गुणवत्ता बढ़ाए जाने के प्रयासों के प्रभाव की ओर इंगित करता है, परंतु इसका दूसरा पहलू इस बात का द्योतक है कि यू.जी.सी. केयर लिस्ट को और लचीला बनाने एवं उसमें किसी शोध पत्रिका के शामिल किए जाने के मानदंडों में बदलावों की सख्त आवश्यकता है। अन्यथा समय के साथ धीरे-धीरे हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में छपने वाली शोध पत्रिकाओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।

वर्तमान में भारत में 'मेक इन इंडिया' की नीति पर कार्य चल रहा है। यह नीति एक अभियान के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उद्योगों को सक्षम बनाने में सफल रही है। इससे भारत में कई राष्ट्रों ने अपनी औद्योगिक इकाइयाँ भी स्थापित की हैं। इसी प्रकार 'पब्लिश इन इंडिया' की संभावनाओं एवं तत्संबंधित नीति निर्धारण पर शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने के लिए केयर लिस्ट एक प्रभावी कदम हो सकता है, परंतु शोध की एक स्वस्थ संस्कृति विकसित करने के लिए 'पब्लिश इन इंडिया' की नीति पर कार्य करना शोध प्रकाशनों के क्षेत्र में भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष

यह कहा जा सकता है कि यू.जी.सी. द्वारा जारी गुणवत्तापूर्ण शोध पत्रिकाओं की सूची 'केयर लिस्ट' एक स्वागत योग्य कदम है एवं शिकारी पत्रिकाओं पर नियंत्रण के लिए प्रभावी है, परंतु एक स्वस्थ शोध की संस्कृति के विकास के लिए भारतीय उच्च शिक्षा की नियामक संस्थाओं को 'पब्लिश इन इंडिया' की दूरदर्शी नीति पर विचार करना चाहिए तथा शोधार्थियों को भारतीय भाषाओं में प्रकाशन के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। भारतीय शोध-पत्रिकाओं हेतु DOI की संभावना, भारतीय भाषाओं एवं हिंदी में प्रकाशित किए जा रहे शोध पत्रों की साईटेशन ट्रैकिंग के लिए भारतीय स्वतंत्र इम्पैक्ट फैक्टर निर्धारण एजेंसी का विकास, विभिन्न नियामक संस्थाओं द्वारा शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन, भारतीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखकों के लिए 'विद्वान' पहचान संख्या अनिवार्य करना जैसे कदम शामिल किए जा सकते हैं।

संदर्भ

कार्टराइट, वी. ए. 2016. आउथर्स बी अवेयर! द राइज ऑफ द प्रेडेटरी पब्लिशर्स. *क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल ओप्थाल्मोलॉजी*. 44(8), पृष्ठ संख्या 666–668. https://doi.org/10.1111/ceo.12836, से प्राप्त किया गया है.

कुक, सी. 2017. प्रेडेटरी जर्नल्स— द वर्स्ट थिंग इन पब्लिशिंग, एवर. *जर्नल ऑफ ऑर्थोपोडिक एंड स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी*. 47(1), पृष्ठ संख्या 1–2. 6 सितंबर, 2020 को https://doi.org/10.2519/jospt.2017.0101 से प्राप्त किया गया है.

कुमार, अखिलेश. 2020. भारतीय उच्च शिक्षा, अनुसंधान एवं शिकारी पत्रिकाओं का फैलता जाल — एक समीक्षा. *भारतीय आधुनिक शिक्षा*. वर्ष-41,अंक-2, अक्तूबर, पृष्ठ संख्या 49–57.

क्लार्क, जे., और आर. स्मिथ. 2015. फर्म एक्शन नीडेड अगेंस्ट प्रेडेटरी जर्नल्स. द *बीएमजे (ऑनलाइन)*. 350, पृष्ठ संख्या 14–16. 6 सितंबर, 2020 को https://doi.org/10.1136/bmj.h210 से प्राप्त किया गया है.

© NCERT not to be republished

क्लेमन्स, एम., डी कोस्टा इ सिल्वा, एम., जॉय, ए. ए., कोबे, के. डी., मजरेलो, एस., स्टोबर, सी., बी. हट्टन. 2017. प्रेडेटरी इन्विटेशंस फ्रॉम जर्नल्स— मोर देन ए न्यूसेन्स?. *द ओंकोलोजिस्ट*. 22 (2), पृष्ठ संख्या 236–240. 6 सितंबर, 2020 को https://doi.org/10.1634/theoncologist.2016-0371 से प्राप्त किया गया है.

ग्रुदनीविज, ए., मोहर, डी. और के. डी. कोबी. 2019. प्रेडेटरी जर्नल— नो डेफिनिशन, नो डिफेंस. *नेचर*. 576, 210–212, 6 सितंबर, 2020 को https://doi.org/10.1038/d41586-019-03759-y से प्राप्त किया गया है.

जिया, जे. 2015. प्रेडेटरी जर्नल्स एंड देअर आर्टिकल पब्लिशिंग चार्जेज. *लर्न्ड पब्लिशिंग*. 28 (1), पृष्ठ संख्या 69–74. https://doi.org/10.1087/20150111 से प्राप्त किया गया है.

द *गार्जियन*. 2013. नोबल विनर डिक्लेयर बायकाट ऑफ टॉप साइंस जर्नल्स. https://www.theguardian.com/science/2013/dec/09/nobel-winner-boycott-science-journals से प्राप्त किया गया है.

नरीमनी, एम., और एम. डदका. 2017. प्रेडेटरी जर्नल्स एंड पेरिश्ड आर्टिकल; ए लैटर टू एडिटर. *एमरजेंसी*. 5(1), पृष्ठ संख्या 258–260. https://doi.org/10.22037/emergency.v5i1.12595 से प्राप्त किया गया है.

पटवर्धन, बी. 2017. इंडियन साइंस एंड प्रेडेटरी जर्नल्स. *जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटीव मेडिसिन*. 8(1), पृष्ठ संख्या 1–2. https://doi.org/10.1016/j.jaim.2017.02.004 से प्राप्त किया गया है.

———. 2019. वर्ल्ड व्यू— इंडिया स्ट्राइक्स बैक अगेंस्ट प्रेडेटरी जर्नल्स. *नेचर*. 571, 7. https://www.nature.com/articles/d41586-019-02023-7 से प्राप्त किया गया है.

पर्लिन, एम. एस., इमास्तो, टी., और डी बोरेंसटीन. 2018. इज प्रेडेटरी पब्लिशिंग ए रियल थ्रीट? एविडेंस फ्रॉम ए लार्ज डाटाबेस स्टडी. *साईनटोमेट्रिक्स*. 116(1), पृष्ठ संख्या 255–273. https://doi.org/10.1007/s11192-018-2750-6 से प्राप्त किया गया है.

बिआल, जे. 2017. रायटर्स फोरम— प्रेडेटरी जर्नल्स, पीयर रिव्यू एंड एजुकेशन रिसर्च. *न्यू होरिजोन्स इन अडल्ट एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट*. 29(1), पृष्ठ संख्या 54–58. 6 सितंबर, 2020 को https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/nha3.20173 से प्राप्त किया गया है.

मस्टन, वाय. बी., और ए. एस. ऐश्क्राफट. 2016. द डार्क साइड ऑफ ट्रेडिशनल एंड ओपन एक्सेस वर्सेस प्रेडेटरी जर्नल्स. नर्सिंग एजुकेशन पर्सपेक्टिव्स. 37(5), पृष्ठ संख्या 275–277. 6 सितंबर, 2020 को https://doi.org/10.1097/01. से प्राप्त किया गया है.

मानका, ए., मोहर, डी., एल. कगासी, जेड. देवीर, और एफ. देरियु. 2018. *हाउ प्रेडेटरी जर्नल्स लीक इन टू पबमेड. सीएमएजे*. 190 (35), E1042–E1045. 6 सितंबर, 2020 को https://doi.org/10.1503/cmaj.180154 से से प्राप्त किया गया है.

यू.जी.सी. केयर. 2021. यू.जी.सी. केयर की वेबसाइट. 24 जुलाई, 2021 को https://ugccare.unipune.ac.in/apps1/home/index से प्राप्त किया गया है.

रोबर्ट्स, जे. 2016. प्रेडेटरी जर्नल्स— थिंक बिफोर यू सबमिट. हेडेक— *द जर्नल ऑफ* हेड एंड *फेस पेन*. 56(4), पृष्ठ संख्या 618–621. https://doi.org/10.1111/head.12818 से प्राप्त किया गया है.

रोस-वाइट, ए., गॉडफ्रे, सी. एम., के. ए., सियर्स. और आर. विलसन. 2019. प्रेडेटरी पब्लिकेशन इन एविडेंस सिंथेसिस. *जर्नल ऑफ द मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन*. 107(1), पृष्ठ संख्या 57–61. https://doi.org/10.5195/JMLA.2019.491 से प्राप्त किया गया है.

श्याम, ए. 2015. प्रेडेटरी जर्नल्स— व्हाट आर दे? *जर्नल ऑफ ऑर्थोपोडिक केस रिपोर्ट्स*. 5(4), पृष्ठ संख्या 1–2. https://doi.org/10.13107/jocr.2250-0685.330 से प्राप्त किया गया है.

© NCERT not to be republished

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण से भारत में उच्चतर शिक्षा का विकास

चन्दन श्रीवास्तव*

भारत में उच्चतर शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण है। इन चुनौतियों एवं जटिलताओं को 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' ने बखूबी पहचाना है और उनकी वास्तविक स्थिति को भी स्वीकारा है। इसलिए नीति में उच्चतर शिक्षा की भावी संरचना के नए दृष्टिकोण की व्याख्या की गई है। नई नीति उच्चतर शिक्षा के तंत्र में केवल सुधार ही नहीं, बल्कि बड़े बदलाव के दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत लेख में भारत में उच्चतर शिक्षा के विकास तथा चुनौतियों की एक संक्षिप्त चर्चा की गई है। साथ ही, 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के उच्चतर शिक्षा पर विभिन्न बिंदुओं की चर्चा की गई है।

किसी राष्ट्र के विकास में उच्चतर शिक्षा की अहम भूमिका होती है। एक राष्ट्र का सामाजिक विकास हो या आर्थिक विकास, उच्चतर शिक्षा उसमें महत्वपूर्ण योगदान देती है। जहाँ सामाजिक स्तर पर उच्चतर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र को प्रबुद्ध, सशक्त और जागरूक बनाना है, वहीं आर्थिक उन्नति हेतु देश को आत्मनिर्भरता और समृद्धि की ओर भी ले जाना है। राष्ट्र के लिए ज्ञान निर्माण और नवाचार के उपक्रम में उच्चतर शिक्षा की केंद्रीय भूमिका होती है, जिसके सार्थक विकास का सीधा जुड़ाव राष्ट्रीय उन्नति से है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वतंत्र भारत में उच्चतर शिक्षा का विस्तार व्यापक स्तर पर हुआ। लेकिन, यह हमारे देश के युवा विद्यार्थियों को जीवन दृष्टि देने या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कितना सफल हो पाया, यह एक मूल प्रश्न है। यह विचारणीय है कि आज भी देश के अधिकांश युवाओं की पहुँच उच्चतर शिक्षा तक नहीं बन पाई है। भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर वर्तमान सकल नामांकन दर मात्र 26 प्रतिशत है जो अन्य राष्ट्रों की तुलना में बहुत कम है। वर्ष 2000 में तो यह आँकड़ा 10 प्रतिशत से भी कम था, जबकि अमेरिका में यह 80 प्रतिशत के ऊपर है। इससे प्रतीत होता है कि आगामी समय में उच्चतर शिक्षा के विकास को गति देने के लिए हमें कई स्तरों पर कार्य करने होंगे।

उदाहरण के तौर पर गुणवत्ता की बात करें तो यहाँ भी दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग बहुत नीचे है। यह पूरा संदर्भ, भारत में उच्चतर शिक्षा की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। इसलिए भारतीय उच्चतर शिक्षा में आमूलचूल बदलाव की जरूरत है। हम बीसवीं सदी

**असिस्टेंट प्रोफेसर*, अध्यापक शिक्षा विभाग, शिक्षा पीठ, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया, बिहार 824236

© NCERT not to be republished

से अब इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए, इस सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए ही उच्चतर शिक्षा के भावी विकास का रोडमैप बनाया जाना चाहिए, जिसकी सार्थक रूपरेखा *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में प्रस्तुत की गई है। इस लेख में भारतीय उच्चतर शिक्षा से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की चर्चा की गई है, लेकिन उससे पहले भारत में उच्चतर शिक्षा का विकास कैसे हुआ है? हमारी उपलब्धियाँ क्या रहीं? पहले किस तरह की नीतियाँ बनीं? कौन-सी चुनौतियाँ रहीं? यहाँ पर इन सबकी एक संक्षिप्त चर्चा करना जरूरी है, ताकि उच्चतर शिक्षा को लेकर हमारी समझ को ऐतिहासिक आधार मिल सके।

अतीत में उच्चतर शिक्षा का विकास

अतीत में देंखे तो भारत में उच्चतर शिक्षा के कई उत्साही साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीन भारत में नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला और वल्लभी जैसे विश्व-स्तरीय संस्थान रहे हैं, जहाँ अध्ययन के विविध क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा और शोध की समृद्ध व्यवस्था के स्थूल प्रमाण मिलते हैं। इन संस्थानों ने भारतीय दर्शन और संस्कृति को सहेजने और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। इनसे संबंधित विद्वानों ने ज्ञान के विविध क्षेत्रों, जैसे— गणित, चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सा, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, भवन निर्माण, योग, कला, साहित्य आदि में प्रामाणिक तौर पर मौलिक योगदान दिया, जो ऐतिहासिक कालखंड के अनुसार प्रगतिशील उपलब्धियाँ हैं। इस गौरवमयी ऐतिहासिक स्मृति के बिना भारत की उच्चतर शिक्षा की व्याख्या अधूरी है। आगे बढ़ें तो इनके बाद भी देशज शिक्षा में उच्चतर शिक्षा के कई केंद्र छुट-पुट तौर पर अठारहवीं शताब्दी तक विद्यमान मिलते हैं।

फिर उन्नीसवीं शताब्दी के औपनिवेशिक भारत में उच्चतर शिक्षा के मैकालीयन युग की शुरुआत होती है। जिसके तहत भारत में उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि नगरों में ब्रिटेन की तर्ज पर विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया। ब्रिटिश, सन् 1857 के बाद चार विश्वविद्यालयों की संकल्पना लेकर आए, जिनके विस्तार को 1857 से 1882 तथा 1882 से 1902 के दो कालखंडों में देखा जा सकता है। यहाँ 1882 एक विभाजक वर्ष इसलिए है क्योंकि इसी वर्ष भारत की शिक्षा पर सबसे पहला आयोग 'हंटर कमीशन' की रिपोर्ट आई थी, जिसके आधार पर आगे की उच्चतर शिक्षा को दिशा मिली। आगे 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन आया। उसके पश्चात् 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट आया। इसके बाद 1913 में ब्रिटिश शिक्षा नीति पर जमीनी रिपोर्ट आई तथा 1916 में फिर एक विश्वविद्यालय आयोग आया। इसके पश्चात नए विश्वविद्यालयों का उदय हुआ। इसके साथ ही, परतंत्र भारत में उच्चतर शिक्षा के स्वदेशी संस्थानों की भी स्थापना हुई, जिसमें गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया आदि प्रमुख हैं। इन सबका अध्ययन 1948–49 में उच्चतर शिक्षा पर बने राधाकृष्णन आयोग द्वारा किया गया तथा इस आयोग द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए उच्चतर शिक्षा की आगामी रूपरेखा प्रस्तुत की गई (सैनी, 1992)।

इस आयोग की संस्तुति पर, 1956 में संसद द्वारा एक कानून पास कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) का गठन किया गया, जिसका प्रमुख कार्य उच्चतर शिक्षा का समन्वय करना, इसके स्तर को बनाए रखना, विकास की निगरानी

© NCERT not to be republished

और उच्चतर शिक्षा को सुधारने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना था। हमारे देश में 1956 में करीब 30 विश्वविद्यालय थे, जो वर्तमान में बढ़कर 700 से अधिक हो गए हैं और लगभग 40 हजार कॉलेज हैं। संख्यात्मक विकास के नजरिये से यह एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन गुणवत्ता और मानक के आधार पर उनमें कई कमियाँ देखने को मिलती हैं, जिनमें से योग्य अध्यापकों की कमी, विद्यार्थी-अध्यापक अनुपात का असंतुलन, स्तरहीन पाठ्यक्रम, कमजोर अवसंरचना आदि हैं। परंतु, सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि आजादी के बाद, उच्चतर शिक्षा को लेकर जो नीतियाँ बनीं और उन पर जो काम हुए, उन्होंने पूर्ववर्ती मैकालीयन व्यवस्था से हटकर, नए सिरे से उच्चतर शिक्षा को गढ़ने का प्रयास नहीं किया, जिसके कारण अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव भारतीय विश्वविद्यालयों के मानस पर और गहरा होता गया। यह समस्या आज उच्चतर शिक्षा में ज्ञान निर्माण के स्तर पर भाषायी वर्चस्व का रूप ले चुकी है। साथ ही, आजाद भारत से अब तक उच्चतर शिक्षा एवं शोध पर निवेश किए जाने वाले बजट की कमी भी एक प्रमुख चुनौती रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में शोध पर केवल 0.8 फीसदी खर्च हो रहा है, जबकि कम-से-कम दो फीसदी खर्च होना चाहिए।

इस तरह यदि भारत में उच्चतर शिक्षा के विकास को देखें तो यह प्रतीत होता है कि देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* ने उच्चतर शिक्षा की उन जटिलताओं और चुनौतियों को बखूबी पहचाना है और उनकी वास्तविक स्थिति को स्वीकारा है। इस नीतिगत दस्तावेज के नौवें अध्याय में भारत में उच्चतर शिक्षा प्रणाली की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि भारत में उच्चतर शिक्षा का तंत्र बहुत ही खंडित स्थिति में है, जिसके कारण उच्चतर शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के बीच तारतम्यता की भारी कमी है। मौजूदा तंत्र में संज्ञानात्मक कौशल के विकास और सीखने के प्रतिफलों पर कम बल है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों से पढ़कर निकले विद्यार्थी कितने कुशल हो पा रहे हैं? और उनके पास उपयोगी ज्ञान कितना है? इसके प्रति उच्चतर संस्थानों में उदासीनता है। कई संस्थानों के पाठ्यक्रम पिछले तीस सालों से अद्यतन नहीं हुए हैं, जो यह दर्शाता है कि इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने के बावजूद हम बीसवीं सदी की शिक्षा पर ही अटके हुए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा का दृष्टिकोण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने उच्चतर शिक्षा में विषयों के कठोर विभाजन तथा विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं से ही विशेषज्ञ और अध्ययन के संकीर्ण क्षेत्रों की ओर ढकेल देने की प्रवृति को भी उठाया है। इसके साथ ही, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा की पहुँच सीमित होना भी एक मुख्य चुनौती है, जिसका समाधान किए बगैर सकल नामांकन दर को बढ़ा पाना कठिन है। इसके लिए, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्थानीय भाषाओं में उच्चतर शिक्षा की अनुपलब्धता को विशेष कारण माना है। सीमित अध्यापक और संस्थागत स्वायत्तता के प्रश्न को भी *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* द्वारा उठाया गया है। वह यह भी मानती है कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों में योग्यता आधारित करियर प्रबंधन और

© NCERT not to be republished

संस्थागत नेतृत्वकर्ताओं की प्रगति के लिए विद्यमान तंत्र पर्याप्त नहीं है, जिसे अच्छी तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए। यह चिंतनीय है कि अधिकांश विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध पर नगण्य बल दिया जा रहा है और जो शोध हो भी रहे हैं, उनकी गुणवत्ता और उपयोगिता संदेहास्पद है। इसका एक कारण संस्थानों के पास शोध निधियों की अनुपलब्धता का होना भी है।

इसके साथ ही, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में गवर्नेंस और नेतृत्व क्षमता के अभाव की समस्या भी *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में बताई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देश में उच्चतर शिक्षा के अप्रभावी विनियामक प्रणाली को एक बड़ी चुनौती मानती है, जिसके कारण कई निम्न मानक वाले संबद्ध विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों का जाल समूचे देश में फैल चुका है। जिनपर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन है और उनसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अपेक्षा करना उससे भी अधिक कठिन है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में उच्चतर शिक्षा की इन विकट चुनौतियों एवं समस्याओं के समाधान के लिए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* अपने अध्याय नौ तथा दस में कई उपायों की चर्चा करती है, जिनमें से कुछ प्रमुख बिंदुओं का विश्लेषण इस लेख में शामिल किया गया है।

इस नीति में उच्चतर शिक्षा की भावी संरचना के नए विजन की व्याख्या भी स्पष्ट तौर पर दी गई है। यह नीति उच्चतर शिक्षा के तंत्र में केवल सुधार ही नहीं, बल्कि बड़े बदलाव के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। इसके अनुसार, समूची उच्चतर शिक्षा का लक्ष्य एक एकीकृत उच्चतर शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है, जिसमें व्यावसायिक और पेशेवर, दोनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्था शामिल होगी। इस प्रकार समावेशी उच्चतर शिक्षा तंत्र के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बड़े एवं बहु-विषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और हायर एजुकेशन 'इंस्टीट्यूशन क्लस्टरों' या 'नॉलेज हबों' में स्थानांतरित करके उच्चतर शिक्षा के विखंडन को समाप्त करना है। यह एक बड़ा कदम है जो वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों के संपूर्ण चरित्र को सकारात्मक तौर पर परिवर्तित करेगा। यदि ऐसा वास्तविक स्वरूप में क्रियान्वित हुआ तो बहु-विषयक अध्ययन के विभिन्न लाभों एवं उत्पादक परिणामों का असर विद्यार्थियों के विकास पर पड़ेगा, जिससे वे ज्यादा विस्तृत ज्ञान एवं समझ के साथ आगे बढ़ पाएँगे। अगर हम और आगे बढ़ें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के साथ-साथ भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा पर बल देती है।

यह नीति इस बात पर भी जोर देती है कि उच्चतर शिक्षा के इस विजन के लिए विशेष रूप से एक नई वैचारिक समझ की जरूरत होगी, जिसमें एक उच्चतर शिक्षा संस्थान (हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन) अर्थात् एक विश्वविद्यालय या एक कॉलेज को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है। नीति के अनुसार व्यापक तौर पर विश्वविद्यालय का अर्थ है, उच्चतर शिक्षा का एक बहु-विषयक संस्थान जो स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएच.डीकार्यक्रम संचालित करता है और उच्चतर गुणवत्ता वाले शिक्षण एवं अनुसंधान करता है। अभी देश में उच्चतर शिक्षा संस्थान (हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन) का जटिल नामकरण 'संबद्ध विश्वविद्यालय', 'संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय', 'एकात्मक विश्वविद्यालय' है, जिसे मानकों के अनुसार मानदंड को पूरा करने पर केवल

© NCERT not to be republished

'विश्वविद्यालय' के नाम से प्रतिस्थापित किया जाएगा। साथ ही, यह भी उल्लेख है कि भविष्य में इस तरह के कई संस्थान होंगे जो शिक्षण और शोध को बराबर महत्व देने वाले होंगे, जैसे— 'शोध-गहन विश्वविद्यालय' और 'शिक्षण-गहन विश्वविद्यालय'। ऐसा होने से विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा उनकी भूमिका के अनुसार उनके कार्यों को आकार देने में सुविधा होगी।

इसी प्रकार नीति में विश्वविद्यालय स्तर पर कुछ 'संरचनात्मक सुधार' की बात भी की गई है— जैसे विश्वविद्यालय स्तर पर अधिकतम प्रोग्राम इंटीग्रेटेड मोड में होंगे। इसमें 'मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम' की व्यवस्था लाने पर गंभीर कदम उठाने की बात कही गई है अर्थात् अगर कोई विद्यार्थी स्नातक या स्नातकोत्तर की पढ़ाई बीच में छोड़ता है तो उसे वहाँ तक के अध्ययन के लिए एक प्रमाण-पत्र मिल सकेगा। उदाहरण के लिए, वर्तमान में अगर जॉब लगने या किसी अन्य कारण से कोई विद्यार्थी अपने ग्रेजुएशन कोर्स के तीन वर्ष में से दो वर्ष ही पूरे कर पाता है तो उसे दो वर्ष में अर्जित उपलब्धि की कोई मान्यता प्रदान नहीं की जाती है, लेकिन 'मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम' की भावी व्यवस्था में यह संभव है कि विद्यार्थी जितना समय ज्ञान अर्जित करेगा उसे उसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो कि वैध होगा। इससे विद्यार्थियों द्वारा उच्चतर शिक्षा को बीच में ही छोड़ देने से होने वाले अकादमिक नुकसान को प्रभावी तौर पर कम किया जा सकेगा, जो विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय, दोनों के हित में होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्चतर शिक्षा संस्थानों (हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन) पर भी बल देती है। नीति में एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से कॉलेजों को ग्रेडेड स्वायत्तता देने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली स्थापित करने की बात कही गई है। साथ ही, मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्तर पर जरूरी न्यूनतम मानकों को पूरा करने के लिए महाविद्यालयों को प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाएगी। नीति की यह कल्पना है कि कालांतर में धीरे-धीरे सभी महाविद्यालय या तो डिग्री करने वाले स्व-विद्यालय बन जाएँगे या किसी विद्यालय के अंग के रूप में विकसित होंगे। इस प्रकार वे विश्वविद्यालय के अंग के रूप में पूर्ण रूप से उसका हिस्सा होंगे। अगर वे चाहें तो उपयुक्त मान्यता के साथ, स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज, अनुसंधान-गहन या शिक्षण-गहन विश्वविद्यालयों में विकसित हो सकते हैं। नीति यह रेखांकित करती है कि इन तीन प्रकार के संस्थानों का वर्गीकरण एक स्पष्ट और अलग-अलग श्रेणियाँ न होकर निरंतरता के साथ हो। संस्थानों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाने की स्वायत्तता और स्वतंत्रता होगी। फिर भी, सभी प्रकार के संस्थानों में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षण-अधिगम अपेक्षाएँ समान होंगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक अन्य लक्ष्य 2040 तक उच्चतर शिक्षा में, विद्यार्थियों के कुल नामांकन दर (ग्रोस एनरोलेमेन्ट रेट) को 50 प्रतिशत तक ले जाने का है। यह एक महत्वकांक्षी लक्ष्य है और अगर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें कम-से-कम 3000 विश्वविद्यालय चाहिए। इसके लिए वंचित क्षेत्रों में उचित संख्या में उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित और विकसित किए जाएँगे। नीति में यह निश्चय किया गया है कि 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम-से-कम एक

© NCERT not to be republished

बड़ा बहु-विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान होगा, जिसमें पढ़ाई का माध्यम स्थानीय या भारतीय भाषा या द्विभाषिक होगा। इसका उद्देश्य सकल नामांकन अनुपात को 2018 में 26.3 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत करना होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई नए संस्थानों के विकास के साथ-साथ मौजूदा उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बेहतर बनाने पर भी समान ध्यान दिया जाएगा। इस संदर्भ में नीति द्वारा सुझाए गए 'क्लसटरिंग ऑफ कॉलेजिस' का विचार अनुकरणीय है।

नामांकन के 50 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संस्थानों को अपने कार्यक्रमों की सीटें, पहुँच और सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने एवं जीवनपर्यंत सीखने के अवसरों को मुहैया कराने हेतु मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा तथा ऑनलाइन कोर्सों को संचालित करने का अवसर भी होगा, बशर्ते उन्हें ऐसा करने के लिए मान्यता प्राप्त हो। नीति यह स्पष्ट करती है कि दूरस्थ शिक्षा के कोर्सों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाएगा तथा मान्यता प्राप्त बेहतरीन संस्थानों को उच्चतम गुणवत्ता वाले ऑनलाइन कोर्स विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन कोर्सों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रमों के साथ समन्वित किया जाएगा और इस प्रकार पाठ्यक्रमों के मिश्रित स्वरूपों को वरीयता दी जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आगे 'नेशनल रिसर्च फाउंडेशन' (एन.आर.एफ.) की चर्चा करती है, जो कि एक स्वायत्त निकाय होगा। इस नीति में बताया गया है कि पूर्व में कार्यरत सभी एजेंसियाँ आगे भी कार्य करती रहेंगी, लेकिन ये एन.आर.एफ. के साथ समन्वय करेंगी ताकि कार्यों का दोहराव न हो। इन सब प्रयासों के माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय, बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में तैयार हो पाएँगे। नीति के अनुसार, शिक्षा और शोध के अलावा उच्चतर शिक्षा संस्थान अन्य महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ भी निभाएँगे, जैसे— अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान को विकसित और स्थापित करने में सहयोग, सामुदायिक सहभागिता और सेवा, कार्यप्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान, उच्चतर शिक्षा प्रणाली के लिए प्राध्यापकों की योग्यता का विकास और स्कूली शिक्षा में योगदान आदि। इस प्रकार *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में अतीत के कई अप्राप्य लक्ष्यों तथा अनेक नई आकांक्षाओं की छवि दिखती है।

समेकन

उच्चतर शिक्षा के संदर्भ में जिन कुछ बिंदुओं की चर्चा इस लेख में की गई है, उससे यह साफ प्रतीत होता है कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* वास्तव में एक महत्वाकांक्षी नीति है, जो उच्चतर शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए मार्गदर्शन करती है। इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए, गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा का होना हमारे देश के विकास की पूर्व शर्त है। ऐसी शिक्षा का मूल उद्देश्य, अच्छे, चिंतनशील, बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना है। इस प्रकार, उच्चतर शिक्षा के नए स्वरूप में एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में गहन अध्ययन करने और विभिन्न विषयों में इक्कीसवीं सदी की क्षमताओं को विकसित करने के भरपूर अवसर मिलेंगे।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

शिक्षा मंत्रालय. 1950. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग—1948–49. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

सैनी, शिव कुमार. 1992. *डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया*. कोस्मो पब्लिकेशन, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished

प्रौढ़ शिक्षा कल, आज और कल

नीलू दुबे*
राजीव पंड्या**

शिक्षा जीवनपर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों का विकास करके उसके व्यक्तित्व को निखारती है, कर्तव्यों का ज्ञान कराती है एवं उसके विचारों एवं व्यवहार में समाजोपयोगी परिवर्तन लाती है। विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा समाज के समस्त मानव संसाधनों का समुचित सामाजिक एवं आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 2 अक्तूबर, 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस लेख में प्रौढ़ शिक्षा में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर एवं स्थानीय स्तर पर किए गए प्रयासों का उल्लेख प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन हेतु किए गए विभिन्न प्रयासों को भी बताया गया है। इस लेख में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के बिंदु 21 में दिए गए प्रौढ़ शिक्षा और जीवनपर्यंत सीखने के विशेष प्रावधानों को शामिल किया गया है। साथ ही, इस नीति के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार के कम अवधि के छमाही या एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्सेस संचालित करने का सुझाव दिया गया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत को सुनियोजित ढंग से विकसित करने के लिए सरकारों द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कई प्रयास किए गए, जिनमें शिक्षा का क्षेत्र भी शामिल था, क्योंकि देश को साक्षर एवं शिक्षित करके ही समृद्ध एवं सशक्त बनाया जा सकता है, जिसमें प्रौढ़ों की निरक्षरता एक महत्वपूर्ण समस्या थी। इसी उद्देश्य को लेकर सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा की नींव रखी। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को शैक्षिक विकल्प देना है, जिन्होंने किसी कारणवश अपनी औपचारिक शिक्षा का अवसर गवाँ दिया। लेकिन अब वे प्रौढ़ आधारभूत शिक्षा, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा या इसी तरह की अन्य शिक्षा की आवश्यकता महसूस करते हैं। अत: ऐसे लोगों के लिए प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा का द्वितीय अवसर प्रदान करती है। सामान्यतः प्रौढ़ शिक्षा की कोई प्रामाणिक परिभाषा नहीं है, किंतु 1950 में सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा पर हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रौढ़ शिक्षा को 'प्रौढ़ों की विविध क्षेत्रों में आवश्यकता एवं अभिलाषा को संतुष्ट करना' बताया था। महात्मा गांधी ने प्रौढ़ शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा था कि, "यह जीवन के लिए जीवन के द्वारा जीवनभर चलने वाली शिक्षा है।"

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सन् 1948 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड (सी.ए.बी.ई.)

* *विद्यार्थी-अध्यापक,* एम. एड., शासकीय स्नातकोत्तर अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश 456001
** *प्राध्यापक*, शासकीय स्नातकोत्तर अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश 456001

© NCERT not to be republished

का गठन किया, जिसने प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक समिति बनाई। इस समिति ने प्रौढ़ शिक्षा के विषयों और नीतियों में परिवर्तन लाने की अनुशंसा की और कहा कि निरक्षरता को मिटाना ही प्रौढ़ शिक्षा न हो, अपितु इसमें नागरिकता की शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं हस्तकला की शिक्षा भी समाहित की जानी चाहिए। आगे चलकर विभिन्न शिक्षा आयोगों, जैसे— विश्वविद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग तथा *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986* एवं *1992* में प्रौढ़ शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। इस लेख में वर्तमान समय में देश में प्रौढ़ शिक्षा का राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के द्वारा क्रियान्वयन और प्रौढ़ शिक्षा के लिए देश में किए जा रहे विभिन्न कार्य, जैसे— राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा नीति, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एवं साक्षर भारत मिशन का भी उल्लेख किया गया है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी प्रौढ़ शिक्षा को बुनियादी साक्षरता प्राप्त करने और जीविकोपार्जन के अवसर को प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार माना है, जिसका क्रियान्वयन ज़रूरी है। प्रौढ़ शिक्षा के क्रियान्वयन की कड़ी मे भविष्य में इसे कौशल विकास से जोड़कर विभिन्न डिप्लोमा कोर्स एवं स्कूल शिक्षा के माध्यम से जीविकोपार्जन एवं समाजोपयोगी बनाने हेतु सुझाव दिए गए हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात प्रौढ़ शिक्षा के लिए किए गए प्रयास

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) ने सुझाव दिया था कि व्यक्तिगत रोजगार क्षमता को बढ़ाने, कुशल मानव शक्ति की माँग तथा उपलब्धि में असंतुलन को कम करने के लिए एवं अपनी रुचि के अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण करना बहुत आवश्यक है। साथ ही, बेरोजगारी समाप्त करने के उद्देश्य से शिक्षा को संपूर्ण जनता के लिए अनिवार्य करना चाहिए।

शिक्षा आयोग (1964) ने प्रौढ़ शिक्षा के तीन पक्ष बताएँ हैं —

- प्रौढ़ शिक्षा रोजगारमूलक हो इसके द्वारा व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अभिरुचियाँ पैदा हों। व्यक्ति को नए कौशल एवं सूचनाएँ प्राप्त हों ताकि वे अपने कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकें।
- प्रौढ़ शिक्षा व्यक्ति के मन में राष्ट्रभक्ति पैदा करे ताकि वे राष्ट्र के विकास में समस्याओं को सुलझाते हुए सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से सचेत हों।
- प्रौढ़ शिक्षा लोगों में पढ़ने-लिखने और गणित की ऐसी कुशलता उत्पन्न करे कि व्यक्ति अन्य साधनों से अपनी शिक्षा पूर्ण कर सके। इसमें विश्वविद्यालयों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में प्रौढ़ शिक्षा के लिए किए गए प्रावधान इस प्रकार हैं—

- शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्ति हेतु प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम लागू किया जाए।
- विश्वविद्यालयों में विस्तार सेवा केंद्रों की स्थापना की जाए, जिसमें अध्यापक तथा विद्यार्थी मिलकर प्रशिक्षण के माध्यम से साक्षरता आंदोलन में भाग ले सकें।
- जगह-जगह सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किए जाएँ और आकाशवाणी के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रसारित किए जाएँ।

© NCERT not to be republished

- प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा भारतीय समाज का आधुनिकीकरण किया जाए अर्थात् जनता में अपनी संस्कृति की सुरक्षा के साथ वैज्ञानिक सोच भी उत्पन्न हो एवं वर्तमान तकनीकी का उपयोग उत्पादन क्षमता बढ़ाने में हो।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (1978) शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 15 से 35 वर्ष आयु समूह के लोगों को शिक्षा का द्वितीय अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 2 अक्तूबर 1978 को प्रारंभ किया गया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के भाग 4 में प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि 'सा विद्या या विमुक्तये' अर्थात् शिक्षा वह है जो अज्ञान और दमन से मुक्ति दिलाए। शिक्षा की इसी परिकल्पना के तहत हर व्यक्ति को पढ़ना-लिखना आना ही चाहिए, क्योंकि आज के युग में यही सीखने का मुख्य माध्यम है, इसीलिए साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा महत्वपूर्ण है। बिंदु 4.11 के अनुसार कुशलता को बढ़ाना अहम मुद्दा है ताकि समाज की आवश्यकता अनुरूप जनशक्ति को तैयार किया जा सके। अतः प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्य से जोड़ा जाना चाहिए। राष्ट्रीय लक्ष्यों में निर्धनता उन्मूलन, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण एवं आदर्श परिवार शामिल हैं। सांस्कृतिक सृजनशीलता का संवर्धन एवं महिलाओं की समानता को भी प्रौढ़ शिक्षा में शामिल किया जाएगा एवं प्रौढ़ शिक्षा के वर्तमान कार्यक्रमों को पुनरावलोकन कर उन्हें सुधारा जाएगा।

बिंदु 4.12 निरक्षरता उन्मूलन हेतु समूचे राष्ट्र को एकजुट रहने को कहता है, खासकर 15 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए केंद्र व राज्य मिलकर कार्य करें। इसके लिए सभी वर्गों के अध्यापकों द्वारा शैक्षिक निकायों एवं शोध संस्थानों का सहयोग लेकर प्रौढ़ शिक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ ताकि उनमें साक्षरता के साथ कार्यात्मक ज्ञान और कुशलताओं का विकास हो सके। शिक्षार्थियों में सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों की समझ पैदा हो एवं परिस्थितियों को बदलने की क्षमता का विकास हो। यह सभी कार्य प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से संभव होने चाहिए। बिंदु 4.13 में प्रौढ़ शिक्षा के लिए विभिन्न पद्धतियों एवं माध्यमों के उपयोग से सतत एवं व्यापक कार्यक्रम के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं—

- ग्रामीण क्षेत्रों में सतत शिक्षा केंद्रों की स्थापना हो।
- नियोजक एवं मजदूर संगठनों और संबंधित एजेंसियों के द्वारा श्रमिकों हेतु शिक्षा की व्यवस्था हो।
- उच्च शिक्षा की संस्थाओं द्वारा सतत शिक्षा का प्रावधान हो। पुस्तकालय प्रयोग, पुस्तक लेखन व प्रकाशन की व्यवस्था हो। जन शिक्षण और समूह शिक्षण के साधन के रूप में रेडियो, दूरदर्शन एवं फिल्में दिखाई जाएँ तथा दूर शिक्षण कार्यक्रमों का विकास हो।
- स्वाध्याय एवं स्वयं शिक्षण में सहायता मिले।
- आवश्यकता और रुचि पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हों।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समाज की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए इसे संशोधित कर कार्य योजना अर्थात् संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के नाम से प्रकाशित किया गया था, जिसके भाग पाँच में प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा को रखा गया है। इसमें प्रौढ़ शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जाना गया।

© NCERT not to be republished

इसमें ऐसे विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया, जो या तो स्कूल छोड़ चुके या उनके गाँव में स्कूल नहीं है, या वे स्कूल के समय अन्य कार्य करते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में व्यवधान आ चुका है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं या पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई है। इन संस्थाओं को धन एवं शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करके अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। मुक्त विश्वविद्यालय एवं ओपन स्कूल की स्थापना करके दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए ताकि साक्षरता कार्यक्रमों का संचालन हो सके।

भारत में प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए कुछ प्रमुख प्रयास

1. **प्रौढ़ शिक्षा पर नीति कथन, 1977**— शिक्षा पर नीति कथन में प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता के कारण बताए गए, जैसे— निरक्षरता देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधक है। यह शिक्षा स्कूल के अलावा भी दी जा सकती है, गरीबी और अमीरी के बीच उत्पन्न भेद को मिटाने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम है एवं सीखना, काम करना और जीवनयापन करना जनता के प्रमुख अधिकार हैं।
2. **राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, 1978**— प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा मिशन की अहम भूमिका है, जिसे 2 अक्तूबर, 1978 को घोषित किया गया। इसमें उन लोगों को केंद्र में रखा गया, जिनके पास भोजन न्यूनतम था और कार्य करने की ऊर्जा सामान्य थी। यह कार्यक्रम 1978 से 1979 तक चला। इसके प्रमुख लक्ष्य थे—
   - प्रौढ़ शिक्षा के लिए उचित वातावरण तैयार करना।
   - राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों हेतु प्रौढ़ शिक्षा नीति की घोषणा करना।
   - प्रौढ़ शिक्षा की योजनाएँ बनाना।
   - मूल्यांकन करना एवं साक्षरता के लिए काम करने वाली एजेंसियों की जाँच करना।
   - शिक्षण-अधिगम सामग्री तैयार करना।
   - प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्यों में शोध या अनुसंधान केंद्र खोलना।
3. **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एन.एल.एम.)**— भारत सरकार द्वारा निरक्षरता उन्मूलन के उद्देश्य से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 5 मई, 1988 को प्रारंभ किया गया। जिसका लक्ष्य 1995 तक देश के 15 से 35 वर्ष आयु समूह के उत्पादक और पुनरोत्पादक आठ करोड़ निरक्षर लोगों को कार्यात्मक एवं व्यावहारिक साक्षरता प्रदान करना था। इस मिशन में 1995 तक पाँच करोड़ लोगों को प्रौढ़ शिक्षा के तहत साक्षर बना दिया गया। देश के 593 जिलों में यह मिशन चलाया गया। जिससे 160 जिले संपूर्ण साक्षरता श्रेणी में आ गए। वर्तमान में प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रावधान के रूप में केंद्र सरकार द्वारा संचालित साक्षर भारत कार्यक्रम बनाया गया। इसकी शीर्ष एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अथॉरिटी (एन.एल.एम.ए.) बनाई गई। जिसे 1988 में भारत सरकार द्वारा कैबिनेट से स्वीकृत कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में एक स्वतंत्र एवं स्वायत्तशासी अंग के रूप में समाहित कर दिया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्य इस प्रकार हैं—

© NCERT not to be republished

- प्रौढ़ शिक्षा की नीति एवं योजनाएँ बनाना।
- नागरिकता का प्रशिक्षण देना।
- सहकारिता के कार्य करना।
- स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के लिए बनाए गए कार्यक्रम, यौन शिक्षा प्रदान करना।
- अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करना।

4. **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एन.एल.एम.ए.)—** प्रौढ़ शिक्षा के संवर्धन और मजबूती के लिए प्रौढ़ शिक्षा पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलकर कार्य करने की जरूरत है। अतः राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया, जो प्रौढ़ शिक्षा के लिए नीति प्रबंध एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली शीर्ष एजेंसी है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक स्वायत्तशासी इकाई है। यह प्राधिकरण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यों को गति प्रदान करता है। इसकी प्रत्येक राज्य में एक इकाई है।

वर्तमान में प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साक्षर भारत कार्यक्रम संविधान शुरू किया गया है। चूँकि, शिक्षा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आती है, अतः यह कार्यक्रम केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय बनाते हुए संपूर्ण देश में प्रौढ़ शिक्षा के कार्यों को क्रियान्वित करता है। इसके लिए कुछ गैर-सरकारी संस्थानों और संगठनों की मदद लेने का भी प्रावधान है।

भारत में प्रौढ़ शिक्षा का क्रियान्वयन बनाम प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

भारत में प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत काम करती है। इसकी उत्पत्ति 1956 में राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा केंद्र के रूप में हुई थी, बाद में एन.एम.ई.सी. को ही राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा विभाग का नाम दिया गया तथा 1961 में इसे राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का एक भाग बना दिया गया। बाद में भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया एवं 1971 में एक स्वतंत्र विभाग, अनौपचारिक शिक्षा निदेशालय के रूप में स्थापित किया गया जो बाद में प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय कहा जाने लगा। भारत में प्रौढ़ शिक्षा की अधिकारिक घोषणा गांधीजी के जन्मदिवस 2 अक्तूबर, 1978 को की गई। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का एक उपकेंद्र है, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं—

- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को अकादमिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करना।
- शिक्षण पठन सामग्रियाँ तैयार करने हेतु दिशानिर्देश तैयार करना।
- प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- साक्षरता अभियानों की प्रगति और स्थिति की निगरानी करना और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को नियमित सुझाव प्रदान करना।
- मीडिया सामग्री का निर्माण और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए समग्र मीडिया अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, परंपरागत और लोक मीडिया का उपयोग करना।
- सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों की सहायता से आयोजित साक्षरता अभियानों का समवर्ती और बाह्य मूल्यांकनों के आधार पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को नियमित प्रतिक्रिया देना।

© NCERT not to be republished

- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की ओर से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के घटक और प्रक्रिया के सतत सुधार के लिए सभी जिला साक्षरता समितियों, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों, राज्य संसाधन केंद्रों, जन शिक्षण संस्थानों और अन्य संस्थानों या एजेंसियों का समन्वयन, सहयोग और नेटवर्किंग।

प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता के प्रचार-प्रसार में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, शिक्षा प्रचालन में एवं निरक्षरता उन्मूलन तथा प्रौढ़ शिक्षा के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों के मध्य उपयुक्त साझेदारी के विकास की परिकल्पना भी की गई थी। इसके लिए सरकार ने दो अलग-अलग योजनाएँ घोषित की थीं—

1. प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों की सहायता।
2. जन शिक्षण संस्थान की सहायता से गैर-सरकारी संगठनों की सहायता। इसमें प्रौढ़ शिक्षा के तकनीकी और अकादमिक संसाधन केंद्रों की स्थापना शामिल है। जबकि जन शिक्षण संस्थान व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है। वर्तमान में दोनों योजनाओं को मिलाकर 'प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए गैर-सरकारी सहायता की योजना' के रूप में नामित किया गया है।

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यों में गहन भागीदारी है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं—

(i) साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।

(ii) निरक्षरता के कारणों को पहचान कर उन्हें विकास के कार्यों में शामिल करना।

(iii) आर्थिक स्थिति में सुधार और आम हित के लिए कौशल अर्जित करना।

(iv) राष्ट्रीय एकीकरण, पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं की समानता, छोटा परिवार मानक आदि कार्यों का समेकन।

राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम अब साक्षर भारत कार्यक्रम (एस.वी.पी.) योजना के रूप में परिवर्तित हो गया है, जो केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजना है। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, 2009 को की गई थी। इसमें जीवनपर्यंत सीखने के अवसर प्रदान करते हुए एक अध्ययनशील समाज की कल्पना की गई है, जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों, ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों तथा बालिकाओं को जोड़ते हुए साक्षरता के कार्यों का क्रियान्वयन करना है। इस कार्यक्रम के कुछ बिंदु निम्नानुसार हैं—

- लोक शिक्षा केंद्रों से संबंधित प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों तथा साक्षरता कक्षाओं का स्वयंसेवकों के माध्यम से संचालन।
- मोहल्ला कक्षा, जिनका समय एवं स्थान निरक्षरों की सुविधानुसार होगा।
- 5000 की आबादी पर एक बहुउद्देशीय सतत शिक्षा केंद्र प्रत्येक ग्राम पंचायत में हो।
- पंचायत जन सहयोग से शिक्षा केंद्रों के लिए भवन की व्यवस्था करेगी।

© NCERT not to be republished

- साक्षरता के लिए लचीली विधीय, स्वयंसेवक आधारित जन अभियान, लचीली समय-सारणी, आवासीय शिविर आदि शामिल होने चाहिए।
- त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाएँ यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद साक्षर भारत कार्यक्रम संचालन की मुख्य एजेंसी होगी।
- साक्षर भारत कार्यक्रम का समन्वय एवं पर्यवेक्षण, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
- लोक शिक्षा केंद्र अपनी गतिविधियों से नवसाक्षरों को बुनियादी साक्षरता एवं कार्यात्मक साक्षरता में प्रवीण करते हुए विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएँगे। साथ ही, स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए स्थानीय लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए संसाधन उपलब्ध कराएँगे।
- इसके अलावा लोक शिक्षा केंद्र में पठन-पाठन केंद्र, कौशल विकास प्रशिक्षण, पुस्तकालय, सूचना केंद्र, मनोरंजन एवं खेलकूद गतिविधियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साक्षरता केंद्रों का प्रबंधन करना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बिंदु 21, प्रौढ़ शिक्षा और जीवनपर्यंत सीखने पर केंद्रित है। इसमें व्यक्ति को बुनियादी साक्षरता प्राप्त करना और जीविकोपार्जन का अवसर प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार बताया गया है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के बिंदु 21.1 से 21.10 प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है, जिसमें शिक्षा के अधिकार, निरक्षर होने के नुकसान, साक्षरता मिशन 1988, प्रौढ़ शिक्षा के लिए सुदृढ़ एवं सरकारी पहल विशेषकर समुदाय की भागीदारी को सुगम बनाना एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुचारू एवं लाभकारी एकीकरण की बात कही गई है। बिंदु 21.5 रा.शै.अ.प्र.प. समर्थित संगठन द्वारा उत्कृष्ट प्रौढ़ शिक्षा की पाठ्यचर्या विकसित करने एवं बिंदु 21.6 प्रौढ़ों के आजीवन अधिगम की बात करता है। 21.10 गुणवत्तापूर्ण प्रौढ़ शिक्षा का संचालन ऑनलाइन या मिश्रित माध्यम में करने पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा के लिए की गई अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु सुझाव

इस लेख में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में प्रौढ़ शिक्षा के लिए की गई अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु पाठ्यक्रम निर्माण एवं कम अवधि के डिप्लोमा कोर्सेस के माध्यम से प्रौढ़ों को शिक्षित किए जाने के सुझाव दिए गए हैं। यह सुझाव प्रौढ़ों द्वारा विविध कारणों से साक्षरता या शिक्षा न प्राप्त करने या निरंतर पढ़ाई जारी न रख पाने के करण उत्पन्न हुई कुछ स्थितियों को स्तरानुसार दर्शाते हैं, जैसे—

- ऐसे प्रौढ़ जो बिलकुल निरक्षर हैं तथा उन्होंने कभी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है।
- ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने विद्यालयी शिक्षा के किसी भी स्तर पर अपनी पढ़ाई बंद कर दी हो (शालात्यागी), वे उम्र गुजरने के बाद अब निरंतर अध्ययन करना चाहते हैं।
- अध्ययन पूर्ण करने के बाद या नियमित अध्ययन पूर्ण करने के बाद या स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के

© NCERT not to be republished

बाद या निर्धारित उम्र सीमा गुजर जाने के बाद किसी भी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं।

उदाहरणस्वरूप प्रौढ़ निरक्षकों में पहले स्तर के प्रौढ़ों के बारे में बात करें तो इन्हें अक्षर ज्ञान एवं भाषाएँ सिखाकर स्वयं के हस्ताक्षर कराना सिखाया जाए एवं चित्रों वाली किताबों से पढ़ना सिखाया जाए। संख्यात्मक ज्ञान में शुरुआत में गिनती, जोड़ना, घटाना, भाग और भिन्न आदि सिखाया जाए। इसी प्रकार, आगे अन्य विषयों को पढ़ाकर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर आकलन कर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। प्रौढ़ों की उम्र सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक होगी, अतः इन्हें सायंकालीन कक्षाओं में सेवानिवृत्त अध्यापक या शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानवान एवं रुचि रखने वाले लोगों द्वारा पढ़ाया जाए।

अब द्वितीय स्तर पर आते हैं, शालात्यागी। ऐसे लोगों की शिक्षा को न तो पूरी तरह से औपचारिक और न ही अनौपचारिक बनाया जाए, बल्कि इनके मध्य की शिक्षा होनी चाहिए। जिस स्तर पर उनकी स्कूली शिक्षा छूटती है उसे आगे बढ़ाने के लिए कम अवधि अर्थात् छह माह या एक वर्ष के सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्सेस) के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर उन्हें आगे की कक्षा में नियमित अध्ययन के लिए प्रेषित किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने कक्षा 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया और दस साल बाद उसकी आगे की पढ़ाई करने की इच्छा हुई, तो उसे ब्रिज कोर्स प्रदान कर अगली कक्षा के प्रवेश योग्य बनाया जाए और जिस कक्षा में वह प्रवेश लेना चाहता है, उसका अध्ययन करवाया जाए।

तृतीय स्थान पर ऐसे लोग आते हैं, जिनकी औपचारिक शिक्षा तो पूर्ण हो गई है और वे व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। जहाँ पर ऐसे लोग व्यावसायिक शिक्षा की निर्धारित आयु सीमा में नहीं आते हैं, ऐसे प्रौढ़ लोगों के लिए कौशल विकास या कौशल विकास आधारित अल्पकालीन कोर्स (छह माह या एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्सेस) के माध्यम से उनके द्वारा चाहे गए विषय या व्यावसायिक क्षेत्र में शिक्षित किया जाना चाहिए। इस हेतु यहाँ पर कुछ डिप्लोमा कोर्सेस एवं संगत पाठ्यक्रम सुझाए गए हैं। यह कोर्सेस विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर कराए जाएँ एवं इनके संचालन के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में एक प्रौढ़ शिक्षा विभाग बनाया जाए। जिसमें शिक्षा विभाग के ही किसी वरिष्ठ एवं अनुभवी अध्यापक को प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए। जो स्थानीय प्रेरकों की सहायता से कोर्स कराने वाली संस्थाओं में स्थान, समय एवं शिक्षक-प्रशिक्षकों की नियुक्ति में सहयोग करेंगे अर्थात् वे ऐसे लोगों का चयन करेंगे जो वास्तव में राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। सभी प्रकार की सुविधाओं एवं संसाधनों तथा प्रशिक्षकों एवं प्रेरकों के लिए वित्त की व्यवस्था केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर करेगी, जिसे जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी के द्वारा संगत डिप्लोमा कॉर्सेस के संचालन हेतु खर्च किया जाएगा। इसके लिए वैधानिक प्रमाण-पत्र जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर द्वारा दिए जाएँगे, किंतु इनकी निगरानी के लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। इन

© NCERT not to be republished

कॉर्सेस का सतत मूल्यांकन करने हेतु राज्य सरकार के संभागीय स्तर के अधिकारी स्थानीय कलेक्टर, स्थानीय प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी एवं संगत संस्थाओं के संचालकों एवं प्रेरकों को शामिल किया जाना चाहिए। इन कॉर्सेस के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा के साथ-साथ स्थानीय स्तर के लघु एवं कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा एवं समस्त समाज जन प्रौढ़ शिक्षा के लिए अपना योगदान दे सकेंगे। भले ही वे आंशिक रूप से प्रौढ़ शिक्षा से जुड़े हुए हों।

तालिका 1— प्रौढ़ों हेतु संभावित डिप्लोमा एवं संगत पाठ्यक्रम

क्र.सं	मुख्य विषय	उप-विषय	पाठ्यक्रम	कोर्स अवधि	कोर्स कराने वाली संस्था एवं अध्यापक	अर्हता	उपयोग
1.	बुनियादी साक्षरता	गणित, भाषा ज्ञान, विज्ञान एवं पर्यावरण	सामान्य अंक गणित का व्यावहारिक ज्ञान, स्वर, व्यंजन, पहाड़े, शब्द, पुस्तक पढ़ना, सामान्य विज्ञान एवं इनका दैनिक जीवन में उपयोग एवं पर्यावरण संबंधी ज्ञान	1 वर्ष	विद्यालयों में सायंकालीन कक्षाएँ अध्यापक अथवा रिटायर्ड अध्यापक या अन्य	निरक्षर	कक्षा 5वीं की परीक्षा देकर कक्षा छठी से नियमित विद्यार्थी की पढ़ाई या ओपन स्कूल से आगे की पढ़ाई करना
2.	कौशल विकास के विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कोर्स	इलेक्ट्रीशियन	घर में लाइट फ़िटिंग एवं घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुधारना	6 माह कोर्स	आईटीआई या अन्य संस्थाओं में सायंकालीन प्रशिक्षण दिया जाए एवं संबंधित फैक्ट्रियों में अनुबंध किया जाए। ताकि विद्यार्थियों को प्रायोगिक ज्ञान मिले एवं फील्ड पर ले जाकर भी जानकारी दी जा सकती है।	8वीं पास	घरों एवं फैक्ट्रियों में बिजली फिटिंग एवं बिजली के उपकरणों को सुधारना
		प्लंबर	घरों में नल फिटिंग, जल का मृदुकरण	6 माह कोर्स		8वीं पास	नल कनेक्शन एवं नगरीय निकाय संस्थानों से जोड़ना

© NCERT not to be republished

		भवन निर्माण मिस्त्री	भवन निर्माण सामग्री, भवन के नक्शे एवं अन्य तकनीकी जानकारी	6 माह कोर्स		8वीं पास	बिल्डिंग निर्माण में आईटीआई के माध्यम से ठेकेदारों के साथ काम करना
		पेंटर	विभिन्न प्रकार के रंगों एवं संयोजनों की तकनीकी जानकारी	6 माह कोर्स		8वीं पास	विज्ञापन जगत एवं बिल्डिंग निर्माण में जीविकोपार्जन
		टाई एंड डाई	कपड़ों को रंगना, सुखाना, रंगों का स्थायीकरण	6 माह कोर्स		8वीं पास	वस्त्र उद्योग में जीविकोपार्जन
		फ़ोटोग्राफ़ी	कैमरे से संबंधित जानकारी, फोटो लेना सिखाना	6 माह कोर्स		8वीं पास	पत्रकारिता में फोटोग्राफी का उपयोग एवं जीविकोपार्जन
		ब्यूटी पार्लर	विभिन्न ब्यूटी टिप्स	6 माह कोर्स		8वीं पास	स्वयं का पार्लर खोलना
		सिलाई, कढ़ाई, बुनाई (हस्तकला)	विभिन्न प्रकार की कटिंग, स्टिचिंग एवं हाथ की मशीन की कढ़ाई	6 माह कोर्स	आईटीआई अध्यापक या संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि या सम्बंधित कोर्सेज के सीनियर विद्यार्थी	8वीं पास	जीविकोपार्जन के रूप में उपयोगी
		मूर्तिकला	मिट्टी से इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बनाना	6 माह कोर्स		8वीं पास	व्यावसायिक उपयोग एवं जीविकोपार्जन
		अन्य कलाएँ, नृत्य गायन, वादन	स्थानीय स्तर पर कलाकारों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना	6 माह कोर्स		8वीं पास	जीविकोपार्जन के रूप में उपयोगी

© NCERT not to be republished

		हेल्थ एवं हाइजीन	स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा यह कोर्स कराना	6 माह कोर्स		8वीं पास	आँगनवाड़ी, स्कूल या अन्य संस्थानों से जोड़ना
		हाउसकीपिंग	आईटीआई में हाउस कीपिंग का कोर्स चलाना	6 माह कोर्स		8 वीं पास	फैक्ट्रियों, मॉल, होटल एवं घरों में उपयोगी एवं जीविकोपार्जन
		इंटीरियर डेकोरेशन	सजावट के विभिन्न तरीके सिखाए जाएँ जो मितव्ययी हो एवं हरित रसायन का अनुसरण करें	6 माह कोर्स		8वीं पास	फैक्ट्रियों, मॉल, होटल एवं घरों में उपयोगी एवं जीविकोपार्जन
		टैक्सेशन एवं लॉग बुक निर्माण	विभिन्न प्रकार के टैक्स की जानकारी एवं लॉग बुक का निर्माण सिखाना	6 माह कोर्स	आईटीआई या स्कूलों में सायंकालीन स्थानीय अध्यापक	12वीं पास कॉमर्स या गणित	स्वयं का व्यवसाय खोलना या वकील (इनकम टैक्स) के साथ काम करना
3.	प्रौद्योगिकी	कंप्यूटर प्रचालन	कंप्यूटर, टाइपिंग, इंटरनेट, बिलिंग, विभिन्न साइट खोलना एवं इनसे संबंधित उपयोग, फॉर्म भरना टेबुलेशन इत्यादि	6 माह कोर्स	आईटीआई, सायंकालीन कक्षाएँ	10वीं पास	किसी कंप्यूटर सेंटर या साइबर कैफे पर काम एवं स्वयं का व्यवसाय, स्कूलों, कार्यालयों, दुकानों आदि पर काम करना
4.	नगर सुरक्षा एवं ट्रैफिक कंट्रोल	होमगार्ड का कोर्स	यातायात के नियम, शस्त्र संचालन, व्यायाम, दौड़	6 माह कोर्स	कोतवाली थाने पर ट्रेंड पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण	10वीं पास	भीड़-भाड़ वाले आयोजनों के समय नगर सुरक्षा में ऐसे लोगों को बुलाया जा सकता है। कंपनी या कॉलोनी में गार्ड का काम करना

© NCERT not to be republished

5.	पाक कला एवं खाद्य प्रसंस्करण		विभिन्न प्रकार के मसालों एवं खाद्य पदार्थों एवं व्यंजनों की जानकारी तथा उनका परिरक्षण सिखाना, विभिन्न प्रकार के अचार बनाना एवं पैकिंग करना, पापड़ बड़ी आदि बनाना	6 माह कोर्स	स्थानीय सरकार द्वारा चिह्नित होटलों में या अन्य केंद्रों पर प्रशिक्षण	5वीं पास	अपना स्वयं का ढाबा खोलना या टिफिन सेंटर चलाना, कैंटीन में काम, स्वयं का अचार गृह उद्योग आदि स्थापित करना
6.	कृषि संसाधन	कृषि तकनीकी	विभिन्न प्रकार की मिट्टी एवं फसलों की जानकारी, उनमें कीटनाशक छिड़काव एवं उर्वरकों का इस्तेमाल व रखरखाव, विभिन्न कृषि उपकरणों की जानकारी व उपयोग एवं बागवानी	6 माह कोर्स	कृषि शिक्षा केंद्र पर कोर्स एवं खेतों में प्रयोग	10वीं पास	स्वयं अपने खेत में कृषि तकनीकी का उपयोग करना या किराए से खेती लेकर उस पर तकनीकी के इस्तेमाल से लाभ प्राप्त करना
7.	धर्मशास्त्र	हवन, पूजन एवं वैदिक ग्रंथों का वाचन	गीता, रामायण, वेद, उपनिषद व्याख्यान आदि की पढ़ाई कराना एवं आचार-विचार में लाना तथा यज्ञ विधि का ज्ञान, विभिन्न मंत्रोच्चार एवं धार्मिक विधियाँ	6 माह कोर्स	चुनिंदा मंदिरों में जैसे इस्कॉन आदि में प्रशिक्षण, प्रशिक्षक के तौर पर वेदाचार्यों या पंडितों को जिम्मेदारी सौंपी जाना	10वीं पास	विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों में मुख्य पंडितों के साथ काम करना
8.	ज्योतिष शास्त्र	ज्योतिषी	ज्योतिष विद्या ज्ञान, कुंडली निर्माण	6 माह कोर्स	सरकारी संस्थानों में स्थानीय ज्योतिष	12वीं पास	ज्योतिषाचार्य बनना, विद्यालयों में शिक्षा देना या अपना स्वयं का कार्यालय खोलना

© NCERT not to be republished

9.	योग और व्यायाम	योगाचार्य	योगाभ्यास एवं व्यायाम आदि	6 माह कोर्स	योगाचार्यों द्वारा प्रशिक्षण	12वीं पास	योगाचार्य बनना और योग सिखाना या अपना स्वयं का कार्यालय खोलना
10.	स्थानीय रीति-रिवाज	लोक कला	रीति-रिवाज, धार्मिक आयोजनों का वैज्ञानिक ज्ञान, भजन, गायन आदि	6 माह कोर्स	विभिन्न सांस्कृतिक संस्थानों में एवं वृद्धाश्रमों में	8वीं पास	सांस्कृतिक आयोजनों में स्थानीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करना

तालिका 1 के माध्यम से समाज के लिए उपयोगी सभी विषयों को प्रौढ़ शिक्षा के पाठ्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। प्रौढ़ शिक्षा के शिक्षार्थी हर आयु वर्ग के हो सकते हैं, अत: उन्हें उनकी रुचि एवं क्षमतानुसार विभिन्न लचीली शिक्षण विधियों के माध्यम से उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। इस हेतु स्थानीय स्तर पर वकीलों, शिक्षाविदों, दुकानदारों, डॉक्टरों, नर्सों, इंजीनियरों, अध्यापकों, शिल्पकारों, किसानों एवं घर के अनुभवी बुज़ुर्गों आदि से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष

इस लेख में प्रौढ़ शिक्षा कल, आज और कल (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के संदर्भ में) में आजादी के बाद प्रौढ़ शिक्षा के लिए शुरुआती प्रयास, इनका विभिन्न योजनाओं एवं शिक्षा आयोगों के माध्यम से संवर्धन एवं क्रियान्वयन, वर्तमान में प्रौढ़ शिक्षा अर्थात् राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय एवं साक्षर भारत कार्यक्रम एवं भविष्य के लिए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की अनुशंसाएँ एवं उनका संभावित क्रियान्वयन शामिल किया गया है। इस लेख में संकलित जानकारी के आधार पर यह कह सकते हैं कि राष्ट्र के विकास में प्रौढ़ शिक्षा की अहम भूमिका है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण अब दूरस्थ स्थानों पर शिक्षा की पहुँच भी आसान हो गई है। अतः देश के विकास में समस्त मानव संसाधनों का समुचित उपयोग अत्यंत आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रौढ़ शिक्षा पर विशेष बल देती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही समाज को जीवंत बनाया जा सकता है, इस हेतु समस्त समाज जन भी सतत शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा के संचालन हेतु अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। इस योगदान में स्थानीय शिल्पकारों, कारीगरों एवं महिलाओं का भी बढ़-चढ़कर सहयोग लेना चाहिए। इसी प्रकार के सभी सम्मिलित प्रयासों से देश के समस्त नागरिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

अग्रवाल, जे.सी. 2012. *डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया*. शिप्रा पब्लिकेशंस, नयी दिल्ली.

डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन. https://www.education.gov.in/en/dae से प्राप्त किया गया है.

दास, बी.एन. 2004. *थ्योरीज ऑफ एजुकेशन एंड दि इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी*. डोमिनेंट पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नयी दिल्ली

शिक्षा मंत्रालय. 2021. *एडल्ट एजुकेशन*. भारत सरकार, नयी दिल्ली. 8 सितंबर, 2020 को https://www.education.gov.in/en/nlma से प्राप्त किया गया है.

स्कीम ऑफ़ सपोर्ट टू एनजीओस फॉर एडल्ट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट. http://www.education.gov.in/en/support से प्राप्त किया गया है.

© NCERT not to be republished

लेखकों के लिए दिशा निर्देश

लेखक अपने मौलिक लेख या शोध पत्र सॉफ्ट कॉपी (हिंदी यूनिकोड— कोकिला फ़ोंट में) के साथ निम्नलिखित पते या ई-मेल journals.ncert.dte@gmail.com पर भेजें—

अकादमिक संपादक
भारतीय आधुनिक शिक्षा
अध्यापक शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016

लेखक या शोधार्थी अपना लेख या शोध पत्र प्रकाशन हेतु भेजने से पूर्व सुनिश्चित करें कि—

1. लेख या शोध पत्र सरल एवं व्यावहारिक भाषा में हो, जहाँ तक संभव हो लेख या शोध पत्र में व्यावहारिक चर्चा एवं दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों का समावेश करें।
2. यदि आप अपने लेख या शोध पत्र को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से हिंदी यूनिकोड फ़ोंट में बदलते हैं, तो बदले हुए लेख या शोध पत्र को अच्छी तरह से पढ़कर एवं संपादित कर भेजें।
3. लेख की वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर आधारित सार्थक प्रस्तावना लिखें, जो आपके लेख के शीर्षक से संबंधित हो।
4. शोध पत्र की वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर आधारित सार्थक प्रस्तावना एवं औचित्य लिखें, जो आपके शोध पत्र के शीर्षक या शोध समस्या से संबंधित हो।
5. लेख या शोध पत्र में वर्तमान में विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा पर राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर जो नीतिगत परिवर्तन हुए हैं, उन नीतियों, योजनाओं, दस्तावेजों, रिपोर्टों, शोधों, नवाचारी प्रयोगों या अभ्यासों आदि को समावेशित करने का प्रयास करें।
6. लेख या शोध पत्र देश के किसी भी नागरिक की धर्म, प्रजाति, जाति, जेंडर, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर विभेद न करे।
7. लेख या शोध पत्र देश के नागरिकों की धर्म, जाति, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शारीरिक विशेषताओं का बिना भेदभाव करते हुए न्यायसंगत सम्मान करे।
8. लेखक या शोधार्थी अपने लेख या शोध पत्र की मौलिकता प्रमाणित करते हुए अपना संक्षिप्त परिचय दें।
9. लेख या शोध पत्र की विषयवस्तु लगभग 2500 से 3000 शब्दों में हिंदी यूनिकोड—कोकिला फोंट में टंकित हो।
10. यदि लेख या शोध पत्र की विषयवस्तु में तालिका एवं ग्राफ़ हो, तो तालिका की व्याख्या में उन तथ्यों या प्रदत्तों एवं ग्राफ़ का उल्लेख करें। ग्राफ़ अलग से Excel File में भेजें।
11. लेख या शोध पत्र की विषयवस्तु में यदि चित्र हो, तो उनके स्थान पर खाली बॉक्स बनाकर चित्र संख्या लिखें। चित्र अलग से JPEG फ़ार्मेट में भेजें, जिसका आकार कम से कम 300 dots per inch (dpi) हो।
12. संदर्भ सूची में वही संदर्भ लिखें, जिनका उल्लेख लेख या शोध पत्र की विषयवस्तु में किया गया हो।
13. यदि लेख या शोध पत्र में ऑनलाइन अध्ययन सामग्री का उल्लेख किया गया है, तो संदर्भ सूची में वेबसाइट लिंक और पुन: प्राप्त (Retrieved date) करने की तिथि लिखें।
14. संदर्भ सूची में संदर्भ एन.सी.ई.आर.टी. के निम्न प्रारूप के अनुसार लिखें—
    पाल, हंसराज. 2006. *प्रगत शिक्षा मनोविज्ञान*. हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली.

© NCERT not to be republished

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 के द्वारा प्रकाशित तथा चार दिशाएँ प्रिंटर्स प्रा.लि., जी 40 - 41, सैक्टर - 3, नोएडा 201 301 द्वारा मुद्रित।

रजि. नं. 42912/84

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिकाओं के मूल्य

Rates of NCERT Journals and magazines

पत्रिका	प्रति कॉपी शुल्क	वार्षिक सदस्यता शुल्क
School Science (Quarterly) A Journal for Secondary Schools *स्कूल साइंस (त्रैमासिक)* *माध्यमिक विद्यालयों के लिए पत्रिका*	₹55.00	₹220.00
Indian Educational Review A Half-yearly Research Journal *इंडियन एजुकेशनल रिव्यू (अर्द्ध वार्षिक शोध पत्रिका)*	₹50.00	₹100.00
Journal of Indian Education (Quarterly) *जर्नल ऑफ़ इंडियन एजुकेशन (त्रैमासिक)*	₹45.00	₹180.00
भारतीय आधुनिक शिक्षा (त्रैमासिक) *Bharatiya Aadhunik Shiksha (Quarterly)*	₹50.00	₹200.00
Primary Teacher (Quarterly) *प्राइमरी टीचर (त्रैमासिक)*	₹65.00	₹260.00
प्राथमिक शिक्षक (त्रैमासिक) *Prathmik Shikshak (Quarterly)*	₹65.00	₹260.00
फिरकी बच्चों की (अर्द्ध वार्षिक पत्रिका) *Firkee Bachchon Ki (Half-yearly)*	₹35.00	₹70.00

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पत्रिकाओं की सदस्यता लेने हेतु शिक्षाविदों, संस्थानों, शोधार्थियों, अध्यापकों और विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए पते पर संपर्क करें।

मुख्य व्यापार प्रबंधक, प्रकाशन प्रभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016

ई-मेल – gg_cbm@rediffmail.com, फ़ोन – 011-26562708, फ़ैक्स – 011-26851070

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 के द्वारा प्रकाशित तथा चार दिशाएँ प्रिंटर्स प्रा.लि., जी 40-41, सैक्टर - 3, नोएडा 201 301 द्वारा मुद्रित।

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

© NCERT not to be republished